बृहस्पतिवार,
२५ फरवरी, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २५ फरवरी, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई ।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चुनार-राबर्ट्सगंज मार्ग पर दुर्घटना

***३५२. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री एम० एल० अग्रवाल :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि उत्तरी रेलवे का जो चुनार-राबर्ट्सगंज मार्ग अभी बन रहा है उसके एक ५० फीट ऊंचे पुल से ८ फरवरी १९५४ को निर्माण सामग्री ले जाने वाली एक गाड़ी गिर पड़ी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का कारण ; तथा

(ग) इस दुर्घटना में हताहतों की संख्या ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां। ८ फरवरी १९५४ को लगभग १३.२० बजे उत्तरी रेलवे के नये से बन रहे चुनार-राबर्ट्सगंज मार्ग पर सक्तेसगढ से लुसा जाते हुये निर्माण-सामग्री गाड़ी नं० १ के दो हिस्से बन गये । उसका पिछला हिस्सा एक उतार से पिछली

ओर चलने लगा और एक पुल की खाई तक पहुंचने पर जहां निर्माण कार्यवश् दो पटरियां हटाई गई थीं; वह हिस्सा नीचे के गढ़े में गिर पड़ा जिससे निर्माण कार्य में लगे हुये कई मजदूर हताहत हुये ।

(ख) सरकारी रेलवे निरीक्षक का जिन्होंने इस दुर्घटना की जांच की, अन्तर्कालीन निर्णय यह है कि एक माल डिब्बे का ड्रा-बार टूट जाने से यह दुर्घटना हुई ।

(ग) ३३ व्यक्ति मर गये । ३ व्यक्ति गंभीर रूप से तथा अन्य ५ व्यक्ति साधारण रूप से घायल हुए ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या गंभीर रूप से घायल हुये व्यक्ति अभी अस्पताल में हैं या अपने घर भेजे गये हैं ?

श्री शाहनवाज खां : उनमें से ३ अभी मिर्जापुर अस्पताल में हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : उस मार्ग पर माल गाड़ियां कब से चलने लगी थीं ?

श्री शाहनवाज खां : उस मार्ग पर माल गाड़ियों को अभी तक अनुमति नहीं दी गई है । वह मार्ग अभी बन रहा है और केवल निर्माण सामग्री लेजाने वाली गाड़ियों को अनुमति दी जाती है ।

श्री रघुनाथ सिंह : हम यह जानना चाहते हैं कि उसके लिये जिम्मेदार कौन है,

पटरी से पार होते हुए जो रेल गिर गयी उसके वास्ते कौन जिम्मेदार है ?

श्री शाहनवाज खां : उसके लिये अभी तक जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर आफ रेलवेज हैं, उनकी प्राविजनल रिपोर्ट आयी है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आयी है ।

श्री रघुनाथ सिंह : उस रिपोर्ट से क्या यह जाहिर होता है ? उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

अध्यक्ष महोदय : प्राविजनल रिपोर्ट आयी है, फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है, उसको आने दीजिये तब पता चलेगा ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन

*३५३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ के वर्षाकाल के पहले केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन ने कितने एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई, कितने एकड़ से कांस साफ किया और कितने एकड़ पर अन्य प्रकार का काम किया ;

(ख) ट्रैक्टरों, अन्य उपकरणों, भूमि तथा इमारतों पर क्रमशः कितनी पूंजी लगी है; तथा

(ग) केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन में कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य विषयों पर क्रमशः कितना व्यय होता है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) १९५३ के वर्षाकाल के पहले केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन द्वारा ९,८३,७९७ एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई गई । इस में ९,४७,५४६ एकड़ भूमि कांस युक्त थी तथा ३६,२५१ एकड़ वन्य भूमि थी ।

(ख) १-४-५३ को कुल पूंजीगत व्यय इस प्रकार था :

ट्रैक्टर . .	१,९२,८६,२७० रु.
अन्य उपकरण .	३,७३,४२,८९२ रु.
भूमि तथा इमारतें	२३,९२,१३५ रु.
योग	५,९०,२१,२९७ रु.

(ग) वेतनों पर प्रति वर्ष का औसत व्यय ४१,१२,००० रु० है और अवक्षयण सहित अन्य विषयों पर १,७१,५१,००० रु० खर्च होते हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन की कार्यवहन लागत उसकी कृषि कार्य के बदले में प्राप्त होने वाली आय की तुलना में कैसी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वह आत्मनिर्भर नहीं है । हम उसे वैसा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : प्रति एकड़ की कार्यवहन लागत कितनी है तथा हम किसान से प्रति एकड़ कितने रुपये लेते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : क्षेत्र २०० एकड़ हो तो हम प्रति एकड़ ६० रु० लेते हैं और यदि क्षेत्र उससे कम हो तो इस दर में २० प्रतिशत की बढ़ोत्री की जाती है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन को पासाभाई उपकरण दे दिये गये हैं और क्या उन उपकरणों पर किये गये व्यय का भार भी किसानों पर पड़ता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : चार वर्ष तक अर्थात् १९४७ से १९५१ तक हमें किसानों पर यह भार डालना पड़ा । बाद में यह अनुभव किया गया कि उन पर यह बोझ डालना न्यायोचित नहीं है । अतः अब हम यह भार नहीं लगाते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या कृषि योग्य बनाई गई भूमि पर खेती की जा र

अर्थात् ऐसी सारी भूमि पर और क्या उपयोग में लाये गये सारे ट्रैक्टर अभी दुरुस्त हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से भूमि को कृषि योग्य बना रहे हैं। ऐसी भूमि पर खेती करवाना उनका काम है। मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं अधिकतर जमीन पर कृषि-योग्य बनाये जाते ही, खेती की जाती है ; और यदि नहीं की गई तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी 'अधिक धान्य उगाओ' योजना के अंतर्गत उस पर खेती की जाय।

सेठ गोविन्द दास : और ट्रैक्टरों के बारे में ? क्या वे सारे दुरुस्त हैं या कुछ नादुरुस्त हो गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सारे नये ट्रैक्टर दुरुस्त हैं और काम कर रहे हैं।

कुष्ठ रोग

*३५४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कुष्ठ रोग से बचने के लिये बी० सी० जी० के टीकों के प्रभाव के बारे में प्रयोग करने का सरकार का विचार है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य देशों में किये गये प्रयोगों के परिणाम आशादायक हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) पंच वर्षीय योजना के अधीन कुष्ठ निवारक परियोजना में कुष्ठ प्रतिबंधक औषधि के रूप में बी० सी० जी० के टीकों के प्रभाव का परीक्षण करने का विचार है।

(ख) उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर अन्य देशों में किये गये प्रयोगों के परिणामों का मूल्यांकन करना समय से पूर्व होगा।

सरदार हुक्म सिंह : डा० म्यूर ने जब वे मद्रास में थे कहा था कि उपकरण तो चाहे जितने ह किन्तु कर्मचारियों की कमी है। क्या उपयुक्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस योजना के अन्तर्गत हमने सब राज्य सरकारों से लिखा पढ़ी की है और अगले महीने के अन्त तक हम उनके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तत्पश्चात् सारी आवश्यक चीजें उपलब्ध हो जायेंगी।

सरदार हुक्म सिंह : अब तक जो प्रयोग किये गये हैं उनके आधार पर, क्या यह कहा जा सकता है कि कुष्ठ रोग के कारण पैदा होने वाली विकृति पूर्णतया हटाई जा सकेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): विकृतियों को पूर्णतया हटाने की बात कहना असंभव है किन्तु निश्चय ही व्यंगहर शल्य-क्रिया ने विस्मयकारक प्रगति की है और कुछ केन्द्रों में शल्यक्रियाओं से अत्याधिक लाभ हो रहा है।

विद्युत रेलगाड़ियां

*३५५. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इटली की एक फर्म से भारतीय रेलवे के लिये विद्युत रेलगाड़ियों के निर्माण के लिये एक करार करने का प्रस्ताव किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : बम्बई उपनगर सेवा में उपयोग के लिये ५० एलेक्ट्रिक रेल गाड़ियां इटली की एक फर्म से क्रय करने का विचार है।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : प्रति रेलगाड़ी का मूल्य क्या होगा ?

श्री अलगेशन : यह राशि ९७५,००० पौंड है।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : यह मूल्य एक रेलगाड़ी का है अथवा सभी का एकत्रित ?

श्री अलगेशन : पूरे सामान का ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत रेलगाड़ियां चलाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : सदन औद्योगिक क्षेत्रों तथा कलकत्ता के उपनगर क्षेत्रों की विद्युतीकरण की योजना से परिचित होगा, किन्तु यह कार्य क्रमानुसार होगा ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह कार्य पूर्वी रेलवे में मुगलसराय के आगे आरम्भ किया जाने वाला है ?

श्री अलगेशन : रेलवे अधिकारियों की एक समिति इस प्रश्न की जांच कर रही है और हम उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : इटली की फर्म से पत्र-व्यवहार के परिणामस्वरूप अथवा दुनिया भर से टेन्डर्स मंगवाये जाने के बाद यह आर्डर दिया गया था या दिया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : दुनिया भर से टेन्डर्स मंगवाये गये थे और भिन्न भिन्न देशों की विभिन्न फर्मों ने टेन्डर भेजे थे । तत्पश्चात् पत्र-व्यवहार भी किया गया था और आर्डर दे देने के पश्चात् यह मूल्य निर्धारित किया गया था ।

पटसन का काम देने वाली अन्य वस्तुएं

*३५६. **सेठ गोविन्द दास :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पटसन का काय देने वाली अन्य वस्तुओं के उत्पादन के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

(ख) इस विषय में सरकार की क्या नीति है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० कृष्णप्पा): (क) जूट ऐग्रीकल्चरल रिसर्च इन्सटीट्यूट, बारकपुर में पटसन का स्थान लेने वाले रेशों पर गवेषणा की जा रही है, किन्तु यह कार्य अभी प्रयोगात्मक अवस्था में है । मेस्ता तथा बिम्ली के रेशे पटसन के स्थान पर पहले से ही काम में लाये जा रहे हैं। ये अधिकांश मात्रा में हैदराबाद, मद्रास, मध्य प्रदेश तथा बिहार में पैदा किये जाते हैं । इन फसलों की पैदावार निम्न लिखित है :—

१९५२-५३	१९५३-५४
(अन्तिम अनुमान)	(द्वितीय अनुमान)
६,३०,५६७ गांठें	५,३९,००० गांठें

(ख) इन दोनों फसलों की खेती जितने क्षेत्र में हो रही है उसको प्रोत्साहन दे कर उसमें वृद्धि करना सरकार की नीति नहीं है । उसकी नीति अच्छी किस्म के पटसन की खेती करना है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में अभी भी बहुत सी भूमि ऐसी पड़ी हुई है जिस पर खेती नहीं हो रही है और क्या मध्य प्रदेश के वैज्ञानिकों की राय यह है कि इस प्रकार की पटसन वहां बहुतायत से पैदा की जा सकती है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री किदवई): मैं मध्य प्रदेश की सरकार के पास माननीय सदस्य की बात भिजवा दूंगा और मैं आशा करता हूं कि वह भेजी गई सूचना से लाभ उठायेंगे ।

सेठ गोविन्द दास : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता था कि अब तक इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश की सरकार की कोई रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुई है और क्या इस सम्बन्ध में कोई सहायता मध्य प्रदेश की सरकार ने केन्द्र से चाही है ?

श्री किदवई : कम से कम मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन में दफ्तर में तहकीकात करूंगा कि इस तरह का कोई कागज आया है या नहीं ।

श्री झुनझुनवाला : पटसन के मूल्य के अनुपात से इन स्थानापन्नों की फसलों की उत्पादन लागत कैसी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : पटसन से इन दोनों की उत्पादन लागत कम है ।

श्री झुनझुनवाला: उसका प्रतिशत क्या है ?

पंडित डी० एन० तिवारी : प्रति एकड़ पैदावार क्या है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री टी० के० चौधरी : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को दृष्टिगत रखते हुए कि सरकार की नीति पटसन के उत्पान की किस्म को अच्छा बनाने की है, क्या अच्छी किस्म के पटसन का उत्पादन इस वर्ष कम हो गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अच्छी किस्म के पटसन का उत्पादन वढ़ाने के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं । किन्तु पटसन का समूचा उत्पादन इस वर्ष कुछ कम हो गया है क्योंकि बुवाई के प्रारम्भ में उसका मूल्य कम था । किन्तु अच्छी किस्म के पटसन के उत्पादन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । समूचे जूट का ही उत्पादन कम हो गया है ।

लंका से चावल आयात

*३५७. **सरदार ए० एस० सहगल:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने लंका सरकार से ३०,००० टन उबले हुये चावल को खरीदने की बातचीत की थी;

(ख) क्या यह पग चावल की कमी होने के कारण उठाया गया था ; और

(ग) दोनों सरकारों के मध्य किस प्रकार का समझौता हुआ ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) भारत सरकार ने लंका सरकार से ३०,००० टन मध्य प्रदेश के चावल के बदले उतनी ही मात्रा लंका के उबले हुये चावल लेने का प्रबन्ध किया है ।

(ख) और (ग). जी नहीं ; देश में चावल की कोई कमी नहीं हैं। घटी के राज्यों की आवश्यकतायें आंतरिक स्रोतों से ही पूरी की जा सकती है। यह प्रबन्ध त्रावनकोर कोचीन में उबले हुये चावल की अस्थाई कमी को पूरा करने के लिये किया गया है । वहां पर लोग उबला हुआ चावल पसंद करते हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि गवर्नमेंट ने स्टेट सरकारों को यह हिदायत दी है, खास कर मध्य प्रदेश सरकार को, कि वे उसना चावल प्राप्त करें, न कि जो मामूली चावल है उसे प्राप्त करें ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : यह बात सही है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या सरकार को यह मालूम है कि इस हिदायत के कारण सरकार ने मिल मालिकों को इस बात के लिये आगाह किया है कि वे अपने-अपने बॉयलर्स को बदल कर उसना चालव के बॉयलर्स लगायें ?

श्री किदवई : जब यह बात मान ली गई है कि हां ऐसा कहा गया है तो यह बात तो सही होनी ही चाहिये ।

कुमारी एनी० मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि त्रावनकोर-कोचीन के लिये लंका से आयात करने वाले चावल के मल्य में कोई अंतर है ?

श्री किदवई : मूल्य का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हम इसे अपने चावल के साथ बदल रहे हैं ।

आयातित खाद्य-पदार्थों पर भाड़ा

*३५९. **श्री झूलन सिन्हा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) भारत में आयात होने वाले खाद्य पदार्थों के भाड़े के संबन्ध में क्या भारतीयों द्वारा स्वामित्वप्राप्त तथा गैर-भारतीयों द्वारा स्वामित्वप्राप्त जहाजों की दरों में कोई अंतर है ; और

(ख) सन् १९५२ में भारतीय, तथा गैर-भारतीय जहाजों में, पृथक-पृथक कुल कितना खाद्य-पदार्थ आयात किया गया तथा उन्हें कितना कितना किराया दिया गया ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) माननीय सदस्य का आशय शायद सरकारी हिसाब में मंगाये गये खाद्यान्नों से है । भारतीय तथा विदेशी जहाजों के भाड़े की दरों में कोई अंतर नहीं है ।

(ख) भारतीय अधिकृत तथा विदेशी अधिकृत जहाजों में सन् १९५२ में भारत में आयात किये गये खाद्यान्नों की मात्रा तथा भाड़ा इस प्रकार है :—

	मात्रा (०००टनों में)	भाड़ा (लाख रुपयों में)
भारतीय जहाज	३२८.६	१५९.०
विदेशी जहाज	३५३५.४	३६२९.०

श्री झूलन सिन्हा: क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय जहाजों द्वारा परिवहन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि में भारत सरकार का इरादा भारतीय अधिकृत जहाजी कम्पनियों को दी जाने वाली सहायता बढ़ाने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): सहायता के प्रश्न के अतिरिक्त, हम भाड़ा देते हैं जो विदेशी तथा भारतीय दोनों समवायों को स्वीकार्य है ।

हवाई-अड्डों पर दमकल

*३६०. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत के समस्त हवाई अड्डों पर दमकलें हैं; और

(ख) किन–किन हवाई अड्डों पर नवीनतम किस्म के दमकलों की व्यवस्था है और उनकी क्या समाई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) । (क) उन सभी हवाई अड्डों पर जहां होकर कि अनुसूचित विमान परिवहन सेवायें कार्य करती हैं आवश्यक दमकलों की अथवा अग्नि विरोधी यंत्रों की व्यवस्था है ।

(ख) अपेक्षित सूचना दर्शाते हुए मैं एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १]**

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन हवाई अड्डों पर दमकलों की व्यवस्था कब की गयी थी ?

श्री राज बहादुर : मैं ठीक ठीक तारीखें तो नहीं बता सकता, किन्तु 'पिरीनी' तथा 'फोमाइट' अभी हाल में प्राप्त किये गये हैं, अन्यों को कुछ समय बीत चुका है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या ये दमकल बाहर से आयात किये गये थे ?

श्री राज बहादुर : जी हां ।

श्री मुनिस्वामी : किस देश से ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मुझे मालूम है 'पिरीनी' इंग्लैंड से मंगाया गया है ।

श्री जयपाल सिंह : क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि इस समय जो यंत्र वहां हैं वे आई० सी० ए० ओ० के मापदण्ड के अनुसार हैं ?

श्री राज बहादुर : 'पिरीनी' और 'फोमाइट' अवश्य ही इस मापदण्ड के अनुसार

हैं। यदि हम प्राप्त कर सकें, तो नवीनतम अग्नि शामक यंत्र अधिक अच्छा ही होता है।

केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड

*३६१. **श्री एस० एन० दास**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड ने इस समय अपने काम का क्या कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) इस पर होने वाला आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय कितना आंका गया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों से परामर्श करके कार्यक्रम नियत किया जायेगा ।

(ख) अभी तक कोई प्राक्कलन नहीं किया गया है ।

श्री एस० एन० दास: क्या राज्य सरकारों से अपनी योजनाऐं केन्द्रीय सरकार को देने को कहा गया है और क्या वे योजनायें अब तक केन्द्रीय सरकार को मिल चुकी हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: हमने गत मास समस्त सरकारों को एक अधिसूचना भेजी थी जिसमें भू-संरक्षण के सम्बन्ध में उनकी राय पूछी गयी थी । कुछ राज्य सरकारों का उत्तर आ चुका है और कुछ ने लिखा है वे अपनी योजनायें बना रही हैं और शीघ्र ही उन्हें भेजेंगी ।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन राज्यों ने अब तक अपनी योजनायें भेज दी हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: मैं इसकी पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय बोर्ड ने इस प्रयोजन के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को अर्थ-सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: यही कारण है कि हमने राज्य सरकारों से अपनी योजनायें हमें भेजने को कहा है । पंच वर्षीय योजना के आगामी दो वर्षों में इन योजनाओं पर हमारा एक करोड़ रुपया खर्च करने का इरादा है और इसीलिये हमने राज्य सरकारों से अपनी योजनायें भेजने को कहा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई योजना भेजी है, और यदि हां, तो वहां किस प्रकार का कार्य चल रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: मैं इस की पूर्व सूचना चाहूंगा ।

केन्द्रीय टिड्डी नियंत्रण विभाग

*३६४. **श्री गिडवानी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में सन् १९५३ में केन्द्रीय टिड्डी नियंत्रण विभाग पर कुल कितना व्यय किया गया ; और

(ख) इसी काल में कर्मचारिवृन्द पर कुल कितना व्यय किया गया ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) और (ख) . १ अप्रैल, १९५३ से ३१ दिसम्बर, १९५३ तक केन्द्रीय टिड्डी-विरोधी संघठन द्वारा राजस्थान में लगभग १२ लाख रुपये व्यय किये गये जिसमें से ५,४०,००० रुपये कर्मचारिवृन्द पर व्यय हुये ।

श्री गिडवानी: नवम्बर से मई मास तक के काल में, जब कि टिड्डी-विरोधक कार्यवाही नहीं करनी पड़ती, ये कर्मचारी क्या करते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: कर्मचारियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम श्रेणी ऐसे कर्मचारियों की है जिन्हें कि मुख्य कार्य में लगाया जाता है और द्वितीय श्रेणी के व्यक्तियों को टिड्डी विरोधक कार्य के समय नियुक्त किया जाता है। प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को अन्य कार्य भी करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि गैर-टिड्डी विरोधक काल के दिनों में उन्हें कुछ न करना पड़ता हो। अवशिष्ट टिड्डियों का सर्वेक्षण, गाड़ियों तथा मशीनों का परीक्षण तथा मरम्मत, प्रतिवेदन तैयार करना, हिसाब की जांच करना, आगामी कार्यवाही के दिनों के लिये तैयारी करना इत्यादि काम इस काल में उन्हें करने पड़ते हैं।

श्री गिडवानी: क्या यह सच है कि पश्चिमी क्षेत्र में, वर्षा अधिक होने के कारण सारा कर्मचारिवर्ग बेकार हो जाता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: यह एक असाधारण चीज़ है। इस वर्ष ऐसा हुआ कि राजस्थान में पहली बार बाढ़ आई। इस कारण से पश्चिमी क्षेत्र में टिड्डियों के प्रजनन की स्थिति अनुकूल नहीं थी तथा कर्मचारियों को कुछ समय के लिये बिना काम के रहना पड़ा। राजस्थान में प्रति वर्ष बाढ़ आने की आशा नहीं की जा सकती।

श्री मुनिस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि अभी हाल में पाकिस्तान तथा भारत के अधिकारियों के मध्य टिड्डी-नियंत्रण के लिये एक सम्मेलन हुआ था, और यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये ?

श्री एम०वी०कृष्णप्पा: प्रत्येक वर्ष हम उन सब देशों के साथ सम्मेलन करते हैं जिनका टिड्डियों से सम्बन्ध है, उदाहरणार्थ, पाकिस्तान, सीरिया, अरब तथा अन्य देश। पाकिस्तान के साथ लगभग तीन मास पूर्व सम्मेलन हुआ था।

श्री राघेलाल व्यास: क्या मैं जान सकता हूं कि टिड्डी संगठन में व्यय होने वाली इस १२ लाख रुपये वार्षिक राशि के अलावा, अतिरिक्त कर्मचारियों पर कितना व्यय होता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता होगी कि स्थायी कर्मचारिवर्ग पर कितना व्यय होता है और अस्थायी पर कितना ?

श्री गिडवानी: सामूहिक परियोजना अथवा शिक्षा के कर्मचारी जब बेकार्य होते हैं तो उस समय क्या उन्हें इस कार्य में लगाने के प्रश्न के औचित्य पर सरकार विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

परिरक्षित खाद्य

*३६५. **श्री राधा रमण**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन देशों के नाम जहां से परिरक्षित खाद्य आयात किया जाता है ; और

(ख) भारत में खाद्य परिरक्षण उद्योग का वार्षिक उत्पादन ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) मुख्यतः इंगलैंड, आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैण्ड्स तथा अमरीका से।

(ख) सन् १९५२ तक के आंकड़े संकलित किये गये हैं। उस वर्ष ११,८०० टन परिरक्षित फलों का उत्पादन किया गया। अन्य परिरक्षित खाद्यों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री राधा रमण: क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय आवश्यकता भारतीय उत्पादन से कहां तक पूरी होती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जितनी हमारे यहां कमी है उतना हम आयात करते हैं

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में परिरक्षित खाद्यों का उत्पादन कितना है और इसमें से कितने का उपभोग होता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सन् १९५२ में कुल उत्पादन ११,८०० टन था जिसका मूल्य १,७१,००,००० रुपये था ।

श्री राधा रमण : इस बात की दृष्टि में कि आम भारत में प्रचुर मात्रा में पैदा होता है तथा परिरक्षित आमों को विदेशों में भेजने से पर्याप्त लाभ की गुंजाइश है, क्या सरकार द्वारा आमों के परिरक्षण का कोई प्रयत्न किया गया.....

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : केवल आम ही नहीं वरन् अन्य फल भी । यदि मौसम में संतरे तथा अन्य फल भी समुचित रूप से परिरक्षित किये जायें तथा निर्यात किये जायें अथवा गैर मौसम के लिये परिरक्षित रखे जायें तो इससे देश की खाद्यान्न समस्या को सुलझाने में काफी योग मिलेगा । परिरक्षित अन्न में प्रोटीन होता है । हम भरसक सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि फल-संरक्षण फैक्टरियां कहां स्थित हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह प्रश्न माननीय सदस्य को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से पूछना पड़ेगा, किन्तु मैं समझता हूं कि जहां भी फल उगाये जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, कुर्ग तथा कुल्लू घाटी में, कुछ छोटे उद्योग फल संरक्षण के कार्य में लगे हुये हैं ।

श्री गिडवानी : मैं जानना चाहता हूं कि किन फलों में प्रोटीन होता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

सड़क निर्माण

*३६७. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राज्य सरकारों से बेरोज़गारी में कमी करने के लिये सड़क निर्माण करने की १० करोड़ रुपये की तदर्थ राशि को आवंटित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) इस राशि को राज्यवार कितना-कितना वितरित किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : अधिकतर राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं तथा उनकी जांच की जा रही है । राशि के राज्यवार आवंटन पर शीघ्र ही निर्णय किया जायगा ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि किन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप यह आवंटन आवश्यक हो गया था और क्या वे परिस्थितियां अब भी मौजूद हैं ? उस समय यह आवंटन तत्कालीन प्रचलित बेरोज़गारी के कारण आवश्यक समझा गया था । क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न राज्यों के लिये इस आवंटन की स्वीकृति में इतना समय क्यों लगा ?

श्री अलगेशन : मैं नहीं समझा कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं । क्या उनका कहना है कि इस समय बेरोज़गारी नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि यह राशि उस समय आवंटित क्यों नहीं की गयी जब कि बेरोज़गारी इतनी अधिक थी ?

श्री अलगेशन : रुपया यों ही तो नहीं फेंका जा सकता । हमने १० करोड़ रुपये आवंटित करने का निश्चय किया है तथा राज्य सरकारों से अपनी योजनायें भेजने को कहा है । अधिकतर राज्य सरकारों ने अपने प्रस्ताव भेज दिये हैं और हम अब इस प्रश्न पर कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्यों के राज्यमार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग इस योजना में सम्मिलित हैं अथवा नहीं ?

श्री अलगेशन : इस राशि में से उन योजनाओं में वित्तीय सहायता दी जायगी जो राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राज्यीय राजमार्गों में सम्मिलित नहीं हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि वर्तमान योजना को राज्यों के विद्यमान कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जायगा अथवा अभाव के क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे ?

श्री अलगेशन : इन सब बातों पर राज्यों द्वारा अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय विचार किया जाता है ।

जमुना नदी में गन्दगी का छोड़ा जाना

***३६८. श्री नंद लाल शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की सीमा में जमुना नदी में जो गन्दी नालियों का पानी बहता है उसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; तथा

(ख) इस काम को समाप्त करने में और कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) तथा (ख) । दिल्ली की सीमा में जमुना नदी में गन्दगी ले जाने वाले कुल चार पाइप आ कर गिरते हैं । उन्हें रोकने के लिये यह कार्यवाही की जा रही है :

१. **नजफ़गढ़ से गन्दगी ले जाने वाली नालिा** : गन्दगी साफ़ करने वाला एक अलग प्लांट, जो कि औद्योगिक क्षेत्रों से बहने वाला फ़ैक्टरियों का कूड़ा करकट रोकेगा, नजफ़गढ़ रोड पर तिहार के समीप लगाया जा रहा है । इस योजना को दिल्ली संयुक्त जल तथा मल बोर्ड ने पहले ही मंजूर कर लिया है तथा इसको पूरा करने में लगभग १८ महीने लगेंगे ।

२. **कुदसिया बाग़ के समीप गन्दगी ले जाने वाली नालियां** : गन्दगी को तेजी से ले जाने के लिये एक बड़ा पाइप लगाने का विचार है । नोटिफाइड एरिया कमेटी, सिविल लाइन्स, ने यह काम अपने हाथ में ले लिया है और अगस्त, १९५४ तक इसके समाप्त होने की सम्भावना है ।

३. **काश्मीरी गेट के समीप गन्दगी ले जाने वाली नालियां** : यह बेला रोड और वाल रोड के चौराहे पर हैं । वाल रोड से निगमबोध तथा मन्की पोइन्ट से चांदनी चौक तक की नालियों में गंदगी का बहाव बढ़ाने तथा निगमबोध से मन्की पोइन्ट तक मुख्य पम्पिग में तेजी लाने का काम हाथ में ले लिया गया है । पम्प करने की मशीनें आ रही हैं तथा निगमबोध घाट पर पम्पिग स्टेशन का कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायेगा । आशा की जाती है कि यह सब काम गर्मियों के अन्त तक समाप्त हो जायगा ।

४. **राजघाट के समीप गन्दगी ले जाने वाली नालियां**: इस क्षेत्र में गन्दगी ले जाने वाली नालियों को बढ़ाने के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की जा रही है । आशा की जाती है कि यह काम १८ महीने से लेकर दो वर्ष तक की अवधि में समाप्त हो जायेगा ।

डा० रामा राव : क्या इस सम्बन्ध में कोई सूचना संग्रह की गई है कि गन्दगी के नदी में मिल जाने के पश्चात् नदी के पानी में जीवाणु मात्रा कितनी हो जाती है ?

श्रीमती चन्द्र शखर : श्रीमान्, मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

डा० रामा राव : क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही करने का प्रयत्न करेगी कि गन्दगी नदी में न गिरे ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर में यही बतलाया गया है ।

पटसन जांच कमेटी

*३६९. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पटसन जांच कमेटी की सिफ़ारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : जी हां ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या केन्द्रीय पटसन कमेटी के अन्तर्गत बीज पैदा करने वाला फार्म बन गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सुझाव अब-भी विचाराधीन है तथा शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायगा ।

श्री मुनिस्वामी : क्या भारतीय केन्द्रीय पटसन कमेटी को पुनः संगठित करने का कोई विचार है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यद्यपि यह बात इस प्रश्न से नहीं उठती फिर भी मैं कह सकता हूं कि उसे पुनः संगठित करने का विचार है ?

रेडियो फ़्रीक्वेन्सी

*३७०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी महत्वपूर्ण बेतार सेवाओं को बनाये रखने के लिये इस समय भारत को कितनी फ्रीक्वेन्सियों की आवश्यकता है ;

(ख) क्या १९५१ में असाधारण प्रशासनीय रेडियो सम्मेलन, जिनेवा, ने भारत के अनेक आपरेशनों को विधान-बहिष्कृत कर दिया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने अपने संसाधनों के बल पर नई फ्रीक्वेन्सियां प्राप्त कर लीं थीं ; तथा

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) हमारी सब से महत्वपूर्ण बेतार सेवाओं को बनाये रखने के लिये जितनी फ्रीक्वेन्सियों की आवश्यकता होती है वह स्थायी नहीं होतीं बल्कि बदलती रहती हैं क्यों कि अन्य बातों के अलावा वे विस्तार तथा आपरेशनल परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं जो कि हमेशा ही बदलती रहती हैं ।

(ख) असाधारण प्रशासनीय रेडियो सम्मेलन के निश्चयों के कारण भारत के आपरेशनों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता हो गई है क्यों कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिये संशोधित टेबिल के अनुसार जो फ्रीक्वेन्सियों का नियतन हुआ है हमारी फ्रीक्वेन्सियां उनके समनुरूप नहीं हैं । फिर भी, इन निश्चयों के कारण संसार के समस्त अन्य देशों के ऐसे ही आपरेशनों पर प्रभाव पड़ा है जिनकी फ्रीक्वेन्सियां संशोधित फ्रीक्वेन्सी नियतन के समनुरूप नहीं थीं । जहां तक भारत का सम्बन्ध है अब तक ३०८ फ्रीक्वेन्सियों पर प्रभाव पड़ा है ।

(ग) जी हां । नई फ्रीक्वेन्सियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया लम्बी और पेचीदा है जिसमें अन्य देशों के समान ही भारत भी बराबर लगा रहता है ।

(घ) अब तक १३४ ।

श्री एस० सी० सामन्त : समय समय पर जो अन्तर्राष्ट्रीय हानिप्रद हस्तक्षेप होता

रहता है उससे बचने के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री राज बहादुर : हम ने एक संगठन बनाया है, जिसको बेतार योजना और समायोजन संगठन कहते हैं, जो कि एक ओर तो उन दायित्वों को पूरा करने का प्रयत्न करता है जो हमें अनेक सम्मेलनों में भाग लेने के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अपने ऊपर लेने पड़ते हैं तथा दूसरी ओर हमारी फ्रीक्वेन्सियों की रक्षा करता है । तीसरे यह कि वह उन नई फ्रीक्वेन्सियों का पता लगाने का प्रयत्न करता है जो वायुमण्डल में रहती हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : बेतार योजना और समायोजन शाखा कब बनाई गई तथा इसमें कितने टेकनिकल व्यक्ति काम करते हैं ?

श्री राज बहादुर : यह अगस्त, १९५३ या उससे कुछ पहले बनाया गया था तथा इसके सलाहकार एक योग्य व्यक्ति डा० सर्वते हैं तथा एक उप-डायरेक्टर भी हैं । छोटे पदों पर काम करने के लिये हमारे पास विशेषज्ञों की कमी है । हम ने इस सम्बन्ध में अपनी मांग संघलोक सेवा आयोग को भी भेज दी है ।

श्री एस० सी० सामन्त : ऐसी फ्रीक्वन्सियों का पता लगाने के लिये जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप होता है, क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री राज बहादुर : इस कार्य के लिये मौनीटरिंग व्यवस्था है तथा विशेषज्ञ मौनीटरिंग में भी लगे रहते हैं । इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व हैं जिनके अनुसार यह अनिवार्य हो जाता है कि अन्य देश हमारी फ्रीक्वेन्सियों में हस्तक्षेप न करें ।

पंजाब में छोटी सिंचाई परियोजनाएं

*३७१. **श्री डी० सी० शर्मा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१-५३ की अवधि में छोटी सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिये पंजाब राज्य को केन्द्रीय सरकार ने कितनी आर्थिक सहायता दी ?

(ख) इस सहायता से कितनी छोटी सिंचाई परियोजनायें कार्यान्वित की गईं ?

(ग) इन परियोजनाओं के फलस्वरूप अनुमानतः कितने एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) १९५१-५३ की अवधि में २१३.६ लाख रुपये ।

(ख) ४,८६३ योजनायें ।

(ग) पता लगा है कि १९५१-५२ में इन योजनाओं से ३,८८,५३१ एकड़ भूमि को लाभ हुआ था । आशा की जाती है कि १९५२–५३ में ४,८४,१३५ एकड़ भूमि को लाभ हुआ होगा किन्तु वास्तव में कितनी भूमि को लाभ पहुंचा है इसका पता अभी नहीं लगा है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार के पास पंजाब राज्य से अगले वर्ष के लिये कोई योजना आई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हां, श्रीमान् । अगले वर्ष के लिये अधिक अन्य उपजाओ सम्बन्धी समस्त योजनायें इस समय तक हमारे मंत्रालय में पहुंच जानी चाहिये थीं ।

श्री डी० सी० शर्मा : इन छोटी सिंचाई योजनाओं का नियतन राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाता है या राज्य और केन्द्र दोनों मिल कर करते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: यह काम पूरी तौर से राज्यों पर ही छोड़ दिया जाता है। हम केवल कुछ विशेष मामलों में, जिनके सम्बन्ध में राज्यों से अभिवेदन आते हैं, छानबीन करते हैं।

श्री डी० सी० शर्मा: क्या राज्य के उन भागों के बीच कोई भेद किया जाता है जो अतिरेक वाले क्षेत्र समझे जाते हैं और जो कमी वाले क्षेत्र समझे जाते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: स्वभावतः कमी वाले क्षेत्रों के मुक़ाबले में अतिरेक वाले क्षेत्रों में ऐसी अधिक योजनायें कार्यान्वित की जायेंगी।

श्री डी० सी० शर्मा: क्या सरकार की यह नीति नहीं होनी चाहिये कि वह छोटी सिंचाई योजनाओं का प्रबन्ध करके कमी वाले क्षेत्रों को भी आत्मनिर्भर बना दे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: पंजाब कमी वाला क्षेत्र नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: वह यह पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार को ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिये जिससे आत्मनिर्भर बनाने के सम्बन्ध में वह कमी वाले क्षेत्रों को ही अधिमान दें।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): इस समय यह नीति है कि जहां अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं वहीं रुपया लगाया जाये क्योंकि ऐसा करने से समस्त देश को लाभ होगा।

आगरा एक्सप्रैस

*३७२. **श्री विश्वनाथ राय:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार कुम्भ मेले के बाद आगरा एक्सप्रेस को पूर्वोत्तर रेलवे के भटनी या छपरा जंकशन तक बढ़ा देने का है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां): १-४-५४ से नवम्बर २१३ अप तथा २१४ डाउन आगरा एक्सप्रेस को भटनी और छपरा के बीच सिवाना स्टेशन तक बढ़ाने का विचार है।

श्री विश्वनाथ रॉय: क्या आगरा एक्सप्रेस उन्हीं स्टेशनों पर उसी समय रुका करेगी जिन पर कि वह कुम्भ मेले के दिनों में रुका करती थी ?

श्री शाहनवाज़ खां: वह उसी प्रकार चलेगी जिस प्रकार मेले से पहले चला करती थी।

श्री विश्वनाथ रॉय: मेले से पहले यह गाड़ी इलाहाबाद नहीं जाया करती थी इसलिये बढ़ाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अब, यदि मेले के पश्चात् यह सिवाना तक जाने लगेगी तो इसका समय वही रहेगा या बदल जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय: क्या प्रश्न स्पष्ट है ?

श्री शाहनवाज़ खां: काफी स्पष्ट तो नहीं है।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): हम समय के बारे में सूचना दे सकते हैं किन्तु मेरे पास यहां सूचना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: वह जानना चाहते हैं कि चूंकि अब गाड़ी बढ़ा दी जायेगी इस लिये समय वही रहेगा या बदल जायेगा ?

श्री अलगेशन: मैं यह सूचना दे सकता हूं।

श्री एस० एन० दास: क्या सरकार ने उन यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुये जो इस गाड़ी से उत्तरी बिहार, आसाम और उत्तरी बंगाल जाना चाहते हैं, इसे लखनऊ से आसाम तक बढ़ा देने के प्रस्ताव पर विचार किया है ?

श्री अलगेशन : इरादा यही है कि पहले इसे कठिहार तक बढ़ा दें और फिर अमीनगांव तक ।

चावल उगाने का जापानी तरीका

*३७३. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चावल उगाने के सम्बन्ध में सरकारी फार्मों पर, एक सी खाद और मेहनत के साथ, एक ही समय में जापानी तरीक़े और देशी तरीक़े पर वैज्ञानिक प्रयोग किये हैं ; तथा

(ख) क्या सरकार को किसी राज्य सरकार से उनके फार्मों पर किये गये इस तरह के प्रयोगों के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां । चावल उगाने के जापानी और देशी तरीक़ों के फ़ायदे मालूम करने के लिये १९५३–५४ में सरकारी फ़ार्मों पर प्रयोग किये गये थे जिनका ख़र्चा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उठाया था । ये प्रयोग १९५४-५५ में भी किये जायेंगे जिससे निश्चित परिणाम निकालने के लिये हमारे पास दो वर्ष के आंकड़े हों ।

(ख) जी नहीं । सूचना मंगाई गई है और प्राप्त होते ही सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह सच है कि यदि एक जैसी खाद और मेहनत से काम लिया जाये तो भारतीय तरीक़ा भी जापानी तरीक़े की तरह उपयोगी हो सकता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह ठीक ही है यदि हम और अधिक खाद का प्रयोग करें और बीजों के बोने में काफ़ी जगह छोड़ें । जापानी तरीक़े में कोई नई बात नहीं है—वह भी यही है । भारतीय तरीक़े में और ज्यादा सावधानी से काम ले कर कुछ काश्तकार उतना ही चावल उगा लेते हैं जितना जापानी तरीक़े से उगाया जाता है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : जब भारतीय तरीक़े से काम चल सकता है तो जापानी तरीक़े का प्रचार करने से क्या फ़ायदा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जापानी तरीक़े में एक-दो ख़ास बातें हैं । यह तरीक़ा काश्तकारों की समझ में आसानी से आ जाता है और अपनी सहज-बुद्धि से वे इसे पसन्द करने लगते हैं, क्योंकि बीजों के बोने में जगह छोड़ना भारत के लिये नई चीज़ है । हम बीजों को केवल बिखेर देते हैं । इस तरह बीजों के बिखेरने का तरीक़ा कई जगह काम में लाया जाता है । इससे केवल एक तिहाई हिस्से में ही फसल उगती है । जहां कहीं सिंचाई सुविधायें हैं, वहीं लोग पौदों को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं । बाक़ी क्षेत्र में बीजों को बिखेर दिया जाता है ?

चीनी की फैक्टरियां

*३७४. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) चीनी की फैक्टरियों की रजिस्ट्री के लिये जो आवेदन पत्र आये थे उनमें से १९५३ में कुल कितनों पर फ़ैसला किया गया ;

(ख) नई चीनी की फ़ैक्टरियां स्थापित करने के लिये जो आवेदन पत्र आये उनमें से इसी कालावधि में कितनों पर फ़ैसला किया गया ; तथा

(ग) चीनी उद्योग में काम आने वाली पूंजी वस्तुओं के आयात के लिये जो

आवेदन पत्र आये थे, उनमें से कितनों पर फ़ैसला किया गया ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) २ ।

(ख) ८ ।

(ग) पूंजी वस्तुओं के आयात के बारे में ५४ आवेदन पत्रों पर आयात लाइसेंस दिये जाने के लिये सिफ़ारिश की गई थी ।

श्री के० सी० सोधिया : भाग (क) के सम्बन्ध में मैं जान सकता हूं कि क्या सारी चीनी की फैक्टरियों को रजिस्टर कर लिया गया है ?

श्री० एम० वी० कृष्णप्पा : दस ने आवेदन किया था और आठ को रजिस्टर किया गया था । दो को इस वर्ष रजिस्टर कराने की अनुमति दे दी गई है ।

श्री के० सी० सोधिया : भाग (ख) के सम्बन्ध में मैं जान सकता हूं कि नई फ़ैक्टरियों के खोलने के लिये और पुरानी फ़ैक्टरियों के विस्तार के लिये कितने कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : आठ आवेदन-पत्र पुरानी फ़ैक्टरियों के स्थानों को बदलने के लिये आये हैं और दो नई मशीनरी आयात करने के लिये ।

श्री के० सी० सोधिया : भाग (ग) के सम्बन्ध में मैं जान सकता हूं कि पूंजी वस्तुएं नई फ़ैक्टरियों के लिये कितने मूल्य की थीं और पुरानी फ़ैक्टरियों के विस्तार के लिये कितने मूल्य की ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि फ़ैक्टरियों के विस्तार के लिये कितना दिया गया और नई फ़ैक्टरियां स्थापित करने के लिये कितना ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जैसा अभी बताया गया, आठ फ़ैक्टरियों के जगह बदलने के लिये और दो नई फ़ैक्टरियां स्थापित करने के लिये आवेदन पत्र आये हैं ।

श्री सारंगधर दास : नई फ़ैक्टरियां कहां कहां खोली जायेंगी ?

श्री किदवई : सारी दक्षिण में ।

पंडित डी० एन० तिवारी : कितनी फ़ैक्टरियों ने एक राज्य से दूसरे राज्य में फ़ैक्टरी ले जाने के लिये आवेदन किया है ?

श्री किदवई : जगह बदलने के लिये आठ फ़ैक्टरियों ने आवेदन किया है—कुछ ने राज्य में ही जगह बदलने के लिये और कुछ ने एक राज्य से दूसरे राज्य में जगह बदलने के लिये ।

रेलवे डाक सेवा में भरती

*३७५. **श्री धूसिया** : क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में रेलवे डाक सेवा में यू० पी० और बिहार में क्रमशः कितने लोगों को क्लर्क भरती किया गया ;

(ख) इनमें प्रत्येक राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों की संख्या कितनी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) यू० पी० सर्किल ३५

बिहार सर्किल २१

(ख) यू० पी० सर्किल

अनुसूचित जातियां २६

अनुसूचित आदिम जातियां कोई नहीं

बिहार सर्किल

अनुसूचित जातियां २

अनुसूचित आदिमजातियां १

श्री धूसिय : मैं जान सकता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की क्यों कम भरती हुई है ?

श्री राज बहादुर : जहां तक यू० पी० सर्किल का सम्बन्ध है, उस कालावधि में जिसके बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, अनुसूचित जाति के लोगों की नियुक्ति कम नहीं हुई है ।

श्री धूसिया : और बिहार में ?

श्री राज बहादुर : बिहार में अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में एक की कमी है और अनुसूचित आदिमजाति के लोगों की संख्या रक्षण के अनुसार ही है ।

श्री धूसिया : इन लोगों को प्रायः रक्षित कोटे के अनुसार नहीं लिया जाता मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी परिस्थितियों में रक्षित कोटे के रिक्त स्थानों को भरने के लिये इन पदों को फिर से विज्ञापित किया जायगा ?

श्री राज बहादुर : हम इस बात का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार आयें । हम इस में मदद देने के लिये विभिन्न संस्थाओं तथा संसद् और विधान सभाओं के सदस्यों से भी कहते हैं । इसके परिणामस्वरूप ही इस वर्ष हम यू० पी० में कुछ कमी पूरी कर सके हैं । बिहार में तीसरे पद के लिये उचित योग्यता वाला उम्मीदवार नहीं मिला था । इस लिये वहां एक की कमी रह गई है ।

श्री धूसिया : रक्षित कोटा पूरा नहीं होने की दशा में क्या सरकार उसे पूरा करने के लिये फिर से विज्ञापन करेगी ?

श्री राज बहादुर : एक वर्ष के कोटे में से जो संख्या बची होती है उसे अगले वर्ष की परीक्षाक्षा में शामिल कर लिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या उन पदों के लिये फिर से विज्ञापन किया जायेगा । वह यह नहीं चाहते कि माननीय सदस्य संसद् और विधान सभाओं के सदस्यों से इसके लिये कहें ।

श्री राज बहादुर : अनुसूचित जातियों के लिये परीक्षा अलग नहीं होती । यह वर्ष में एक ही बार हो सकती है और विज्ञापन उसी समय किया जायेगा जब हम परीक्षा का आयोजन करेंगे । अगली परीक्षा आने वाले वर्ष में की जाती है और यदि रक्षित संख्या में कोई कमी रह जाती है तो उसे अगले वर्ष में शामिल कर लिया जाता है ।

नई दिल्ली में [illegible] का पर्यालोकन

***३७६. श्री एम० एल० अग्रवाल (श्री बाल्मीकि की ओर से)** : क्या **परिवहन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी, १९५४ में नई दिल्ली में सड़क यातायात का पर्यालोकन करने के लिये कितने व्यक्तियों को रखा गया ;

(ख) उन्होंने कितने व्यक्तियों से प्रश्न पूछे ; तथा

(ग) पर्यालोकन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पर्यालोकन के लिये १० अस्थायी कर्मचारी रखे गये थे । इनके अलावा, १२७ क्षेत्र-कार्य कर्ताओं ने विभिन्न घरों से सूचना इकट्ठी की थी ।

(ख) क्षेत्र कार्य-कर्ताओं ने २,८७४ घरों में रहने वाले परिवारों के मुखियाओं से प्रश्न पूछे थे ।

(ग) लगभग १४,००० रुपये ।

उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर प्लेटफ़ार्म

*३७७. **श्री राम दास:** क्या रेलवे मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर रेलवे के उन स्टेशनों की संख्या जहां ऊंचे प्लेटफ़ार्म नहीं बनाये गये हैं ; तथा

(ख) क्या सरकार इन्हें ऊंचा बनाने का विचार करती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) ६३३ ।

(ख) जी हां, परन्तु धीरे धीरे ।

श्री राम दास: क्या सरकार कोई समय-सीमा बता सकती है ?

श्री शाहनवाज़ खां: कोई निश्चित सीमा नहीं बताई जा सकती ।

पंडित डी० एन० तिवारी: क्या सरकार को पता है कि एन० ई० आर० पर छपरा और सोनपुर के बीच कई स्टेशनों पर प्लेट-फार्म बहुत नीचे हैं जिससे मुसाफिरों को बड़ी कठिनाई होती है ?

श्री शाहनवाज़ खां: मुख्य प्रश्न उत्तर रेलवे के बारे में है । इसलिये मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

पटसन के फ़ार्म

*३७९. **श्री एल० एन० मिश्र:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पटसन उगाने वाले क्षेत्रों में कोई राजकीय फार्म खोले गये हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम और प्रत्येक राज्य में खोले गये ऐसे फ़ार्मों की संख्या क्या है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) तथा (ख). बिहार में, राज्य सरकार ने १९५४-५५ में २०० एकड़ के क्षेत्रफल वाला पटसन के बीज का एक फ़र्म खोलने का निश्चय किया है ।

पश्चिमी बंगाल में पटसन के बीज पैदा करने के लिये २५० एकड़ का एक फार्म पहले से ही है । राज्य सरकार ऐसे तीन फार्म और खोलने का विचार कर रही है ।

यू० पी० में पटसन के बीज पैदा करने का एक फ़ार्म पहले से मौजूद है ।

उड़ीसा सरकार इस समय पटसन का कोई फ़ार्म खोलने का इरादा नहीं रखती । उनके यहां कई विभागीय फ़ार्म हैं, जहां दूसरे कामों के साथ, पटसन के बीज भी पैदा किये जाते हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र: इन राजकीय फार्मों की खास खास बातें क्या हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: वहां अच्छे किस्म का पटसन और अच्छे किस्म के पट-सन के बीज पैदा किये जाते हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या ये राज-कीय फ़ार्म उन फ़ार्मों के अलावा होंगे जो बिहार और बंगाल के कुछ भागों में मौजूद हैं या वे इन से भिन्न होंगे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: जैसा मान-नीय सदस्य स्वयं जानते हैं, यह फ़ार्म एक विशेष पटसन समिति की सिफ़ारिशों पर खोले गये हैं । जो फ़ार्म इस समय हैं वे इनके बराबर बड़े नहीं हैं । ये फ़ार्म जो विभाग के अधीन हैं दस बीस या तीस एकड़ के हैं । राजकीय फ़ार्म बिल्कुल भिन्न हैं । वहां अच्छे किस्म के बीजों से केवल पटसन ही उगाया जायेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र: इसके लिये रुपया संघ सरकार देगी या राज्य सरकार ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: कुछ संघ सरकार और कुछ राज्य सरकार—हमने उन्हें रुपया उधार देने का वचन दे दिया है ।

श्री मुनिस्वामी: पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पटसन के अतिरिक्त उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: हमें पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य के पूरा हो जाने की आशा है। उन्होंने लगभग ५३·९ लाख गांठें निर्धारित की हैं ।

श्री सारंगधर दास: क्या उड़ीसा सरकार ने इस तरह का फार्म खोलने के लिये मना कर दिया है जहां पटसन का उत्पादन और किस्म सुधारने के लिये प्रयोग किये जायेंगे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: उसने मना नहीं किया है । वहां विभाग के अधीन पहले ही से कुछ फ़ार्म हैं । वह यह देखना चाहती है कि बजाय नये फ़ार्मों में रुपया खर्च करने के उन्ही फ़ार्मों से वैसे ही परिणाम निकल सकते हैं या नहीं । उनका ऐसा ही विचार हैं ।

खेतिहर मजदूर

***३८०. श्री तिम्मय्या:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने देश में खेतिहर मज़दूरों की स्थिति के नमूना परिमाप का परिणाम निर्धारित कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह परिणाम क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) (क) तथा (ख) खेतिहर मजदूरों सम्बन्धी जांच की प्रथम स्थिति के परिणाम पहले १९५३ में, भारत में "खेतिहर मजूरी" नाम के एक लेख में दो अंकों में प्रकाशित हुए थे । जांच की दूसरी स्थिति का प्रतिवेदन छप रहा है तीसरी और अन्तिम स्थिति अर्थात् परिवार सम्बन्धी गहन सर्वेक्षण के सम्बन्ध में राज्यों के विषय में प्रतिवेदन छप रहा है और "अखिल भारतीय" प्रतिवेदन तैयार होने वाला है । जांच की तीनों स्थितियों के मुख्य परिणामों सम्बन्धी एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एस०—४५/५४]

श्री तिम्मय्या: क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों की राय ली है ?

श्री वी० वी० गिरि: हां, श्रीमान् । माननीय सदस्य सदन-पटल पर रखे विवरण को पढ़ें तो उसमें बहुत जानकारी मिलेगी ।

श्री तिम्मय्या: इस में राज्य सरकारों की राय का वर्णन नहीं है ।

श्री वी० वी० गिरि: यह भी राज्य सरकारों की राय पर आधारित है ।

श्री शिवनंजप्पा: क्या सरकार खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिये कोई व्यापक विधान प्रस्तुत करने का विचार रखती है ?

श्री वी० वी० गिरि: ऐसा विधान है ।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार खेतिहर मज़दूरों की स्थिति की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने का विचार रखती है ?

श्री वी० वी० गिरि: हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है । संभवतः राज्यों का विचार हो।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या खेतिहर मज़दूरों में पुरुषों और स्त्रियों को दी जाने वाली मज़दूरी में

अन्तर है ? क्या इस जांच के फलस्वरूप स्त्रियों को दी जाने वाली मज़दूरी की कोई औसत निकाली गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : हां, श्रीमान् ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हुं कि यह क्या है ?

श्री वी० वी० गिरि : माननीया सदस्या यदि विवरण में देखें तो वहां यह दिया गया है। [पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या एस ४५/५४ एस क्यू ३८० पी ५७]

रेलवे इंजीनियर

*३८१. **श्री आर० के० चौधरी :** (क) क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अस्थायी प्रथम वर्ग रेलवे इंजीनियरों के संग्रह को एक पृथक वर्ग (काडर) माना चाता है और पदोन्नतियों आदि के मामले में इन इंजीनियरों को कहीं गिना ही नहीं जाता और अन्य प्रथम वर्ग के पदाधिकारियों को अधिमान दिया जाता है ?

(ख) यदि ऐसा होता है, तो सरकार इस सम्बंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(ग) क्या सरकार उन्हें शीघ्र स्थायी तौर पर वर्ग १ में लेने के लिये कार्यवाही करने का विचार रखती है और उनके सेवा की अवधि का विचार रखते हुए उन की वरिष्टता निर्धारित करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अस्थायी इंजीनियर स्थायी वर्ग १ के पदाधिकारियों की श्रेणी में नहीं हैं और स्थायी पदाधिकारियों के साथ उन्हें उच्च पदों पर उन्नति नहीं मिल सकती फिर भी उन्हें निर्माण सम्बन्धी अथवा वर्ग (काडर) से बाहर के अन्य अस्थायी वरिष्ट श्रेणी पदों में स्थानापन्न रूप से पदोन्नति दी जाती है यदि वे ऐसी पदोन्नति के लिए अन्यथा उपयुक्त हों।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।

(ग) सरकार अस्थायी इजीनियरों को अनुग्रह रूप से स्थायी तौर पर रखने के प्रश्न पर विचार कर रही है। वरिष्टता निर्धारित करने के प्रश्न पर बाद में निर्णय किया जायेगा।

श्री आर० के० चौधरी : माननीय मत्री ने उन्हें स्थायी तौर पर रखने का उल्लेख किया है। ऐसा कब तक किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : इस पर अब भी विचार किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि इस में देर नहीं लगेगी।

श्री आर० के० चौधरी : यह बहुत अस्पष्ट है।

श्री के० के० बसु : आसाम रेलवे के समान बहुत धीमि गति है।

अध्यक्ष महोदय : शन्ति, शान्ति ।

श्री आर० के० चौधरी : यह संभवतः मेर जीवन काल के बाद ही हो।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

बीड़ी श्रमिक संघ

*३८२. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जब वे हाल में मैसूर गये तो क्या वहां के बीड़ी श्रमिक संघ ने उन्हें एक स्मृतिपत्र दिया था ; तथा

(ख) सरकार ने उन की शिकायतों को दुर करने के लिये क्या किया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख). रामनगरम बीड़ी मज़दूर संघ ने एक स्मृतिपत्र प्रस्तुत किया था उस में यह चार बातें कही गई थीं :

(१) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को बीड़ी श्रमिकों पर लागू करना ;

(२) आवास की सुविधाएं देना ;

(३) हैदराबाद या बंगलोर में श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण की एक शाखा (बेंच) रखना ;

(४) बीड़ी श्रमिकों के रहन सहन की स्थिति और मजूरी की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करना ।

जब तक कर्मचारी भविष्य निधि योजना वर्तमान रूप में दृढ़तापूर्वक स्थापित हो जाये और इस के कार्य में पर्याप्त अनुभव प्राप्त न हो तब तक उन छः उद्योगों के इलावा, जिन पर यह लागू है, अन्य उद्योगों में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को लागू करना वांछनीय नहीं समझा जाता है । मद (२) तथा (४) में प्रस्तुत किये गये विषय, मुख्यतः राज्य सरकार से सम्बन्धित हैं । मद (३) के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण की एक शाखा (बेंच) मद्रास, मैसूर, कुर्ग इत्यादि राज्यों से आने वाली अपीलों को सुनने के लिए निश्चित अवधि के पश्चात् मद्रास और, कभी कभी, बंगलोर जाता है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या सरकार ने राज्य सरकारों को कहा है कि वे बीड़ी श्रमिकों पर फैक्टरी अधिनियम लागू करें ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरे विचार में ऐसा नहीं किया गया है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या सरकार को यह पता लगा है कि इन बीड़ी के कारखानों के स्वामियों ने केवल फैक्टरी अधिनियमों से बचने के लिए नए केन्द्र खोलना आरम्भ किया है ?

श्री वी० वी० गिरि : इस सम्बन्ध में एक शिकायत आई है और हम जांच कर रहे हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री वी० वी० गिरि : हम मामले की जांच कर रहे हैं ।

नौकरी दफ़्तर

*३८३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **श्रम** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में नौकरी दफ्तरों में कितने बेकार मेट्रिकुलेट, ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएटों ने अपना नाम रजिस्टर कराने की प्रार्थना की ;

(ख) इन में से कितने लोगों को नौकरी दफ़्तर के प्रयास से नौकरी मिली ;

(ग) इस प्रकार दिलाई गई नौकरियों में सरकारी और गैर-सरकारी नौकरियों का क्या अनुपात रहा है ; तथा

(घ) क्या यह सत्य है कि १९५४ के आरम्भ से रजिस्टर कराने वालों की संख्या में कमी हुई है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) से (घ) तक. जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रखी जायेगी ।

लाख

*३८४. **श्री आर० एन० सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ और १९५३ में किन किन स्थानों में लाख पाया गया और कितनी मात्रा में

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णपा) : चपड़ा लाख का निर्मित उत्पाद है । भारत में लाख के उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा उत्पादन की मात्रा के बारे में एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्य २]**

चपड़े के उत्पादन के ठीक राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री आर० एन० सिंह: स्टेटमेंट के देखने से ऐसा जान पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में लाख की पैदावार बहुत कम होती है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस के लिए क्या प्रबन्ध कर रही है कि इसकी पैदावार अधिक हो ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): लाख का इस्तेमाल मुल्क के बाहर जितना होता था अब उतना नहीं होता, खरीदार कम हैं। लिहाज़ा ज्यादा पैदा करने में नुक्सान होगा।

श्री मुनिस्वामी : बाज़ार में चपड़े की चालू दरें क्या हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से पूछ लें।

यूनानी चिकित्सा प्रणाली

*३८५. **श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या यूनानी चिकित्सा प्रणाली के बारे में कोई अनुसंधान किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): उपलब्ध जानकारी के अनुसार चिकित्सा की इस प्रणाली के बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया जा रहा है।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी : क्या सरकार ऐसे अनुसंधान केन्द्र खोलने का विचार कर रही है ताकि इस प्रणाली के लाभ पता लग सकें ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मंत्रालय इस योजना पर विचार कर रहा है।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी: क्या कुछ ऐसे चिकित्सालय हैं जिन में यह प्रणाली चलाई जाती है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : कई स्थानों पर यूनानी औषधियां प्रयोग की जाती हैं।

श्री एस० सी० सामन्त: हाल में राजकोट में हुए स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में यूनानी अनुसंधान के सम्बन्ध में क्या कुछ कहा गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): यूनानी के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया क्योंकि किसी राज्य में भी यूनानी प्रणाली के बारे में अनुसंधान नहीं किया जा रहा है। इस लिए केन्द्रीय सरकार ने इस प्रश्न को हाथ में लिया है और हम इस संबन्ध में कोई योजना सोच रहे हैं।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस सम्मेलन के सम्बन्ध में समाचारपत्रों में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिला सकता हूं जिस में कहा गया है कि सम्मेलन में हुई चर्चाओं के फलस्वरूप आयुर्वेद और यूनानी का अनुसंधान किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक यही बात उन्होंने भी कही है।

कुम्भ मेले की रेलगाड़ियां

*३८६. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह**: (क) क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान श्री जयप्रकाश नारायण के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि रविवार, ३१ जनवरी, १९५४ को मुख्य रूप से कुम्भ मेले के यात्रियों को ले जाने वाली एक रेल गाड़ी की छत पर बैठे तीन यात्री मर गये जब कि गाड़ी सोनपुर रेलवे स्टेशन में घुस रही थी ?

(ख) यदि हां, तो रेलवे अधिकारियों ने इन तीन यात्रियों को गाड़ी के छत पर क्यों जाने दिया था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) ३१, जनवरी १९५४

को नम्बर ३२१ गाड़ी के छत पर बैठे तीन यात्री, गाड़ी के सोनपुर स्टेशन में घुसते समय प्लेटफार्म के छप्पर के साथ टकराने से मर गये।

(ख) रेलवे अधिकारियों ने इन यात्रियों को छत पर बैठ कर सफर करने की अनुमति नहीं दी। चूंकि इतनी भीड़ थी जितनी पहले कभी नहीं रही है, यह यात्री छत पर बैठ ही गये यद्यपि रेलवे द्वारा हर सम्भव कोशिश की जा रही थी कि कोई छत पर न बैठे।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह: इस प्रकार की घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री अलगेशन : साधारण रूप से जब भी कभी भीड़ हो तो यात्री कुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा करते हैं। रेलवे अधिकारी उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और वहां से हटाते हैं, और यदि आवश्यकता पड़े तो पुलिस से भी सहायता ली जाती है। परन्तु यह पहला ऐसा अवसर था जब कि इतनी अतुल्य भीड़ थी। माननीय सदस्य इस बात का विश्वास तभी कर सकते हैं यदि उन्होंने देखा हो कि कितनी भीड़ थी। इस अवसर पर रेलवे अधिकारियों द्वारा कुछ किया जाना बिल्कुल असंभव था।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या इन मरे हुए आदमियों के परिवारों को कुछ मुआवज़ा दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि वह सब कुछ सामान्य विधि के अनुसार होगा।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि कुम्भ मेले में विशेषकर उत्तर रेलवे पर पहरेदार (वाच एंड वार्ड) पुलिस तथा अन्य प्राधिकारियों ने स्टेशन के अधिकारियों के सहयोग से सीढ़ियों का खुला उपयोग किया था ?

अध्यक्ष महोदय : यात्रियों को गाड़ियों के छतों पर चढ़ने में सहायता देने के लिये क्या ?

डा० राम सुभग सिंह: छतों पर चढ़ाने के लिये।

श्री अलगेशन : रेलवे अधिकारी कभी भी यात्रियों को छतों पर चढ़ने में सहायता नहीं करते। मैं तो ऐसी बात पहली बार सुन रहा हूं।

श्री नम्बियार : कम से कम छतों से उतारने के लिये।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस उद्देश्य से कि ऐसी दुर्घटनायें न हों, क्या सरकार प्लेटफार्मों के छप्पर ऊंचे करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से प्लेटफार्मों के छप्पर ऊंचे करना ?

श्री अलगेशन: प्रश्न तो छत पर बैठे यात्रा करने को रोकना है और इस में प्लेटफार्मों के छप्पर ऊंचे करने का सवाल ही नहीं उठता।

चतुर्थ वर्ग के पदों के लिये भर्ती

*३८७. **श्री वीरस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिसम्बर, १९५३ तथा जनवरी १९५४ में न्यू कोच फैक्टरी, अथनावरम्, मद्रास, तथा गोल्डन रॉक वर्कशाप में चतुर्थ वर्ग के पदों के लिये भरती की गई ;

(ख) यदि हां, तो दोनों जगहों में अलग अलग कितने कितने उम्मेदवार भर्ती किये गये ; तथा

(ग) प्रत्येक में कितने अनुसूचित जातियों के उम्मेदवार लिये गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, परन्तु गोल्डन राक वर्कशाप में जनवरी १९५४ में कोई भर्ती नहीं की गई ।

(ख) तथा (ग).

इंटेग्रल कोच फेक्टरी	७, जिन में से एक अनुसूचित जाति का है।
गोल्डन राक वर्कशाप	५३, जिन में से ५२ अनुसूचित जातियों के हैं।

श्री वीरस्वामी : इन दो वर्कशापों में कितने प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित रखे गये हैं।

श्री अलगेशन : प्रतिशतता १२ १/२ है। गोल्डन राक वर्कशाप में, जैसा माननीय सदस्य ने देखा है, भर्ती किये गये ५३ आदमियों में से ५२ अनुसूचित जातियों के हैं, अर्थात् लगभग शत प्रतिशत ।

श्री वीरस्वामी : क्या रेलवे कर्मचारियों के पुत्रों को इन वर्कशापों में भर्ती के मामले में अधिमान नहीं दिया जाता ?

श्री अलगेशन : संविधान के अनुसार तो कोई भेद नहीं किया जा सकता ।

श्री मुनिस्वामी : क्या रेलवे संघों की ओर से कोई ऐसा अभ्यावेदन किया गया था कि रेलवे कर्मचारियों के पुत्रों को अधिमान दिया जाये और यदि किया गया था तो क्या इस पर विचार किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस बात का उत्तर पहले प्रश्न के उत्तर में निहित है । उन्होंने बताया है कि संवैधानिक स्थिति क्या है ।

श्री मुनिस्वामी : यह तो संघों द्वारा माननीय रेलवे मंत्री को भेजे गये ज्ञापन के बारे में हैं।

श्री नम्बियार : क्या गोल्डन राक वर्कशाप में हाल ही में भर्ती किये गये सारे अनुसूचित जातियों के श्रमिकों को सामयिक श्रमिक माना जाता है जब कि अन्य सारे साधारण श्रमिक माने जाते हैं?

श्री अलगेशन : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, परन्तु मैं जांच कर सकता हूं ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें

***३८८. श्री दामोदर मेनन** : (क) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अब तक कितने व्यस्क नागरिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है

(ख) इन प्रशिक्षार्थियों में से कितने को नौकरी मिली है और कितने अभी बेकार हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) २८,९३७ ।

(ख) क्योंकि इस समय व्यक्तिगत रूप से भूतपूर्व प्रशिक्षार्थियों के बारे में सारी बातों का पता रखने के लिये सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, ठोक ठीक जानकारी प्राप्य नहीं ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें

***४०२. श्री दामोदर मेनन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा चालित विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षार्थियों को दी गई उपाधियों (डिपलोमों) को कुछ राज्य सरकारों ने मान्यता नहीं दी है ;

(ख) यदि ऐसा है तो, वे राज्य कौन-कौन से हैं और इसके लिये क्या कारण बताये गए हैं ; तथा

(ग) इन उपाधियों को सभी राज्यों से मान्यता प्राप्त कराने के लिये श्रम मंत्रालय ने क्या-क्या कार्यवाहियां की हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) हां ।

(ख) कुछ राज्यों ने उपाधियों को पूर्णरूपेण मान्यता दी है, अन्य राज्यों ने केवल कुछ व्यवसायों में ही, जब कि कुछ राज्यों ने न तो उपाधियों को मान्यता ही दी है और न उत्तर ही भेजा है । वर्तमान स्थिति बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३.]**

(ग) उपाधियों को मान्यता दिलाने के लिये राज्य सरकारों पर ज़ोर डाला जा रहा है । साथ ही एक राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणदाता बोर्ड की स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है, जिसके प्रमाण-पत्रों तथा अपाधियों को राष्ट्र की ओर से मान्यता प्राप्त होगी ।

श्री दामोदर मेनन: क्या जिन सरकारों ने इन उपाधियों को मान्यता नहीं दी है उन्होंने इसके लिये कोई कारण दिये हैं ?

श्री वी० वी० गिरि: उन्होंने योग्य उम्मेदवारों के न मिलने के अतिरिक्त सम्भवत: और कोई कारण नहीं बताया है । किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिला सकता हूं कि केन्द्र राज्य सरकारों को वैसा करने के लिये प्रेरित करने का प्रयत्न कर रही है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राजस्थान से गेहूं का निर्यात

***३५८. श्री गोपाल राव**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन जन संघर्ष समिति की ओर से हस्तक्षेप करने तथा राजस्थान से गेहूं का निर्यात रोक देने के संबंध में प्राप्त हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : हां, श्रीमान् ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

***३६२. श्री बंसल**: क्या **श्रम** मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय **श्रम** संगठन की उत्पादन सम्बन्धी टीम के प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : आई० एल० ओ० के विशेषज्ञों की उत्पादन सम्बन्धी टीम अभी अपना कार्य कर रही है और जांच समाप्त कर लेने के पश्चात् ही उसका अन्तिम प्रतिवेदन उपलब्ध हो सकेगा । विशेषज्ञों ने एक अन्तर्कालीन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस०—४३/५४]**

पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी

***३६३. श्री ए० के० गोपालन**: क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में पोर्ट-ट्रस्ट के कर्मचारियों की वृद्धावस्था प्राप्ति के पश्चात् सेवा काल में विस्तार करने के कोई उदाहरण उपस्थित हुए हैं अथवा १९५३–५४ के लिये सरकार से विस्तार करने की सिफारिश की गई है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उनकी संख्या तथा कारण ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) सात ; सभी प्रकरण औद्योगिक व्यक्तियों के सम्बन्ध में थे तथा उनका

सेवा विस्तार लोक हित की दृष्टि से किया गया था।

चीनी स्टाक

*३६६. **श्री एस० सी० सिंघल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री पिछले तीन वर्षों की तुलना में कारखानों में विद्यमान इस समय का चीनी का स्टाक बताने की कृपा करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): ३१ जनवरी को कारखानों में चीनी का स्टाक निम्न प्रकार से था।

(लाख टनों में आंकड़े)

१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४
४.३८	५.३८	७.१८	४.४८

रेलवे लाइनें

*३७८. **श्री आर० एन० एस० देव :** क्या **रेलवे** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ७३० का निर्देश कर बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्रमश:

(१) सम्बलपुर-तितिलागढ़ तथा (२) सम्बलपुर-कान्ताबन्जी लाइनों की लम्बाई, मीलों में तथा उनकी अनुमानित लागत ; तथा

(ख) क्या उनके निर्माण के सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) प्रस्तावित लाइन की लम्बाई सम्बलपुर के कान्ताबन्जी तक लगभग ११५ मील होगी। १९४६-४७ में इस लाइन की लागत का अनुमान लगभग ४·४७ लाख रुपये लगाया गया था किन्तु अब इसकी लागत अनुमानत: ६ करोड़ रुपये होगी। सम्बलपुर-तितिलागढ़ लाइन की लम्बाई तथा लागत लगभग इतनी ही होगी।

(ख) अभी नहीं।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन
(कृषि उपयोगी मशीनों पर नुकसान)

*३८९. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पाशा भाई पटेल एंड कम्पनी द्वारा बनाये हुए कृषि उपयोगी क़ल पुर्ज़ों के प्रभोत से हुआ नुकसान केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन के मत्थे पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इस वजह से किसानों को प्रति एकड़ कितना रुपया और देना पड़ता है ; तथा

(ग) इस संघटन द्वारा जो ज़मीन जोती जाती है उसकी प्रति एकड़ लागत क्या आती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) पाशा भाई के कलपुर्जों से हुआ नुक़सान उसको बेच देने के बाद ही ज्ञात हो सकेगा। पाशा भाई कलपुर्ज़ों का टूट-फूट व्यय केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ही करता है जिसका ब्योरा निम्न प्रकार से है :

१९४६-५०	१,१९,१५४ रु०
१९५०-५१	१,३०,९०२ रु०

पाशा भाई कलपुर्ज़ों के पूंजीगत मूल्य के ब्याज के रूप में १,२७,२३० रु० की वार्षिक राशि भी केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ही व्यय करती है।

(ख) पाशा भाई कलपुर्ज़ों पर ब्याज के रूप में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा लगभग ८ आने प्रति एकड़ की दर से तथा इस सामान पर टूट-फूट व्यय के रूप में १९४७-५१ तक लगभग १ रु० प्रति एकड़ वसूल किया गया था।

(ग) केन्द्रीय ट्रक्टर संगठन द्वारा कोई भी कृषि कार्य नहीं किया गया है । सामान्यतः गहरी जुताई द्वारा कृषि योग्य बनाने का शुल्क ६० रु० प्रति एकड़ है । सफाई का यदि कोई कार्य उसी भूमि पर कराना हो तो उसके लिये अलग से ६५ रु० प्रति घंटा वसूल किया जाता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

*३९०. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्टीय श्रम संगठन को अन्तर्देशीय परिवहन समिति का पांचवा अधिवेशन फरवरी १९५४ में जेनेवा में होने वाला है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या भारत ने अपने प्रतिनिधि चुन लिये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) हां ।

दिल्ली दूध वितरण योजना

*३९२. **सेठ गोवन्द दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा दिल्ली में कुल कितने दूध का वितरण किया गया ;

(ख) इसमें कितना विशुद्ध दूध था, कितना जल मिश्रित या टोन्ड था, कितना गाय का था और कितना अन्य पशुओं का ;

(ग) कितना दूध सरकार द्वारा नियंत्रित डेयरियों से प्राप्त हुआ और कितना अन्य डेयरियों तथा ग्वालों से; तथा

(घ) दिल्ली में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या क़दम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) ४४,२४६ मन (चवालीस हज़ार, दो सौ छयालीस मन) ।

(ख) गाय का दूध तथा गाय व भैंस का मिला हुआ दूध वितरित किया गया था, जिनकी मात्रा में क्रमशः १२,१२७ मन व ३२,११९ मन थीं ।

(ग) १४,६२६ मन दूध सरकारी संस्थाओं से तथा ३५,२०६ मन दूध अन्य स्थानों से प्राप्त किया गया था ।

(घ) दिल्ली में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये दिल्ली की सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं :—

(१) १८ भैंसे तथा १७ सांड चालू वर्ष में पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये ग्रामों में वितरित किये गए हैं ।

(२) उत्पादनों का मार्ग प्रदर्शन करने के लिये एक डेयरी विकास अधिकारी की नियुक्ति की गई है ।

इसके अतिरिक्त आई० सी० ए० आर० ने बवाना क्षेत्र में पशु विकास के लिये एक प्रथम मूल ग्राम योजना चलाई है । इस योजना के अन्तर्गत अच्छे किस्म के सांडों द्वारा पशुओं के कृत्रिम प्रजनन के लिये एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोला गया था । जहां कृत्रिम गर्भाधान के लिये मालिकों ने आपत्ति की भी वहां प्राकृतिक रूप से कार्य करने के लिये सांड भी वितरित किये गए थे । उन्नति के अन्य उपाय जैसे बधिया करना तथा रोग नियन्त्रण भी लागू किये गए थे ।

कृषि सम्बन्धी प्रकाशन

*३९२. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा** कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मन्त्रालय के प्रकाशनों पर बिक्री अथवा विनिमय की १९५२-५३ की योग आय तथा उस पर किया गया व्यय ; तथा

(ख) क्या हानि को दृष्टि में रखते हुए किसी पत्र-पत्रिका को बन्द कर देने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के सशुल्क प्रकाशन सामान्यत: प्रकाशन मैनेजर के द्वारा ही प्रकाशित होते हैं तथा बेचे जाते हैं, जो पूर्णरूपेण भारत सरकार के सभी प्रकाशनों के छपने तथा विक्रय पर नियन्त्रण रखता है। अत: १९५२-५३ की योग आय तथा व्यय के इस मंत्रालय द्वारा किये गए प्रकाशन के अलग-अलग संक्षिप्त आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

(ख) नहीं।

राष्ट्रीय उत्पादन केन्द्र

*३९३. **श्री बंसल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार भारत में एक राष्ट्रीय उत्पादन केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो वह कहां स्थापित किया जायेगा ; तथा

(ग) इसके कार्य क्या होंगे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) हां।

(ख) केन्द्र को बंबई में स्थापित करने का विचार है।

(ग) उत्पादन केन्द्र के कार्य दो होगें :

(१) उत्पादन सम्बन्धी अध्ययन को चलाना तथा मालिकों एवं सम्बन्धित मज़दूरों के संहयोग स मज़दूरों की उत्पादन शक्ति तथा आय में वद्धि करने तथा इन संयत्रों में कार्य की स्थिति में सुधार कर कुछ छंटे हुए संयत्रों आधुनिक औद्योगिक इन्जीनियरिंग तकनीक को लागू करने में सहायता दे;

(२) इन संयत्रों तथा अन्य संयत्रों से प्रबन्ध कर्त्ताओं तथा मज़दूरों के प्रतिनिधियों तथा सरकारी नाम निर्देशित के लिये सभी प्रकार के आधुनिक औद्योगिक इन्जीनियरिंग तकनीक में व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठयक्रम की व्यवस्था करना ; तथा

(३) प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के उनके अपने संयन्त्रों पर होने वाले काम की पड़ताल।

टिड्डी नियन्त्रण

*३९४. **श्री गिडवानी : खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) टिड्डियों की उत्पत्ति पर नियन्त्रण करने के लिए किन किन विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है; और

(ख) सब से सस्ता और प्रभावोत्पादक तरीका कौन सा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) टिड्डियों की उत्पत्ति पर नियन्त्रण करने के लिए भारत में निम्न साधनों का प्रयोग किया जाता है :

(१) टिड्डियों के बच्चों पर विष छिड़कना ;

(२) उतरे हुए टिड्डी दलों पर विशेषतया उस समय जब के मैथुनरत हों या अन्डे दे रही हों, विष छिड़कना ;

(३) टिड्डियों के बच्चों को विशेष रूप से खोदी गई, लम्बी खाइयों में धकेलना और उन्हें मिट्टी के नीचे दबा देना ;

(४) बांसों द्वारा आग फैंक कर टिड्डियों के बच्चों या बड़ी टिड्डियों को जलाना, विशेषतया उस समय जब ये जंगली झाड़ियों में या वृक्षों पर जमा हो गई हों;

(ख) विष फैला देना टिड्डियों को मारने का सब से सस्ता तरीका है, किन्तु

भारत में सस्ता चोकर उपलब्ध नहीं है और परिवहन भी कठिन है। अतः भारत में यह तरीका प्रयोग करना सरल नहीं है। इश देश में सब सें अधिक प्रभावोत्पादक तरीका टिड्डियों पर विष छिड़कना है।

बगानों के मज़दूर

*३९५. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **श्रम** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) किन किन राज्यों में बगानों के मज़दूरों के परिवारों के आय व्ययक के सम्बन्ध में जांच की गई थी ;

(ख) क्या निर्वाह-व्यय देशनांक आंकड़े प्रकाशित किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो किन राज्यों में; और

(घ) श्रम विभाग ने सर्वेक्षण कार्य कहां और कब किया था ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) अब तक जो जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार परिवार आय व्ययक सम्बन्धी जांच आसाम, कुर्ग, मद्रास, त्रावणकोर-कोचीन, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और मैसूर में की गई थी।

(ख) जी हां।

(ग) कुर्ग, मद्रास, आसाम और पश्चिमी बंगाल।

(घ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४**].

रेलवे इण्जन

*३९६. **श्री विश्वनाथ राय:** **रेलवे** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे कि १९५० से लेकर अब तक चित्तरंजन कारखाने में कितने रेलवे इज्जन तैयार किये गये हैं।

रेलवे तथा परिवहन उहमंत्री (श्री अलगेशन): ३१-१-१९५४ तक १०९ ब्राड गेज इज्जन।

क्षय रोग स्वास्थ्य गृहों में डाक तार विभाग के वार्ड

*३९७. **श्री के० सी० सोधिया:** क्या **संचार** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन चुने हुए क्षय रोग स्वास्थ्य गृहों के नाम क्या हैं, जिन में १९५३-५४ के दौरान में डाक और तार वार्ड बनाये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक वार्ड पर कितना रुपया खर्च किया गया है ;

(ग) प्रत्येक में कितने रोगियों के लिए स्थान हैं ;

(घ) इन वार्डों में एक रोगी का मासिक व्यय क्या है ;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को विभाग द्वारा कोई सहायता दी जाती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) शून्य।

(ख) से (घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(ङ) जी हां, सरकारी अस्पताल या अभिज्ञात स्वास्थ्य गृहों में उन के इलाज पर जो रुपया खर्च होता है वह उन्हें लौटा दिया जाता है। जिन का वेतन १०० रुपये से कम होता है उन्हें भोजन का व्यय भी दिया जाता है।

निर्यात व्यापार के लिये रेल डिब्बे

*३९८. **श्री बाल्मीकी:** क्या रेल मंत्री बतानें की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि निर्यात व्यापार के लिये रेल के डिब्बे प्राप्त करने की कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं; तथा

(ग) १९५३-५४ में पाकिस्तान को माल निर्यात करनें के लिये कितनें डिब्बे नियत किये गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं, हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सरकार की जानकारी यह है कि वित्तीय वर्ष १९५३–५४ में जनवरी, १९५४ के अन्त तक, २९०१९ बी० जी० और ८७९ एम० जी० भरे हुए डिब्बे पाकिस्तान को भेजे गयेथे ।

काश्मीर को खाद्यान्न का सम्भरण

*३९९. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र को काश्मीर राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि १९५४ के लिये अधिक चावल और गेहूं संभरित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को कितना चावल और गेहूं संभरित करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख). जम्मू और काश्मीर सरकार ने अपनी सितम्बर तक की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए १८,००० टन चावल मांगा था और यह पंजाब से दियागया है ।

१९५४ के लिए अब तक गेहूं के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई ।

अहमदाबाद के निकट विमान दुर्घटना

*४००. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **संचार** मंत्री बताने ी कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई फ्लाइंग क्लब का एक विमान २९ जनवरी, १९५४ को अहमदाबाद से २० मील दूर एक स्थान पर उतरते समय टकरा गया था और उसे बहुत नुकसान पहुंचा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी; तथा

(ग) क्या यह सत्य है कि विमान चालक को मार्ग का ज्ञान न होने के कारण यह दुर्घटना हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) २० जनवरी को, अहमदाबाद से २० मील दूर, बम्बई फ्लाइंग क्लब का एक विमान दुर्घटना ग्रस्त हुआ था ।

(ख) तथा (ग). इस दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

एगमार्क घी लेबल

*४०१. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह**: (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देश में अब तक जाली "एगमार्क" घी लेबलों के कितने मामलों का पता लगाया गया है ?

(ख) ये जाली लेबल कब से प्रयोग किये जा रहे हैं ?

(ग) इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए अब तक क्या पग उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) बीस ।

(ख) पहला केस १९४० में पकड़ा गया था ।

(ग) जाली लेबलों को रोकने के लिए, जो उपाय किये गये हैं, उन में से अधिक महत्वपूर्ण ये हैं : (१) भारत सरकार के वाटर मार्क कागज पर, जिस की माइक्रो-टिन्ट पृष्ट भूमि होती है, और जिसकी नकल करना कठिन होता है, गुप्त रीति से एगमार्क लेबल छापना ; (२) लेबल पर डिब्बे का शुद्ध भार लिखना; (३) लेबलों को चिपकाने के लिए अच्छी प्रकार की गोंद का प्रयोग करना ;

(४) घी की किस्म की अधिक बार जांच करने के लिये निरीक्षकों को वर्गीकरण केन्द्रों तथा बाजारों में भेजना तथा (५) अस्ली और जाली एगमार्क लेबलों में भेद करने के लिये लोगों में आवश्यक प्रचार करना ।

जाली लेबल बनाने के काम को हस्तक्षेप अपराध घोषित करने के हेतु कृषि उत्पाद (वर्गीकरण तथा मार्क करना) अधिनियम १९३७ मे संशोधन करना भी विचाराधीन है।

देशी माल और यात्री गाड़ी के डिब्बे

*४०३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल तथा यात्री डिब्बों के देशी निर्माताओं की कार्यक्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितनी प्रतिशत कार्यक्षमता का उपयोग किया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार इस कार्यक्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिये कार्य कर रही है ;

(घ) यदि ऐसा है तो, वे कौन से कार्य हैं ; तथा

(ङ) निर्माताओं की क्या कठिनाइयां हैं और उन का कोई हल ढूंढा गया है या ढूंढा जा हा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां ।

(ख) से (घ). उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) बतलाया जाता है कि मुख्य कठिनाई समय पर पर्याप्त मात्र. में इस्पात के संभरण के बारे में है। यह कमी अब बाहर से माल मंगा कर पूरी की जा रही है।

निष्क्रान्त बचत बैंक लेखे

*४०४. **श्री गिडवानी :** क्या **संचार** मंत्री निष्क्रांत बचत बैंक लेखों और बचत प्रमाण पत्र दावों के बारे में २१ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११४७ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि क्या सम्पर्क अधिकारी अब नियुक्त कर दिये गये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : दो सम्पर्क अधिकारियों को नियुक्ति के लिए चुन लिया गया है और आशा है कि वे शीघ्र अपना काम शुरू कर देंगे ।

म्यूनिसिपैलिटी के मजदूर

* ४०५. **श्री बाल्मीकि:** क्या **श्रम** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि म्यूनिसिपैलिटी के मजदूरों के सम्बन्ध में एक व्यापक विधान बनाने के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था ; तथा

(ख) इस परामर्श का क्या परिणाम निकला ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) राज्य सरकारों से केवल नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानिय नीकायों में काम करने वाले भंगियों के बारे में परामर्श किया गया था।

(ख) राज्य सरकारों की राय यह थी कि विशेष विधान की आवश्यकता नहीं है । इस लिए इस प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार छोड दिया गया था ।

इंजन

४३. **श्रीमती कमलेन्दुमती शाह :** **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में बनाये गये एक इंजन की लागत क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने १९५३-५४ के वर्ष के लिये उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(ग) भारतीय रेलवेज़ की इन इंजनों की कुल वार्षिक आवश्यकता क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) एक ब्राड गेज इंजन की लागत ५.३५ लाख रुपया है । मीटर गेज इंजन की लागत उसकी किस्म के अनुसार ३.३५ लाख रुपये से ३.५० लाख रुपये है । इस में विकास व्यय सम्मिलित नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) वर्तमान स्थिति के आधार पर भारतीय कुल वार्षिक पुनर्स्थापन आवश्यकताएं १२५ ब्राड गेज इंजन और ९७ मीटर गेज के इंजन हैं । यातायात वृद्धि के लिए अपेक्षित नैरो गेज इंजनों तथा सभी गेजों के अतिरिक्त इंजनों की संख्या इन आंकड़ों में सम्मिलित नहीं है ।

राजस्थान की सिंचाई योजनाएं

४४. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४९-५० से १९५२-५३ तक राजस्थान की छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) क्या प्रतिवर्ष दी गई वित्तीय सहायता का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया था ;

(ग) नई योजनाओं के पूरे हो जाने के कारण कितने क्षेत्र में सिंचाई होने लगी है ; तथा

(घ) इसके परिणामस्वरूप अनाज का कितना टन अतिरिक्त उत्पादन होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (घ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५**].

राजस्थान में परती भूमि

४५. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५३ में राजस्थान में कृषि योग्य परती भूमि कितनी थी ;

(ख) १९४९ से आज तक वर्षवार कितनी कृषि योग्य परती भूमि में खेती की जा रही है ; तथा

(ग) इस प्रकार खेती की गई भूमि का उस भूमि से क्या अनुपात है जिसमें १९४८ में खेती की जाती थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १९५३ की अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं हैं । १९५०-५१ में, जिस वर्ष तक के भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध हैं, कृषि योग्य परती भूमि १,८६,४०,००० एकड़ थी ।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्न है :—

वर्ष	कृषि योग्य नई भूमि या खेती की जाने वाली नई भूमि का क्षेत्र
	(एकड़)
१९४९	४६,०७०
१९५०	१२८,९६९
१९५१	९४,३८९
१९५२	१३८,१२८
१९५३	३३,८६० (अपूर्ण)

(ग) राजस्थान में भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकड़े जिस क्षेत्र के हैं वह १९४७-४८ में २,०७,००,००० एकड़ से बढ़कर १९५०-५१ में ७,६३,००,००० एकड़ हो

गया। १९४७-४८ वाले २,०७,००,००० एकड़ में से कुल ८४,००,००० एकड़ भूमि में खेती की गई। चूंकि १९४७-४८ के कुल खेती वाले क्षेत्र के आंकड़े पूरे राज्य के बारे में नहीं हैं, इसलिये कृषि योग्य बनाई गई अतिरिक्त भूमि की १९४७-४८ के कुल खेती वाले क्षेत्र से तुलना करने से कोई ठीक परिणाम नहीं निकल सकता।

बम्बई में टेलीफोन

४६. **श्री गिडवानी:** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बम्बई शहर में टेलीफोन कनैक्शन्स की मांग के सम्बन्ध में प्रत्येक घर का सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) बम्बई में गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी टेलीफोन लाइनें लगाई गई थीं ;

(ग) क्या सरकार ने बम्बई टेलीफोन व्यवस्था को बढ़ाने के लिये किसी योजना को स्वीकार किया है ; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो इसमें कुल कितना व्यय होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां ; १९४६ में।

(ख)	१९५१	३६७०
	१९५२	१२००
	१९५३	२३३५

(ग) जी हां।

(घ) ३१७ लाख रुपये।

राष्ट्रीय राज-पथ

४७. **श्री एन० एम० लिंगम : क्या परिवहन** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जब से केन्द्र ने भारत में राष्ट्रीय राज-पथ बनाने का उत्तरदायित्व लिया, जैसा कि नागपुर योजना में दिया हुआ है, तब से कितने मील राष्ट्रीय राज-पथ बनाये गये ;

(ख) पंच वर्षीय योजना में राष्ट्रीय राज-पथों के विस्तार के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; तथा

(ग) सड़कें और पुल बनाने तथा सड़कों के धरातल ठीक करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और प्रत्येक पर कितना खर्च हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जब केन्द्र ने यह उत्तरदायित्व लिया था उस समय राष्ट्रीय राज-पथों की लम्बाई ११,८०० मील थी और उसके बाद ३७५ मील बनाये गये हैं।

(ख) तथा (ग). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है, सम्बद्ध किया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६**].

विद्यार्थी आन्दोलन

४८. **श्री एन० एम० लिंगम:** क्या **संचार** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७३९ के दिये गये प्रश्न का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे गैर-सरकारी मकानों के, जिनमें डाकखाने हैं, मालिकों ने लखनऊ में विद्यार्थी आन्दोलन के कारण मकानों को हुई क्षति के लिय क्षतिपूर्ति मांगी है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो मांगी गई क्षति-पूर्ति की राशि कितनी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) केवल एक ऐसे मकान मालिक ने, जिसके मकान में डाकखाना है, दावा किया है।

(ख) केवल ७८८ रुपये।

पंजाब की "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाएं

४९. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्र ने गत पांच वर्षों में पंजाब सरकार को "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं के लिये कितनी सहायता दी थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : गत पांच वर्षों में पंजाब सरकार को निम्न लिखित राशियां दी गई हैं :—

लाख रुपयों में

वर्ष	ऋण	अनुदान
१९४९-५०	१७.५८	१४.११ (वास्तविक)
१९५०-५१	१.९९	१४.०६ (वास्तविक)
१९५१-५२	—	१३.६५ (वास्तविक)
१९५२-५३	१०७.९४	१२.९६ (स्वीकृत)
१९५३-५४	१३३.५८	१०.३२ (स्वीकृत)

इन्दौर तक रेलवे लाइन

५०. **श्री राधेलाल व्यास :** क्या **रेल** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) इन्दौर तक बड़ी लाइन ले जाने के उद्देश्य से किन किन क्षेत्रों का परिमाप किया गया है ;

(ख) इसके लिये कौन सा मार्ग चुना गया है ; तथा

(ग) बड़ी लाइन बनाने का काम कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तीन वैकल्पिक मार्गों अर्थात्,

(१) इन्दौर-देवास-उज्जैन,

(२) इन्दौर-देवास-माक्सी,

(३) इन्दौर-देवास-तराना रोड की जांच की गई है।

(ख) इन जांचों के परिणामों पर अब भी विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

पहिले दर्जे के विश्राम के कमरे

५१. **श्री गिडवानी :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) चूंकि अधिकांश गाड़ियों में पहिले दर्जे को खत्म कर दिया गया है, क्या सरकार की पहिले दर्जे के विश्राम के कमरों को दूसरे दर्जे के विश्राम के कमरों में बदलने का तथा दूसरे दर्जे के विश्राम के कमरों का डयोढ़े दर्जे के मुसाफिरों द्वारा उपयोग करने की अनुमति देने का विचार है ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). जब पहिला दर्जा पूरी तरह से खत्म कर दिया जायेगा तब सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी।

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

५२. **श्री आर० एन० सिंह :**
श्री एल० एन० मिश्रा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये किन किन राज्यों में कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया जाता है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने केन्द्र खोले गये हैं ; तथा

(ग) प्रत्येक राज्य में क्या सफलता मिली है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) तथा (ख). जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, कृत्रिम गर्भाधान के

तरीके पर केवल दो स्थानों में अर्थात् उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्था, इज्जतनगर तथा मैसूर में भारतीय दुग्धशाला अनुसन्धान संस्था, बंगलौर, प्रयोग किये जा रहे हैं।

(ग) प्राप्त परिणामों से यह मालूम हुआ है कि कृत्रिम गर्भाधान के तरीके का भारतीय गायों तथा भैंसों पर सफलता पूर्वक प्रयोग किया जा सकता है।

केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन

५३. श्री गाडिलिंगम गौड़ : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के कर्मचारियों पर कितना औसतन मासिक खर्चा होता है ;

(ख) इस संगठन ने कितने ट्रेक्टर, बुलडोज़र तथा अन्य मशीनें खरीदी हैं और इस प्रकार खरीदी गई चीज़ों पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ; तथा

(ग) प्रत्येक वर्ग की ऐसी कितनी मशीनें हैं जो चालू हालत में हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के कर्मचारियों पर औसत मासिक खर्च ३,६५,००० रुपये हैं।

(ख) तथा (ग). इस संगठन ने ट्रेक्टर आदि के खरीदने पर अब तक ५,४८,२९,०५७ रुपये खर्च किये। नीचे दिये हुए विवरण में खरीदे गये ट्रेक्टर, बुलडोज़र्स और अन्य मशीनों की तथा जो मशीनें चालू हालत में हैं उनकी संख्या दी हुई हैं।

व्यौरा	उत्सर्जन विभाग से खरीदी गई मशीनों की संख्या	नई खरीदी गई मशीनों की संख्या	कुल योग	जो मशीनें चालू हालत में हैं उनकी संख्या
				कुल योग
ट्रेक्टर (इनमें वे ट्रेक्टर भी सम्मिलित हैं जिनमें डोज़र ब्लेड्स लगे होते हैं)	२१९	४०२	६२१	३८७
क्रेन	५	९	१४	१३
हल, हैरो आदि	१२७	२१२२	२२४९	९६५
गाड़ियां	५९	१२२	१८१	११८
तेल देने वाली मशीनें	२४	१७	४१	१७
ग्रेडर्स, फोर्क लिफ्टर, स्क्रेपर आदि	६०	५	६५	३३
ट्रेलर आदि	४३	२२५	२६८	२४५
ज़मीन साफ़ करने वाले उपकरण	शून्य	८९७	८९७	८७१
वर्कशाप में काम आने वाली मशीनें	७७	९३	१७०	१७०

सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार,
२५ फरवरी, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २५ फरवरी, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

३ म० प०

दिल्ली के निकट विमान दुर्घटना

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : क्या आप मुझे एक घटना का उल्लेख करने की अनुमति देंगे ? अभी सूचना मिली है कि यमुना ब्रिज के निकट एक वायु दुर्घटना हो गई है । क्या माननीय मंत्री कोई वक्तव्य देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । किसी घटना का उल्लेख करने का यह तरीक़ा नहीं है । माननीय सदस्य मुझ से मेरे कक्ष में मिलें और तब मैं विचार करूंगा कि क्या उन को घटना का उल्लेख करने की अनुमति दी जा सकती है । यदि वे चाहें तो अल्प-सूचना प्रश्न पूछ सकते हैं ।

अब हम १९५३-५४ के लिये रेलवे सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगों को लेंगे ।

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : वायु दुर्घटना का यहां उल्लेख किया गया

है । यदि आप की आज्ञा हो तो उस के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहूं ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार प्रश्न पूछना अनियमित है । इस के सम्बन्ध में एक निश्चित प्रणाली है । निश्चित तथ्यों को ज्ञात करने में थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है, अतः मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य कुछ सीमा तक आत्म नियंत्रण करें ।

श्री जगजीवन राम : मैं तो पूर्णतया आप के आज्ञाधीन हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि दुर्घटना हुई है तो उस के लिये आतुरता प्रकट करना ठीक नहीं है । जो कुछ हो चुका है उस स्थिति को कोई प्रश्न पूछ कर या माननीय मंत्री से कोई सूचना प्राप्त कर के सुधारा नहीं जा सकता है । इस के लिये वह समाचारपत्रों से सूचना प्राप्त करें अथवा बाद को माननीय मंत्री से प्रश्न पूछ कर सूचना प्राप्त करें ।

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस-पूर्व) : इस अनियमितता का हमें खेद है, किन्तु अब क्योंकि ····· (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रथा को प्रोत्साहन देना नहीं चाहता हूं । माननीय सदस्य समाचारपत्रों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं । यदि वे चाहें तो माननीय मंत्री से निजी रूप से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु इस प्रकार से मामले का उल्लेख करना ठीक नहीं है ।

---

*अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे)

अध्यक्ष महोदय : अब हम रेलवे सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगों को लेंगे ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

मांग संख्या १—रेलवे बोर्ड

सभापति महोदय ने निम्न मांग प्रस्तुत की :

मांग संख्या	शीर्ष	(अनुपूरक) राशि
१	रेलवे बोर्ड	१,१४,००० रुपये

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं अपना कटौती प्रस्ताव संख्या ९ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : क्योंकि उस का सम्बन्ध नीति से है इसलिये वह अनियमित है । नई सेवाओं के अतिरिक्त अनुपूरक अनुदानों की मांगों के समय नीति विषयक प्रश्न नहीं उठाये जा सकते हैं ।

श्री नम्बियार (मयूरम) : यह नीति का नहीं अपितु अधिक कर्मचारीवर्ग का प्रश्न है । रेलवे बोर्ड को, जो सरकार के निर्णयों को क्रियान्वित नहीं करता है, और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय : विशिष्ट मामलों के सम्बन्ध में, टिप्पणी में स्पष्ट निदेश होने की अवस्था में केवल इन्हीं मामलों पर चर्चा की जा सकती है, नीति के सम्बन्ध में नहीं । यह तो स्पष्ट रूप से नीति सम्बन्धी प्रश्न है । मेरे मतानुसार यह कटौती प्रस्ताव अनियमित है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या १ है ।

सभापति महोदय : इस कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रश्न यह है कि इस मांग के सम्बन्ध में दी गई टिप्पणी में क्या कोई ऐसी बात है जो इस वाद विषय से सीधे ही संबंध रखती हो । माननीय सदस्य के कटौती प्रस्ताव में ऐसे किसी वाद विषय का निदेश नहीं है । अतः मेरा विचार है कि यह अनियमित है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : बात यह है कि इस मांग के अधीन कुछ अतिरिक्त पद रेलवे बोर्ड में बनाये गये हैं । विभिन्न रेलवे प्रशासनों से जब कोई पदाधिकारी उस बोर्ड में काम करने के लिये भेजा जाता है, तो उसे कुछ भत्ता दिया जाता है । परन्तु हाल ही में इस प्रकार से बोर्ड में भेजे गये कुछ पदाधिकारियों को कोई भत्ता नहीं दिया गया है । अतः जब तक कि नये बनाये गये पदों के नाम तथा उन के अन्य विवरण नहीं दिये जाते हैं, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि वह विशिष्ट अधिकारी अथवा अधिकारीगण इस से प्रभावित हुए हैं या नहीं । मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये ।

सभापति महोदय : यह प्रश्न इन टिप्पणियों के अन्तर्गत नहीं आता है । भत्ते का जहां तक सम्बन्ध है, यह प्रश्न कि क्या वह एक श्रेणी के अधिकारियों को दिया जाये और दूसरे श्रेणी के अधिकारियों को न दिया जाये, यहां पर नहीं उठता है । अतः मैं समझता हूं कि यह कटौती प्रस्ताव भी नियमानुकूल नहीं है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : यह तो अधिकारियों के बीच भेदभाव करना है ।

सभापति महोदय : यह नीति का प्रश्न है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । यदि आज एक अधिकारी रेलवे बोर्ड में भेजा जाता है, तो पूर्व प्रथा के अनुसार उस को कुछ भत्ता

*राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से प्रस्तुत ।

मिलेगा । परन्तु बाद में नये भर्ती होने वालों को रेलवे बोर्ड भत्ता न देने का निश्चय करता है । वर्तमान मामला एक अतिरिक्त पद का है । इस के लिये उस ने भत्ता अस्वीकार कर दिया है । ऐसी परिस्थिति में क्या हम इस वाद-विषय पर चर्चा नहीं कर सकते हैं ?

सभापति महोदय : मैं किसी काल्पनिक प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हूं । परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि प्रश्न यह नहीं है कि यह सुसंगत है या नहीं । प्रश्न तो यह है कि क्या अनुपूरक अनुदानों की मांगों में यह प्रश्न उठाया जा सकता है या नहीं ।

श्री नम्बियार : यह प्रश्न उठाया जा सकता है । उस में कहा गया है :

"आंशिक रूप से वेतन के साथ महंगाई भत्ते के विलीनीकरण के कारण मकान किराया तथा अन्य भत्ते," आदि ।

अतः भत्ते देने का प्रश्न भी मौजूद है, और इस के सम्बन्ध में यहां पर चर्चा की जा सकती है ।

सभापति महोदय : यह न्यूनाधिक एक नीति का प्रश्न है । यह विलीनीकरण का प्रश्न कदापि नहीं है । मैं समझता हूं कि यह नियमानुकूल नहीं है ।

श्री एन० बी० चौधरी के कटौती प्रस्ताव संख्या ८ में भी संभरण के न दिये जाने का प्रश्न है । मैं ने कटौती प्रस्ताव संख्या ९ के सम्बन्ध में जो निर्णय दिया है, वही कटौती प्रस्ताव संख्या ८ पर भी लागू होता है । अतः अब मैं मांग संख्या १ को सदन के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा ।

सभापति महोदय द्वारा मांग संख्या १ मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई ।

मांग संख्या ४—साधारण कार्यवहन व्यय—प्रशासन

सभापति महोदय ने निम्न मांग प्रस्तुत की :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
४	साधारण कार्यवहन व्यय—प्रशासन	६८,५४,००० रु०

श्री नम्बियार : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या १३ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या १४ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मैं कटौती प्रस्ताव संख्या ११ और १२ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या २, ३ और ४ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि कटौती प्रस्ताव संख्या २ और ४ नियमानुकूल हैं । शेष कटौती प्रस्तावों के विषय में माननीय सदस्यों के तर्क सुनना चाहूंगा और यह जानना चाहूंगा कि वे किस प्रकार नियमानुकूल हैं ।

निम्न कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
४	श्री टी० बी० विट्ठल राव	एवजी की व्यवस्था में विलम्भ	१०० रुपये
४	श्री टी० बी० विट्ठल राव	हैदराबाद रेलवे खंड के कर्मचारियों का 'मंहगाई वेतन'	१०० रुपये
४	श्री टी० बी० विट्ठल राव	राजामुन्दी, वारंगल और तंजोर जैसे नगरों का पुनः वर्गीकरण	१०० रुपये

श्री टी० बी० विट्ठल राव : कई रेलों में कई ऐसे खण्ड हैं, जिन में अभी तक एवज़ी (लीव रिज़र्व) की व्यवस्था नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में लगभग छै वर्ष हुए न्याय निर्णायक ने अपना निर्णय देते हुए कहा था कि एवजी की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये। इस प्रश्न पर रेलवे बोर्ड भी कई बार विचार कर चुका है। परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है। भूतपूर्व निज़ाम राज्य रेलवे में अभी तक उक्त निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया है। यदि इस रेलवे का विलीनीकरण न हुआ होता, तो मैं समझता हूं कि इस बात की व्यवस्था सन् १९५० में ही हो गई होती, क्योंकि राज्य सरकार ने इस दिशा में कार्यवाही आरम्भ कर दी थी। इस रेलवे के विलीनीकरण के कारण अब सारी चीज भारत सरकार के पास चली गई है और यह मामला पिछले दो वर्षों से लटका हुआ है। रेलवे बोर्ड द्वारा दिये गये आश्वासनों के क्रियान्वित न किये जाने के प्रश्न पर २२ तारीख को एक घंटे की एक सांकेतिक हड़ताल होने वाली थी। इस से कर्मचारी बहुत असन्तुष्ट हैं।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव राजामुन्द्री, वारंगल और तंजौर जैसे नगरों के पुनःवर्गीकरण के सम्बन्ध में है और यह विषय भी केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अधीन आता है। केन्द्रीय वेतन आयोग ने नगर प्रतिकरात्मक भत्ते देने के कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये थे। उस ने यह सिफारिश की थी कि उन नगरों को, जहां की जनसंख्या एक लाख से अधिक है 'ग' श्रेणी के नगरों में रखा जाना चाहिये और वहां पर मकान किराया तथा प्रतिकरात्मक भत्ते दिये जायें। राजामुन्द्री, वारंगल तथा तंजौर की जनसंख्या एक लाख से अधिक है। सरकार ने उक्त प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया था पर बाद में रेलवे मंत्री ने रेलवे कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया कि नगरों के पुनःवर्गीकरण के प्रश्न पर सन् १९५१ की जनगणना के बाद विचार किया जायेगा। जनगणना के अन्तिम आंकड़े जून १९५१ के लगभग दिये गये थे। परन्तु १ अप्रैल, १९५१ से भत्ते देने के बजाय सरकार ने ये भत्ते १ अक्तूबर, १९५२ से दिये। अट्ठारह महीने के भत्ते नहीं दिये गये थे।

दूसरी बात यह है कि एक लाख की जनसंख्या वाले नगरों को मकान किराया भत्ता दिये जाने के लिये अभी तक पुनः-वर्गीकृत नहीं किया गया है। पता नहीं मंत्रिमण्डल ने अपना मनमाना निर्णय किस प्रकार दिया। वस्तुतः जनसंख्या एक लाख से बढ़ कर १,१५,००० हो गई है। आप एक समिति नियुक्त करते हैं, उस की सिफारिशें मानते हैं और फिर उन को रद कर देते हैं। यह तो उचित नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं कि राजामुन्द्री, वारंगल और तंजोर नगरों को मकान किराया भत्ता के प्रयोजन के लिये 'ग' श्रेणी में रखा जाना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित की गई थीं तो कुछ अनियमितितायें थीं। कर्मचारियों ने यह मांग की थी कि उन्हें वरिष्ठता का कुछ लाभ मिलना चाहिये। बाद में इस पर संयुक्त मंत्रणा समिति ने विचार किया और यह सिफारिश की कि उन कर्मचारियों को, जिन की २५ वर्षों की सेवा हो चुकी है, और जो भर्ती के प्रारंभिक वेतन-क्रम में हैं, एक वेतन-वृद्धि दी जाये और जो १ जनवरी, १९५२ को नौकरी में थे और ३० वर्ष की सेवा कर चुके हैं, उन्हें एक अतिरिक्त वृद्धि दी जाये। इन सिफारिशों को निज़ाम राज्य रेलवे के कर्मचारियों पर लागू किया जाना चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं

किया गया है । सरकार को चाहिये कि वह इस बात पर ध्यान दें और उक्त कर्मचारियों पर भी इन सिफारिशों को लागू करें ।

श्री नम्बियार : मैं अपना कटौती प्रस्ताव संख्या १३ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : इस कटौती प्रस्ताव में दो बातें हैं । इस का दूसरा भाग तो नियमानुकूल है किन्तु पहिला नहीं । क्योंकि उस का सम्बन्ध नीति सम्बन्धी विषय से है ।

मंहगाई भत्ते का वेतन में मिलाया जाना

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
४	श्री नम्बियार	मंहगाई भत्ते का वेतन में मिलाया जाना	१०० रुपये

श्री नम्बियार : पृष्ठ तीन के व्याख्यात्मक नोट में इलाहाबाद तथा मद्रास के नये सेवा आयोगों के लिये ६ लाख रुपये का उपबन्ध है, इसलिये इस का पहिला भाग भी नियमानुकूल है । दक्षिण के लोगों ने इस रेलवे सेवा आयोग की स्थापना का स्वागत किया है । किन्तु यह बड़े खेद का विषय है कि इस के सदस्य रेलवे के निवृत्त अधिकारी हैं । उदाहरणार्थ मद्रास रेलवे सेवा आयोग के अध्यक्ष दक्षिण रेलवे के सेवा निवृत्त महा प्रबन्धक श्री रामानुजम हैं । मैं यह नहीं समझ पाता कि सेवा आयोगों में निवृत्त अधिकारी क्यों नियुक्त किये जायें । मुझे इस व्यक्ति की नियुक्ति पर बहुत अधिक आपत्ति है, क्योंकि वह निवृत्त अधिकारी है और इस संगठन का अधिकारी होने के कारण उन्हें रेलवे में की जाने वाली नियुक्तियों से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । मुझे नहीं मालूम कि सेवा आयोग के सदस्यों को चुनने का आधार क्या है । मैं तो यह चाहता हूं कि सेवा आयोग के सदस्य सदाचारी और ईमानदार हों, जो नियुक्ति करने के मामले में कोई गड़बड़ी न करें । पद नियुक्तियों के मामले में ऐसा होता है कि मान लीजिये क्लर्कों की दो सौ जगहें खाली हैं और सेवा आयोग में चार सदस्य हैं । ये चारों सदस्य इन नियुक्तियों को करने के लिये अपना कोटा निर्धारित कर लेते हैं । आवेदन पत्र देने वाले दस हज़ार व्यक्तियों में शेष को यह भी पता नहीं लगता कि उन के मामले का क्या हुआ । इस ने धांधलेबाज़ी का रूप धारण कर लिया है । लोगों ने मुझ से कहा कि इस मामले को ठीक करना चाहिये । मैं ने उन्हें बताया कि केवल संसद् ही उन्हें सुलझा सकती है । यदि हम आयोग के किसी सदस्य विशेष या अध्यक्ष के बारे में कुछ कहते हैं तो यह कहा जाता है कि हम उन पर व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं । सेवा आयोग के सदस्य ईमानदार होने चाहियें जिस से उन्हें लोगों का विश्वास प्राप्त हो सके । ऐसे पदों के लिये देश में ऐसे बहुत से लोग मिल सकते हैं । ऐसे मामलों में साम्प्रदायिक भावना से भी काम लिया जाता है और इस का बचाव यह है कि सेवा आयोग में पद नियुक्तियां साम्प्रदायिकता के आधार पर न की जायें ।

[श्री नग्यिार]

महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाये जाने के सम्बन्ध में हम यह चाहते थे कि पूरा महंगाई भत्ता वेतन में मिला दिया जाय। गाडगील समिति ने केवल ५० प्रतिशत भत्ते के मिलाये जाने की सिफारिश की। इस ५० प्रतिशत भत्ते को वेतन में मिला देने के परिणामस्वरूप रेलवे के कर्मचारियों को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिये। मैं नहीं जानता कि इस से उन्हें किस प्रकार लाभ होगा। दक्षिण रेलवे में पहिले जो आदमी मकान का किराया दो रुपया देता था उसे अब सात रुपये देना पड़ रहा है और इस प्रकार वहां मकान के किराये का अनुपात बदल गया है। हम इस बात को नहीं समझ सके हैं। इस बात को इस प्रकार से बताया जाता है जिस से यह मालूम पड़ता है कि इस से कर्मचारियों को लाभ हो रहा है, किन्तु इस से कर्मचारियों को हानि हो रही है। इसलिये माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने के प्रश्न पर विचार करें ताकि इस से रेलवे कर्मचारियों को हानि न हो सके। मैं श्री विट्ठल राव के कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि मकान का किराया निर्धारण करने के मामले में शहरों की श्रेणी बढ़ाने का प्रश्न उचित है। तंजोर के बारे में मैं जानता हूं क्योंकि वहां की जन-संख्या १,०२,००० है और वहां रेलवे कर्मचारियों ने यह मामला रेलवे बोर्ड के पास भेजा। अनुवर्त्ती प्रभाव से तंजोर की श्रेणी बढ़ा देनी चाहिये। रेलवे बोर्ड को यह मामला तय करना चाहिये और कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव के आधार पर बकाया मिलना चाहिये।

न्यायनिर्णायक के पंचाट को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस के लिये भी यह कहा जाता है कि इस से रेलवे कर्मचारियों को लाभ होगा। किन्तु बात ऐसी नहीं है। न्यायनिर्णायक के पंचाट के बाद "निरन्तर ड्यूटी" माने जाने वाले पदों को "अन्तरागत ड्यूटी" वाला माना जाने लगा है। तंजोर रेलवे स्टेशन में कुछ कर्मचारियों को अब आठ घंटे के स्थान पर बारह घंटे काम करना पड़ता है। न्याय-निर्णायक के पंचाट के लागू किये जाने के बाद ऐसा अन्य स्थानों पर भी हुआ है। त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल स्टेशन पर बिजली के फिटर को सवेरे पांच बजे से दस बजे रात तक काम करना पड़ता है। इस को वहां 'अन्तरागत ड्यूटी' माना जाता है और कुछ घंटे काम करने के बाद वह एक घंटे के लिये घर चला जाता है और फिर उसे काम करना पड़ता है। इस प्रकार से काम लेना भारतीय रेलवे अधिनियम के स्वीकृत उपबन्धों के भी विरुद्ध है। इसलिये ड्यूटी सम्बन्धी उपबन्धों को लागू करने में ऐसा नहीं किया जाना चाहियें।

वेतन श्रेणियों के प्रश्न के बारे में, मेरे पास यह सूचना है कि कंचनपाड़ा वर्क-शॉप के तीन हज़ार मज़दूरों को, जोकि युद्धकाल में २ सिविल मेन्टेनेंस यूनिट में काम कर रहे थे, उस सेवा का लाभ नहीं दिया गया और यह कहा गया कि यह केवल मेन्टेनेंस यूनिट है और इस का रेलवे कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। २ सी० एम० यू० के कर्मचारियों को, गोल्डन रॉक के मजदूरों के समान ही लगातार सेवा माने जाने तथा वेतन वृद्धि का हिसाब लगाने सम्बन्धी लाभ मिलने चाहिये।

केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन श्रेणियों को लागू करने में १९३१ से पूर्व के कर्मचारियों का प्रश्न भी है। यह मामला कई वर्षों से चल रहा है। रेलवे बोर्ड १९३१

से पूर्व के कर्मचारियों को निकाल कर इस समस्या को सुलझाना चाहता है । रेलवे मंत्रालय इस समस्या को अपनी तरह से सुलझाना चाहता है । मंत्रालय यह समझता है कि इन लोगों के सेवा के थोड़े वर्ष रह गये हैं और पचपन वर्ष की आयु पर ये सेवा निवृत्त हो जायेंगे और इस प्रकार वह इस को सुलझा सकेगा । मैं नहीं चाहता कि केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन श्रेणियों, और अधिनिर्णायक के पंचाटों के कार्यान्वित करने के मामलों में राजनैतिक दृष्टिकोण से काम लिया जाय । इस में मानवीय भावना से काम लेना चाहिये । मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह इन सब मामलों पर अच्छी प्रकार से विचार करें ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं अपना कटौती प्रस्ताव संख्या १४ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : इस का सम्बन्ध नीति से है इसलिये मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या ११ और १२ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : चूंकि ये स्पष्ट रूप से नीति के बारे में हैं, इसलिये मैं ने इन्हें अनियमित ठहराया है ।

श्री फ्रैंक एंथनी (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय) : मैं व्यवस्था पुलिस और रेलवे संरक्षण पुलिस के व्यय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : बहुत अच्छा ।

श्री अलगेशन : यह कोई नई सेवा नहीं है ।

सभापति महोदय : तो मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य को किसी सामान्य प्रकार की चर्चा की, जिस का इस अनुदान से कोई सम्बन्ध नहीं, अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि हमें पुलिस के लिए अधिकाधिक अनुदान देने के लिए क्यों कहा जाता है । पुलिस की संख्या बढ़ाई क्यों जा रही है । रेलवे में पहले ही तीन प्रकार की पुलिस हैं--रेलवे पुलिस, रेलवे संरक्षण पुलिस, वाच एंड वार्ड--और अब आप व्यवस्था पुलिस चाहते हैं ।

सभापति महोदय : यहां पुलिस व्यय में परिवर्तन का प्रश्न है । यह एक नई व्यवस्था पुलिस या नई प्रकार की सेवा का प्रश्न नहीं है । प्रश्न केवल व्यय में परिवर्तन का है । यदि माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, तो वे यह पूछ सकते हैं कि परिवर्तन क्यों हुआ है और इस की आलोचना कर सकते हैं । उन्हें यह समझ कर भाषण नहीं करना चाहिए कि विभिन्न श्रेणियों में परिवर्तन हुआ है और एक नई श्रेणी बना दी गई है ।

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं व्यवस्था पुलिस के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं । इस के कर्त्तव्यों और रेलवे संरक्षण पुलिस, सरकारी रेलवे पुलिस आदि के कर्त्तव्यों में क्या अन्तर है और यह नई श्रेणी कब बनाई गई थी ?

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य फिर यह समझ रहे हैं कि एक नई श्रेणी बना दी गई है ।

श्री फ्रैंक एंथनी : एक और प्रश्न यह है कि हमें पुलिस के सम्बन्ध में अधिक व्यय करने के लिये तो कहा जाता है किन्तु यह नहीं बतलाया गया कि पुलिस की विभिन्न श्रेणियों पर किस प्रकार का नियंत्रण रखा जाता है । इतना अधिक व्यय देने से पहले

[श्री फ्रैंक एंथनी]

सदन पहले यह जानना चाहता है कि रेलवे संरक्षण पुलिस के कर्तव्य क्या हैं ? क्या उस का काम रेलवे सम्पत्ति का संरक्षण करना है या रेलवे कर्मचारियों का ? मेरी जानकारी यह है कि यह पुलिस कर्मचारियों के लिए संरक्षण की बजाय अरक्षण का कारण है।

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य एक असंगत भाषण दे रहे हैं।

श्री नम्बियार : व्यवस्था पुलिस के व्यय में वृद्धि हुई है। क्या यह वृद्धि इसलिये की गई है कि कार्मिक संघ के और रेलवे कर्मचारियों के बारे में जासूसी की जाये।

सभापति महोदय : वही प्रश्न फिर उठाया जा रहा है। इस की आज्ञा नहीं दी जा सकती। माननीय मंत्री ने कहा है कि कोई नई श्रेणी नहीं बनाई गई। शब्द ये हैं : पुलिस के व्यय में परिवर्तन और माननीय मंत्री हमें बतलायेंगे कि ये परिवर्तन क्या हैं।

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं जान सकता हूं कि पिछले तीन वर्षों में विभिन्न श्रेणियों की रेलवे पुलिस के, जिस का काम रेलवे सम्पत्ति की देख-भाल करना है, व्यय में कितनी वृद्धि हुई है ? पुलिस की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और उस सम्पत्ति के सम्बन्ध जिस की रखवाली पुलिस करती है, दावों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री पी० एन० राजभोज : क्या मैं माननीय मंत्री से अपने कटौती प्रस्ताव के बारे में एक स्पष्टीकरण पूछ सकता हूं ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री अलगेशन : मैं वक्ताओं द्वारा उठाई गई बातों का संक्षिप्त उत्तर दूंगा।

एवज़ी को कार्यान्वित करने में विलम्ब का प्रश्न, जो न्याय-निर्णायक द्वारा दिये गए पंचाट का एक अंश था, श्री विट्ठलराव द्वारा उठाया गया था। पंचाट जून १९४८ में स्वीकृत हो गया था। न्याय-निर्णायक का भी विचार था कि इस में कुछ समय लगेगा। वास्तव में उन्हों ने इसे कार्यान्वित करने के लिये २½ से ३ वर्ष का समय रखा था। इस में कर्मचारीगण का प्रकृष्ट कार्य करने वालों, निरन्तर कार्य करने वालों, जिन की आवश्यकता तो हो किन्तु केवल कुछ समय के लिये ही तथा अतिरिक्त लोगों आदि में वर्गीकरण करना एवं उन को किस श्रेणी में रखा जाये इस दृष्टि से स्थानों की पूर्ण विवेचना करने का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त था। यह भी पता लगाना था कि क्या अतिरिक्त स्थान भी हैं और यदि ऐसा है तो विभिन्न श्रेणियों में अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार की जाये। इस सब में काफी समय लगा और अन्तिम रूप से इस का निर्णय अगस्त, १९५१ में हो सका था।

सदन को ज्ञात है कि इस से पूर्व ही भारत की रियासती रेलों का विलीनीकरण भारतीय रेलवे प्रणाली में हो गया था और तब पंचाट को रियासती रेलों के उन भागों में लागू करना ही था, जो भारतीय रेलों में मिला दी गई थीं। यह कार्य काफी हो चुका है और जो आंकड़े मैं अभी सदन पटल पर रखूंगा उस से मालूम हो जायेगा कि इस सम्बन्ध में पंचाट कहां तक कार्यान्वित किया जा चुका है।

भूतपूर्व रियासती रेलों को छोड़ कर सभी रेलों में मिला कर तृतीय श्रेणी के कुल ७,००३ स्थान स्वीकृत किये गये थे, उन में से ६,१९५ स्थानों की पूर्ति की जा चुकी है। केवल ८०८ स्थानों की पूर्ति करनी है।

चतुर्थ श्रेणी के १३,३९७ स्थान स्वीकृत किये गये थे जिन में से १२,५३८ स्थानों की पूर्ति हो चुकी है और केवल ८५९ स्थान रह गये हैं। भूतपूर्व रियासतों की रेलों में तृतीय श्रेणी के अतिरिक्त ५९८ स्थान स्वीकृत किये गये थे और ४०५ स्थानों की पूर्ति की जा चुकी है। चतुर्थ श्रेणी के १,०६४ अतिरिक्त स्थान स्वीकृत किये गये थे, जिन में से ९०४ की पूर्ति हो चुकी है और १६० स्थानों की पूर्ति अभी और होने को है। मेरे मित्र श्री विट्ठल राव यह जानने के लिये उत्सुक होंगे कि उन की रेलवे में अर्थात् भूतपूर्व एन० एस० रेलवे में क्या हुआ था। उस में ३०६ अतिरिक्त स्थान स्वीकृत किये गये थे, जिन में से २०४ की पूर्ति की जा चुकी है और १०२ तृतीय श्रेणी के स्थानों की पूर्ति अभी और की जाने वाली है। चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत किये गए ४३९ अतिरिक्त स्थानों में से, ३७१ की पूर्ति की जा चुकी है और ६८ की पूर्ति और की जायेगी। इन आंकड़ों से पता लगेगा कि कार्य करने की गति धीमी नहीं है, वरन् दूसरी ओर समुचित उन्नति हुई है। निज़ाम की रियासत की पहले की रेलवे में काम करने के घंटों, समय-समय के विकाश आदि के सम्बन्ध में की गई शिफारिशें मार्च १९५४ के अन्त तक पूर्णरूपेण लागू कर दी जायेंगी। मैं समझता हूं कि इससे न्याय निर्णायक द्वारा दिये गये पंचाट के अन्तर्गत एवज़ी को कार्यान्वित करने का प्रश्न समाप्त हो जाता है।

श्री नम्बियार तथा श्री टी० वी० विट्ठल राव दोनों ने ही नगरों के वर्गीकरण के प्रश्न का निर्देश किया है। तंजौर के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र श्री नम्बियार ने कुछ आंकड़े भी दिये हैं। जहां तक मुझे स्मरण है उन्होंने तंजौर की जनसंख्या १,२०,००० बताई है। मेरे आंकड़ों के अनुसार यह संख्या केवल १,००,६८० ही आती है।

श्री नम्बियार : इसका तात्पर्य है एक लाख से अधिक।

श्री अलगेशन : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, एक समिति ने इसकी जांच की थी और १९५१ की जनगणना के आंकड़ों पर ध्यान रखा गया था। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि नगरों का तीन वर्गों में वर्गीकरण कर दिया गया है। बम्बई तथा कलकत्ता का एक अलग 'क' वर्ग है। पांच लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगर 'ख' वर्ग में आते हैं जबकि एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 'ग' वर्ग के नगरों में आते हैं। लखनऊ तथा नागपुर 'ख' वर्ग में ही रखे गये हैं, यद्यपि १९५२ की जनगणना के अनुसार उनके लिये नियत की गई जनसंख्या पांच लाख से कम हो गई है। इसी प्रकार अम्बाला तथा आसनसोल भी 'ग' वर्ग में रखे गए हैं यद्यपि उनके लिये नियत की गई जनसंख्या भी १ लाख से कम हो गई है, ये आंकड़े भी १९५१ की जनगणना पर आधारित हैं। इसी प्रकार पूना भी 'ख' वर्ग में सम्मिलित किया गया है, यद्यपि उस नगर की आबादी पांच लाख से कम है, इसमें छावनी की जनसंख्या भी जोड़ दी गई है और वह 'ख' वर्ग में सम्मिलित कर दिया गया है।

'ग' वर्ग के नगरों में एक समिति ने इसकी जांच की थी। सदन इस बात की प्रशंसा करेगा कि इस प्रश्न से केवल रेलवे मंत्रालय का ही सम्बन्ध नहीं है, वरन् मंत्रालयों का भी है। समिति ने यह निश्चित किया था कि जनसंख्या को किसी निश्चित सीमा तक स्थिर रखा जाये, जिससे वह एक लाख से ऊपर समझी जा सके। इसी के अनुसार उसने एक लाख के ऊपर १५,००० की सीमा निर्धारित की थी। यदि जनसंख्या को १,१५,००० पर स्थिर रखा जा सके, तो वे नगर 'ग' वर्ग में सम्मिलित किये जा सकते हैं। अन्यथा तंजौर की भांति ही जिसका उदाहरण अभी दिया

[श्री अलगेशन]

गया है, इसमें कमी या अधिकता हो सकती है। अतः 'ग' वर्ग में सम्मिलित किये जाने वाले नगरों में एक लाख से १५,००० तक अधिक जनसंख्या होनी चाहिये। इस प्रकार इस वर्ग में अलेप्पी, राजकोट, कोल्हापुर, खड़गपुर, कोलार की सोने की खानें, रामपुर, उज्जैन तथा वारंगल आदि नगर मिला दिए गए हैं। मेरे माननीय मित्र श्री टी० बी० विट्ठल राव ने राजामुन्द्री, वारंगल तथा तंजौर के नगरों का निर्देश किया है। १९५१ की जनगणना के अनुसार वारंगल की जनसंख्या १,३३,१३० है। अतः स्पष्टतः यह सीमा १,१५,००० से अधिक होने के कारण इसको 'ग' वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : वर्गीकरण कब किया गया था और इन लोगों को किस तिथि से वेतन दिया गया था ?

श्री अलगेशन : इस वर्गीकरण के अनुसार '१–१०–५२ से मकान का किराया दिया गया है। यह निर्णय किस तिथि को किया गया था, इसके लिये माननीय सदस्य चिन्तित न हों, क्योंकि लाभ १–१०–५२ से दिया जा रहा है। इतने से ही उन्हें सन्तुष्ट होना चाहिये।

राजमन्द्री 'ग' वर्ग के अन्तर्गत आने योग्य नहीं है क्योंकि इसकी जनसंख्या १,०५,००० के लगभग है।

श्री नम्बियार : जबकि जनसंख्या भी वास्तविक सीमा १,१५,००० है तो उसे स्पष्ट बता दीजिये। आप यह क्यों कहते हैं कि यह सीमा १,००,००० ही है किन्तु कुछ कारणावश इसमें १५,००० की वृद्धि कर दी गई है। इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। लोग इस सीमा को १,००,००० तक ही समझते हैं किन्तु आप १५,००० और लाद रहे हैं।

श्री अलगेशन : १,००,००० के ऊपर यह अतिरिक्त १५,००० और बढ़ा देने की क्या आवश्यकता है इसके कारण मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : फिर क्या है सी० पी० सी० की सिफारिशों में परिवर्तन करते चले जाइये।

श्री अलगेशन : उनमें परिवर्तन आपके लाभ के लिये भी किया गया है।

श्री नम्बियार : क्या इसमें १,००,००० से कम मान लीजिये, ९५,००० की जनसंख्या वाला कोई नगर सम्मिलित किया गया है ?

श्री अलगेशन : अम्बाला तथा आसनसोल की जनसंख्या १,००,००० से कम होने पर भी उनको इसी वर्ग में रखा गया है क्योंकि वे मूलतः इसी वर्ग में थे। हमने उनके वर्ग में परिवर्तन नहीं किया है। मुझे आशा है कि इस आलोचना का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भूतपूर्व एन० एस० रेलवे कर्मचारियों को दी गई रियायत के सम्बन्ध में दूसरा विवाद-विन्दु उठाया गया था। १९४९ में बनाया गया रियायती सूत्र इन कर्मचारियों में लागू किया था किन्तु १९३१ से पहले के कर्मचारियों को जो रियायत दी गई थी वह केवल भूतपूर्व सरकारी रेलवे कर्मचारियों में ही लागू हुआ था भूतपूर्व एन० एस० रेलवे कर्मचारियों के लिये नहीं। कुछ अन्य विवाद-विन्दु भी उठाये गये थे किन्तु खेद है कि मेरे माननीय मित्र सदन से बाहर चले गए थे।

सभापति महोदय : कटौती प्रस्ताव के लिये अनुमति नहीं दी गई है अतः ऐसे प्रस्ताव के मूल विषय के सम्बन्ध में कोई अन्तर नहीं दिया जा सकता है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : भूतपूर्व रेलवे कर्मचारियों को जिनको क्रमशः पचीस वर्ष या तीस वर्ष नौकरी करते हो गये हैं उनको एक अथवा दो क्रमागत वृत्तियां जैसा भी उचित हो, न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अलगेशन : मैं पहले ही बता चुका कि १९४९ में बनाया गया सूत्र भूतपूर्व एन० एस० रेलवे कर्मचारियों में लागू था, १९३१ से पहले के भूतपूर्व रेलवे कर्मचारियों के लिये ही रियायती सूत्र लागू किया गया था, रियासती रेलों में यह सूत्र लागू नहीं हुआ था।

सेवा निवृत्त जनरल मैनेजरों का सेवा आयोगों का अध्यक्ष बनाया जाना कुछ नई बात नहीं है। बम्बई सेवा आयोग के अध्यक्ष दक्षिण रेलवे के सेवा निवृत्त जनरल मैनेजर थे।

श्री नम्बियार : सेवा निवृत्त अधिकारियों को क्यों काम पर लगाया जाता है।

श्री अलगेशन : उन्हें अपने काम का ज्ञान होता है क्योंकि वे सारा जीवन रेलवे की सेवा में बिता चुके होते हैं। जिस प्रकार श्री नम्बियार रेलवे श्रमिकों सम्बन्धी समस्याओं में निपुण समझे जाते हैं उसी प्रकार सेवा निवृत्त जनरल मैनेजरों का जीवन भर रेलवे से सम्बन्ध रहा होता है अतः वे इसके आन्तरिक कार्यक्रम को समझते हैं। इस सेवा निवृत्त रेलवे अधिकारी के अतिरिक्त एक अन्य सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारी भी होता है। ऐसा दक्षिण वालों के हितों की रक्षा के विचार से किया गया है।

साम्प्रदायिकता का तो अंश मात्र भी नहीं है। हां, अनुसूचित जातियों तथा आदिम-जातियों और आंग्लभारतीयों के लिये रक्षण अवश्य है। अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित स्थानों की भरती बहुत संतोषजनक रही है। १९५२-५३ में उन के लिये रक्षित १६७३ स्थानों में से ९०६ स्थान उन्हें आयोग द्वारा प्राप्त हुये हैं। अनुसूचित आदिम-जातियों और आंग्लभारतीयों की भरती के आंकड़े इतने संतोषजनक नहीं हैं। श्री एन्थनी ने व्यय राशियों में परिवर्तन का प्रश्न उठाया है। रेलवे के कुछ भागों में ऐसा हुआ है परन्तु कुछ में बचत हुई है। शुद्ध व्यय ६.९५ लाख रुपया होता है। यह एक साधारण सी चीज़ है, कोई नई श्रेणी नहीं है।

सभापति महोदय : कटौती प्रस्ताव संख्या २, ४ और १३ प्रस्तुत किये जाने हैं। कटौती प्रस्ताव संख्या ३ पर आग्रह नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या २, ४ और १३ मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय द्वारा मांग संख्या ४ मतदान के लिए प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई।

मांग संख्या ५

१९५३–५४ के लिए अनुपूरक अनुदान की यह मांग सभापति महोदय ने प्रस्तुत की।

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
५	सामान्य कार्यवहन व्यय—मरम्मत तथा संधारण	२,३१,३०,००० रु०

निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
५	श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	कुम्भ मेले सम्बन्धी व्यय	१०० रु०%

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): व्याख्यात्मक टिप्पणी से पता चलता है कि कुम्भ मेले के सम्बन्ध में अस्थायी कामों तथा पुल, पटड़ी आदि की मरम्मत पर ८७ लाख रुपया खर्च किया गया है। पुल आदि की मरम्मत तो साधारण अवस्था में भी होनी ही चाहिए अतः कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि कुम्भ के अवसर पर ही यह सब खर्च क्यों किया गया। मैं समझता हूं कि इन अच्छे अवसरों की आड़ में अपव्यय को छुपाने का प्रयत्न किया गया है। माननीय मंत्री को चाहिए कि वे हमें यह बतलायें कि यह पुल आदि पहले से ही ठीक दशा में क्यों नहीं रखे गए थे।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किया गया :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
५	श्री नम्बियार	दक्षिण रेलवे और गोल्डन राक वर्क्स में लाइनों और निर्माण कार्यों की देखभाल में कमी	१०० रु०

श्री नम्बियार: मैं अपना कटौती प्रस्ताव रखते हुए यह कहना चाहता हूं कि दक्षिण रेलवे में लाइनों की देख भाल ठीक तरह से नहीं हो रही है। मद्रास और बिजयवाड़ा के बीच रेलगाड़ियों को अपनी रफ़्तार कम करनी पड़ती है क्योंकि वहां लाइनें ठीक नहीं हैं। सरकार का कहना है कि यह लाइनें पुरानी हो गई हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी देख भाल ठीक तरह से नहीं होती है। पहले बारहमासियों का एक समूह तीन मील लम्बी लाइन की देख भाल करते थे अब उन्हें चार मील लम्बी लाइन की देखभाल करनी होती है यद्यपि समूह में बारहमासियों की संख्या पहली जितनी ही है।

दूसरी बात यह है कि लाइन ठीक करने के औजारों को लेने के लिए उन्हें लगभग १६ मील प्रति दिन आना जाना पड़ता है। यह औजार स्टेशनों पर रखे जाते हैं जो कि बारहमासियों के रहने के स्थान से दूर होते हैं। सरकार इन को बारहमासियों के बीच रखनें के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे इन के खो जाने का डर है। आप इस के लिए एक चौकीदार रख सकते हैं। मगर सरकार का कहना है कि इस से खर्च बढ़ता है।

तीसरी बात यह है कि रात के समय एक बारहमासी को लगभग २० मील लम्बी लाइन की रखवाली करनी होती है। उसे स्टेशन पर अपनी पुस्तक में हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं। इस का परिणाम यह होता है कि वह हस्ताक्षर करवाने की धुन में लाइन की देख भाल पर ध्यान दिए बिना ही भागता चला जाता है। अगर वह हस्ताक्षर नहीं करवाता है तो उसकी नौकरी जाती है। इस के अलावा उसे पहनने के लिए जूते भी नहीं दिये जाते हैं। अक्सर सांप आदि काट लेते हैं। कम से कम दो व्यक्तियों को गश्त के लिये भेजा जाना चाहिये जिस से आवश्यकता पड़ने पर वे एक दूसरे के काम आ सकें। यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाये तो मेरे विचार में लाइनों की देख भाल ठीक से हो सकती है।

मुझे दक्षिण रेलवे के गोल्डन रॉक कारखाने के सम्बन्ध में भी कुछ कहना है। वहां पर मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। २०० कारीगरों के बीच कुल एक धार धरने वाली मशीन होती है जिस से कारीगरों को काम में बहुत बाधा होती है। उन्हें ऐसी रेतियां दी जाती हैं जो बिल्कुल बेकार होती हैं। काम की अधि-

कता के कारण अक्सर मशीनें खराब हो कर रुक जाती हैं। मगर मशीनों के खराब होने की जिम्मेदारी कारीगरों पर ही डाली जाती है। उन को परेशान किया जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि कारखानों के प्रशासन में सुधार होना चाहिये।

दक्षिण रेलवे में अक्सर डब्बों के पहिये निकल कर दूर भाग जाते हैं। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। उन के बारे में कोई देख भाल नहीं होती। मैं चाहता हूं कि यह खराबी दूर की जाये।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण): जहां तक मशीनों की मरम्मत किये जाने का सवाल है मैं चाहता हूं कि रेलवे मंत्री मध्य रेलवे के धौंध मनमाद लाइन की ओर ध्यान दें। वहां पर अक्सर इंजन बिगड़ जाते हैं और यात्रियों को बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। मेरा निवेदन है कि वहां पर इंजनों की मरम्मत का उचित प्रबन्ध किया जाये अथवा नये इंजन चलाये जायें।

श्री अलगेशन: अपने माननीय मित्र श्री गुरुपादस्वामी की कुछ बातें सुन कर मुझे दुःख हुआ है। यद्यपि वह इस समय सदन में नहीं हैं, फिर भी, मैं चाहता था कि वह मेरे उत्तर की प्रतीक्षा करते। इस मांग के अन्तर्गत कुम्भ मेले के प्रबन्ध के लिये ४५ लाख रुपये की राशि मांगी गई है। श्रीमान्, आपको मालूम होगा कि इलाहाबाद तीन महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों का जंकशन है। दो बड़ी लाइनें और एक छोटी लाइन आकर वहां मिलती है। साधारणतः यातायात लगभग ७००० का होता था। कुम्भ मेले के फलस्वरूप लाखों व्यक्ति वहां पर आये और रेलवे को उन की व्यवस्था करनी पड़ी। रेलवे को नये क्रासिंग स्टेशन, टिकट बांटने की अतिरिक्त खिड़कियां बनानी पड़ी। प्लेटफार्म बढ़ाने पड़े। सफाई आदि का प्रबन्ध करना पड़ा। मैं ने तो यह सोचा था कि इस प्रबन्ध के लिये सदन रेलवे मंत्रालय को बधाई देगा किन्तु इस को बजाय यह आरोप लगाया जा रहा है कि हमने कुम्भ मेले के प्रबन्ध करने के लिये जो राशि मांगी है उसे हम और किसी विषय के लिये चाहते हैं।

जहां तक अन्य कार्यों का सम्बन्ध है वह तो वर्ष के दौरान में होते ही रहते हैं, जैसे, पूर्वी रेलवे में लाइनें बदलने पर ही १० लाख रुपये लग जाते हैं। इस के अलावा तूफान तथा बाढ़ से होने वाले नुकसान को ठीक करना होता है। जो लोग दक्षिण से आ रहे हैं उन्हें तो मालूम ही होगा कि तूफानों से कितना नुकसान होता है। क्वार्टरों आदि की मरम्मत के लिये ३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार पूर्वी रेलवे के लिये भी २.५५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

अन्य पुलों की मरम्मत का कुम्भ मेले से कोई सम्बन्ध नहीं था। बैकी नामक एक पुल की मरम्मत के लिये राशि की आवश्यकता पड़ी थी।

मेरे माननीय मित्र गश्त लगाने के सम्बन्ध में कुछ कह रहे थे। वास्तव में, मध्य रेलवे पर गश्त लगाने के काम पर हमें अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है क्योंकि इस रेलवे पर लाइन सम्बन्धी बहुत सा सामान चोरी कर लिया जाता है और यह काफी कीमत का होता है। दक्षिण रेलवे में हमें अतिरिक्त रूप से गश्त लगाने की व्यसवस्था करनी पड़ती है क्योंकि आन्ध्र और कर्नाटक राज्यों के बनाने के सम्बन्ध में उपद्रव किये जाते हैं। यह सब बातें इस मांग के अन्तर्गत आ जाती हैं तथा कुम्भ मेले के लिये तो केवल ४५ लाख रुपये मांगे गये हैं।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ६ और १५ मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुये।

सभापति महोदय द्वारा मांग संख्या ५ मतदान के लिए प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई।

[श्री अलगेशन]

मांग संख्या ६—साधारण कार्यवाहन व्यय संचालक कर्मचारी

१९५४ के लिये अनुपूरक अनुदान की यह मांग सभाति महोदय ने प्रस्तुत की :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
६	साधारण कार्यवहन व्यय—संचालक कर्मचारी	५९,३२,००० रु०

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
६	श्री फ्रैंक एंथनी	कुछ प्रयोजनों के लिए महंगाई भत्ते को वेतन मानने के परिणाम	१०० रुपये

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं अपना कटौती प्रस्ताव रखते हुये यह कहना चाहता हूं कि गाडगिल कमेटी की सिफारिशों के कारण रेलवे के कर्मचारियों को लाभ होने के बजाय हानि उठानी पड़ रही है। १० में से ९ मामले ऐसे हैं जिन में रेलवे कर्मचारियों को जो अब वेतन मिलता है वह सिफारिशों के कार्यान्वित करने से पहिले मिलने वाले वेतन से कम है। रेलवे मंत्रालय को यह न समझ लेना चाहिये कि इन सिफारिशों को कार्यान्वित करके उस ने रेलवे कर्मचारियों पर कोई बड़ा भारी एहसान किया है। वास्तविकता तो यह है कि इस की आड़ में केन्द्रीय वेतन कमेटी की सिफारिशों को ठुकरा दिया गया है। केन्द्रीय वेतन कमेटी ने सिफारिश की थी कि निर्वाहिदेशजा में २०० बिन्दु के ऊपर बीस बीस बिन्दु की बृद्धि होने पर मंहगाई भत्ता भी बढ़ा दिया जायेगा। लेकिन इस सिफारिश पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि माननीय उपमंत्री इन बातों का स्पष्ट उत्तर दें।

श्री अलगेशन : श्री एन्थनी की यह बात कि गाडगिल समिति की रिपोर्ट की क्रियान्विति केवल एक छल है, बिल्कुल ग़लत और निराधार है। वास्तव में सदन आज जो राशि मंजूर कर रहा है उसका लगभग आधा भाग वह है जिसकी जरूरत रेलवे विभाग को गाडगिल समिति की सिफ़ारिशें क्रियान्वित करने के कारण पड़ रही है। प्रत्येक मांग में उसका पहला स्थान है और इसी अभिप्राय से हमने यह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है। आज लगभग ६$\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की जो अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जा रही है उसमें से आधी गाडगिल समिति को सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के फलस्वरूप है। यदि माननीय सदस्य इसे छल कहें, तो मैं इसके लिये कुछ नहीं कह सकता।

मुझे इस बात की प्रसन्नता ह कि अतिरिक्त भविष्य निधि तथा निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में कर्मचारियों को जो लाभ मिले हैं, उसे उन्होंने स्वीकार किया है। यह चीज़ उन सब पर लागू होती है जिन्हें प्रतिमास ७५० रुपये तक मिलते हैं। मकान के किराय का हिसाब लगाने के लिये मिलाये हुए महंगाई भत्ते का दस प्रतिशत की बजाय केवल ५ प्रतिशत जोड़ा जाता है। कुछ मामलों में, मकान के किराय से थोड़ा नुक़सान होता है। परन्तु इन मामलों में भी व्यक्तिगत भत्ते देकर, जो वतन-वृद्धियों में मिला लिये जायंगे, कठिनाई दूर कर दी गई है। वास्तव में, इस प्रकार की व्यवस्था से कर्मचारियों को बहुत कुछ लाभ हुआ है।

श्री नम्बियार : मैं एक बात पूछना चाहता हूं। क्या यह सच नहीं है कि गाडगिल समिति की सिफ़ारिशों के कारण कर्मचारियों की कुल उपलब्धियों में पहले की अपेक्षा कमी हो गई है ?

श्री अलगेशन : मैंने केवल उसी राशि का निदश किया था जिसे सदन आज मंजूर कर रहा है।

सभापति महोदय : यह चीज़ यहां उत्पन्न नहीं होती। आप सामान्य चर्चा के समय यह बात उठा सकते हैं। सभापति द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ७ मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं सारी मांगें प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा शेष मांगें—संख्या ६, ७, ८, ९, १०, १६ तथा १७ —मतदान के लिये प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुईं।

विनियोग (रेलवे) विधेयक

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५३–५४ में रेलवे के व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिय रखा गया और स्वीकृत हुआ।

श्री अलगेशन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५३–५४ में रेलवे के व्यय के लिय भारत की संचित निधि म से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नम्बियार : मैं एक बात कहना चाहता हूं। यहां एक मांग में कहा गया है कि रेलवे कर्मचारियों की वर्दी के लिये खादी खरीदी जाती है। मैं इस सम्बन्ध में यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि खादी की बजाय हाथकरघा का बना कपड़ा काम में लाया जाये। दक्षिण में हाथ करघे से बने कपड़े को बेचने की बड़ी भारी समस्या है। इसलिये यदि सरकार रेल कर्मचारियों के लिये इसे खरीद लिया करे तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री अलगेशन : खादी हाथ की कती और हाथ की बुनी होती है। इसमें हाथ करघे से बना कपड़ा भी शामिल होता है। मैं आपको बता दूं कि हम हाथ करघे से बना कपड़ा भी खरीदते हैं; जहां खादी ठीक समझी जाती है वहां हम खादी खरीदते हैं।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

खंड १, २ व ३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

विधेयक का नाम तथा अधिनियमन में सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री अलगेशन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) संशोधन विधेयक

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : इस विधेयक पर चर्चा करने से पहले में एक बात

[श्री वी० जी० देशपांडे]

कहना चाहता हूं। कल हमें वचन दिया गया था कि अपहृत स्त्रियों के बच्चों के बारे में कुछ आंकड़े माननीय सदस्यों को दिय जायेंगे। हमें अभी तक वे आंकड़े नहीं मिले हैं।

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मेरे पास ये आंकड़े हैं। मैं अभी बताता हूं। १९५३ में पुनः प्राप्त किये गये बच्चों की संख्या इस प्रकार है। भारत में ८५९ बच्चे पुनः प्राप्त किये गये थे जिनमें से ३४० को उनकी मातायें पाकिस्तान ले गई और ५१९ यहां रह गये थे। पाकिस्तान में, इसी काल में, १३२ बच्चे पुनः प्राप्त किये गये थे जिनमें से ९२ को उनकी मातायें भारत ले आईं और ४० पाकिस्तान में रह गये।

श्री वी० जी० देशपांडे : हमने ये आंकड़े नहीं मांगे थे। हम ये मालूम करना चाहते थे कि कितनी स्त्रियों का अपहरण हुआ, अपहरण के बाद कितने बच्चे हुए और इन बच्चों का क्या हुआ।

सरदार स्वर्ण सिंह : हमारे पास अलग अलग आंकड़े नहीं हैं।

सभापति महोदय : यदि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें बनाया नहीं जा सकता।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा एक निवेदन है। इस काम के लिये हमारे यहां एक अलग विभाग खुला हुआ है जिसे हम काफ़ी रुपया देते रहे हैं। यदि यह विभाग काम कर रहा है तो उसने ये आंकड़े ज़रूर इकट्ठे किये होंगे और जब उसने इकट्ठ किये हैं तो हमें क्यों नहीं बताये जाते ? इतनी सारी औरतें भारत से पाकिस्तान गईं और पाकिस्तान से भारत आईं। हम जानना चाहते हैं कि इन सात वर्षों में क्या हुआ ? क्या उनकी फिर से शादी हुई है ? यदि हुई है तो उनसे कितने बच्चे हुए और उन बच्चों का क्या होगा ? हमारे सामने इन सब बातों की सूचना होनी चाहिये।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जिस समस्या के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण और मूलभूत समस्या है तथा इसका संख्या से कोई सम्बन्ध नहीं है। निस्संदेह संख्या से हमें समस्या की सीमा जानने में सहायता मिलती है, परन्तु वास्तविक समस्या यह है—और यह बहुत असामान्य और असाधारण समस्या है—कि जब कतिपय नये सम्बन्ध स्थापित हो चुके हैं तो क्या उन्हें तोड़ना चाहिये, अथवा चलते रहने देना चाहियें ? सामान्यतः एसी समस्या का उत्तर देना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि वस्तुतः यह व्यक्तिगत मामलों का प्रश्न है कि उनका सम्बन्ध कैसा है और वह कैसे चल रहा है। क्या वह प्रसन्नतापूर्ण है अथवा अप्रसन्नतापूर्ण ? इसम इतणी बातें आ जाती हैं कि सामान्य उत्तर से बात व्यक्त नहीं होगी, परन्तु सामान्यतः सर्वप्रथम यह पता लगाने का प्रयत्न किया गया है कि ऐसे मामले कहां हुए हैं। यह पता लगाने की प्रक्रिया भी इतनी सुगम नहीं है। जब ऐसी शिकायतें आती हैं तो पूछताछ की जाती है और कभी तो इसमें सफलता होती है और कभी नहीं। ठीक से यह कहा जा सकता है कि आरम्भ में इन निर्दिष्ट मामलों में यदि वर्गीकरण किया जाये—कुछ संभाव्य मामले हैं जिनमें निस्संदेह आरम्भ में ही स्पष्टतया प्रयास की आवश्यकता है और कुछ संदिग्ध मामले हैं, कुछ असंभव मामले हैं, इत्यादि। आप उन्हें आधे दर्जन वर्गों में बांट सकते हैं और जांच पड़ताल में यदि आपको अधिक तथ्य पता लगे तो संदिग्ध मामले भी संभाव्य बन जायेंगे। इन वर्षों म पाकिस्तान और

हमारे बीच मामलों की लम्बी सूचियों का आदान-प्रदान हुआ है । परन्तु न तो हम ही उनकी सत्यता के सम्बन्ध में प्रत्याभूति दे सकते हैं और न ही पाकिस्तान ऐसा कर सकता है । यदि कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और कहता है कि उसकी कोई सम्बन्धी, लड़की अथवा और कोई पाकिस्तान में अपहृत हुई थी तो इसे उस समय सत्य ही समझा जायेगा क्योंकि इस की जांच के लिए हमारे पास साधन नहीं हैं । हम वह नाम पाकिस्तान को भेज देते हैं । और ऐसा ही वह भी करते हैं । हो सकता है कि एसा कोई अपहरण न हुआ हो, सम्भवतः वह व्यक्ति झगड़े के दिनों में बहुत पहले मर चुका हो और क्योंकि वह वहां नहीं थी इसका यह अभिप्राय नहीं कि उसका अपहरण हो गया था । यह सम्भव है कि वह मरी न हो वरन् किसी और इलाके में चली गई हो । ऐसी बातें हुई हैं और उनका पता केवल उपयुक्त जांच के पश्चात् लग सकता है । पहली सूचियां सर्वथा ऐसे अस्पष्ट अभिकथनों पर आधारित थी कि भारत में अथवा किसी दूसरी जगह किसी व्यक्ति का अपहरण हुआ था । कभी कभी वही नाम सूचियों में बार बार आ जाते हैं और बिना उपयुक्त जांच के इन नामों को स्वीकार कर लेन से बहुत उलझन उत्पन्न हो जाती है । जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं संकेत किया है, यह समस्या राजनीतिक समस्या नहीं है, परन्तु अवश्य ही यह एक मानव सम्बन्धी समस्या है जिसका प्रभाव बहुत से लोगों के जीवन पर पड़ता है । आरम्भ में भी प्रभाव पड़ता है और बाद में भी सम्बन्ध स्थापित होने के कारण एक और प्रभाव पड़ता है और बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं । बच्चों का क्या किया जाए ? मैं यह कह सकता हूं कि इस मामले को हाथ में लेते समय जिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिये उनमें सम्भवतः एक यह है कि बच्चों का भविष्य क्या हो ? मैं अन्य पहलुओं अर्थात् स्त्रियों की समस्या के महत्व को कम नहीं करना चाहता परन्तु मैं समझता हूं कि प्रायः बच्चों के भविष्य का मामला और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने भविष्य के नागरिक बनना है और उन्हें सामान्य परिस्थितियों में पलने का अवसर मिलना चाहिये । ये सब बातें बहुत कठिन हैं । इसलिए आरम्भ से ही यह केवल सरकारी व्यवस्था के संचालन का ही विषय नहीं है । यद्यपि उस व्यवस्था ने कार्य करना ही है, परन्तु साथ ही एक ऐसी बात की भी आवश्यकता पड़ती है जिसका प्रबन्ध सामान्यतः सरकार नहीं कर सकती । वह यह अनौपचारिक बात है कि इन अभागी स्त्रियों के साथ मैत्रीपूर्ण और समझदारी से व्यवहार किया जाय । फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसे कैसे हल किया जाय ? इसका मूलभूत हल यही था कि सम्बन्धित स्त्रियों की सहमति अथवा अनुमति होनी चाहिये । वह कसे प्राप्त की जा सकती है ? हम ऐसी स्थिति कैसे पैदा कर सकते हैं जिसमें वह वस्तुतः अपनी राय प्रकट कर सके और बिना किसी परिणाम के भय अथवा किसी दबाव के ऐसा करे । एक सर्वथा भिन्न रूप में कोरिया के युद्धबन्दियों के सम्बन्ध में इस उदाहरण का निर्देश मैंने किया था । जब हमने उनसे प्रश्न किया कि क्या आप वापस जाना चाहते है तो उन्होंने एक ऐसा उत्तर दिया जिसका कोई मतलब नहीं निकलता था क्योंकि उन्हें सम्भवतः यहां तक कह दिया गया था कि उनका सिर काट दिया जायगा अथवा इसी प्रकार का कुछ और भय उन्हें दिया गया था । जब तक उन्हें स्पष्टीकरण का अवसर न दिया गया अथवा विश्वास न दिलाया गया होगा कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जायेगा, उनका उत्तर ठीक नहीं था । अन्त में निर्णय उन्हीं के हाथ है । सर्वप्रथम सम्बन्धित स्त्रियों का पता लगाना होता है । फिर हमें पता लगता है कि यह एक तथ्यपूर्ण मामला है ।

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

फिर उसे शान्त और मैत्रीपूर्ण वातावरण में रखना पड़ता है जहां वह अपने सम्बन्धियों इत्यादि से मिल सके और पता लगा सके कि उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, ताकि वह निर्णय कर सके। मेरे मन में कोई सन्देह नहीं है—न ही इस विषय के सम्बन्ध में मेरे मन में कभी सन्देह हुआ है—कि जब तक वह जाने के लिए तैयार न हो किसी को भी उस पार नहीं भेजना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा दृष्टिकोण सर्वथा स्पष्ट है। परन्तु इस सम्बन्ध में शंका रहित अपना निर्णय करने के लिए किसी स्त्री को पूर्ण सुविधा देने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इस मामले को हल करने का सामान्य ढंग यही रहा है। परन्तु इस ढंग को अपनाते हुए कई अन्य बातों का ध्यान रखना होता है। यह कह देना बहुत सरल है, परन्तु प्रत्येक मामले में उसके गुण अवगुण के आधार पर ही निर्णय करना होता है। इसका निर्णय करने के लिए हमारे पास एक न्यायाधिकरण था। वह प्रत्येक मामले की गहरी जांच करता था अथवा नहीं मुझे व्यक्तिगत रूप से पता नहीं। परन्तु उद्देश्य यही था। थोड़े समय से समस्या के सामान्य रूप को छोड़ कर, हम उसको विस्तारपूर्वक समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इसके बड़े पहलू पर जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है अधिक ज़ोर डाला जा सके। बच्चों के भविष्य की बात बहुत विचारणीय है और अन्तिम विश्लेषण के आधार पर स्त्रियों के सम्बन्ध में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जिसमें दबाव हो। आरम्भ में उसे ले जाकर एक घर में रखना चाहिये परन्तु अन्त में मैं बिना सन्देह कह सकता हूं कि न तो कोई दबाव हो सकता है और न ही होना चाहिये।

कभी कभी लोग पाकिस्तान से प्राप्त स्त्रियों की संख्या की तुलना भारत से प्राप्त हुई महिलाओं की संख्या से करते हैं। तुलना की जा सकती है और की जानी चाहिये। परन्तु यह प्रकरण इस मामले से संगत नहीं है। यदि पाकिस्तान में एक भी स्त्री है जो भारत आना चाहती है और जिसका जीवन भारत में अपने घर आकर अधिक सुखी हो सकता है तो अन्य बातों का विचार किये बिना हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिये। और ऐसा दोनों ओर होना चाहिये क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले को ठीक प्रकार से हल किया गया और निबटाया गया तो उसमें मानवता को लाभ है। वे ठीक नहीं है जिनकी गणना इस प्रकार की जाए कि कितनी स्त्रियां उस ओर से प्राप्त हुई और कितनी यहां से। मेरा निवेदन है कि यह हल का ठीक ढंग नहीं है।

फिर यह भी तथ्य है कि इन मामलों को दोनों सरकारों के बीच सहयोग द्वारा निबटाया जा सकता है। इस लिए एक सहकारी व्यवस्था का विकास हुआ है। स्पष्ट ही है कि जब तक दूसरी ओर से सहयोग प्राप्त न हो, एक सरकार यह कार्य नहीं कर सकती। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक पदाधिकारी ऐसा कार्य करता है जो उसे नहीं करना चाहिये। परन्तु इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था है वह सहयोगपूर्ण है और इसने कुछ हद तक संतोषजनक कार्य किया है। इस विधान को लीजिये जिसकी अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है। अन्य बातों का ध्यान न करते हुए भी हमें इस अवधि को बढ़ाना चाहिये ताकि इस से सामान्य योजना ठीक से चले। कोई परिवर्तन भी जो हम करना चाहें पारस्परिक हो सकता है एक ओर से नहीं। क्योंकि कुछ प्रकार के विधान दोनों ओर लागू होते हैं। इसकी कालावधि बढ़ाने के लिये यह भी एक पर्याप्त कारण है। यह स्पष्ट है कि अनिश्चित काल तक इस समस्या को इस ढंग से हल नहीं

किया जा सकता । किसी न किसी समय इसका अन्त होना है क्योंकि प्रत्येक वर्ष के बीतने से और कठिनाइयां बढ़ जाती हैं । परन्तु प्रत्येक बात पर ध्यान देने के पश्चात् हम पूर्णतः अनुभव करते हैं कि हमें एक आध वर्ष और इसे चलाना चाहिये । निस्संदेह हमने और तीन मास तक इसकी कालावधि बढ़ाने की मांग की है क्योंकि एक वर्ष तक कालावधि की वृद्धि आय-व्ययक सत्र के मध्य में पहुंचती है जिससे सभा को असुविधा होगी । व्यावहारिक रूप से यह एक वर्ष के लिए है और इस कालावधि में हम समस्या को हल करने के अपने ढंग में जहां आवश्यक समझा जाये, कुछ संशोधन करेंगे और यदि सम्भव हो सका तो समस्या को अन्तिम रूप देने का प्रयास करेंगे ।

श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि इन परिस्थितियों में सदन के लिए यह ठीक होगा कि वे विधान की अवधि को बड़ा दें और विस्तृत बातों में न जायें; और इस बीच में मंत्रालय तथा अन्य व्यक्ति जो इसके लिए उत्तरदायी हैं सब पहलुओं पर विचार करें—निस्संदेह यहां माननीय सदस्यों ने बहुत से पहलुओं का उल्लेख किया है—और इस समस्या को मानवता की भावना के साथ यथाशीघ्र निबटायें ।

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर-दक्षिण) : जो कुछ मैं इस विधेयक के बारे में कहना चाहता था, वह सारी बातें माननीय प्रधान मंत्री कह चुके हैं । उन्होंने ठीक कहा है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्थानान्तरण पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिये ।

दूसरी बात मैं बच्चों के बारे में कहना चाहता हूं । विधि में यह उपबन्ध है कि अपहृत व्यक्तियों में किसी स्त्री से उत्पन्न हुआ बच्चा भी सम्मिलित है । अपहृत व्यक्ति की परिभाषा में कहा गया है कि १६ वर्ष से कम आयु वाला बालक तथा किसी भी आयु की स्त्री जो मुसलमान हों या पहली मार्च, १९४७ से फौरन पहले मुसलमान थे, और जो पहली जनवरी, १९४९ को या उससे पूर्व अपने परिवार से बिछुड़ गये हों और अन्य किसी व्यक्ति या परिवार के पास रहते पाये जायें और पहली जनवरी, १९४९ के बाद भी ऐसी स्त्री से पैदा हुआ बच्चा— यह सब अपहृत व्यक्ति कहलायेंगे । अर्थात् १९४९ के बाद पैदा हुए बच्चे को उसकी माता के साथ लिया जा सकता है । परन्तु संविधान के अनुच्छेद ५ के अनुसार भारत में पैदा हुआ बच्चा भारतीय नागरिक है ।

माननीय मंत्री द्वारा बताये गये आंकड़ों से प्रतीत होता है कि कई बच्चे नहीं भेजे गये हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि मंत्रालय इस मामले की जांच करे और यदि आवश्यक हो तो विधि का यथोचित संशोधन किया जाये ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : श्रीमान्, यदि मुझे आज्ञा हो, मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूं ।

मैंने जब अपने माननीय मित्र, सरदार स्वर्णसिंह को इस विधेयक के बारे में उत्साह से टिप्पणी लिखते देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इस विधेयक पर चर्चा करना सामान्यतः उनका काम नहीं । परन्तु शीघ्र ही मुझे ध्यान आया कि वह गृह-व्यवस्था तथा सम्भरण मंत्री हैं और वह इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर सकते हैं । परन्तु मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि वह अपने उत्तर में ऐसी कोई बात न कहें जिससे यह ज्ञात हो कि वह न केवल इस देश की अपितु पाकिस्तान की आवास की आवश्यकताओं को भी पूरा करने के उत्सुक हैं । मेरा विचार है कि माननीय प्रधान मंत्री ने जो भाषण अभी दिया उसमें इस स्थिति का पूरा हल बताया गया है और

[श्री आर० के० चौधरी]

हमें अब चिन्ता नहीं करनी चाहिये । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मूल अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट उपबन्ध है कि यदि कोई बालिग अपहृत स्त्री भारत छोड़ना न चाहे तो कानून उसे ऐसा करने देगा । यदि वर्तमान कानून के अधीन वह अपनी इच्छा के अनुसार यहां रहने में असमर्थ है तो इस विधेयक का संशोधन करने में हम ऐसा कोई उपबन्ध नहीं कर सकते । परिणाम यह रहेगा कि हम केवल इस विधेयक की अवधि बढ़ायेंगे । परन्तु उस दशा में हमारी जनता में से अधिकांश लोग इस पर कड़ी आपत्ति करेंगे । यदि एक ऐसा उपबन्ध किया जा सके । कि यदि कोई अपहृत स्त्री पाकिस्तान वापस न जाना चाहे तो उसको ऐसा करने के लिये मजबूर नहीं किया जायेगा.....

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य का ध्यान मूल अधिनियम की धारा ६ की ओर दिलाना चाहता हूं । इसमें कहा गया है कि पहले इस बात का निर्णय करना है कि कोई व्यक्ति अपहृत व्यक्ति है या नहीं । फिर उपधारा (१) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया न्यायाधिकरण इस बात का निर्णय करेगा कि इस व्यक्ति को भारत से बाहर भेजा जायेगा या नहीं । और न्यायाधिकरण का निर्णय सामान्यतः अन्तिम निर्णय होगा । केवल सरकार, अपनी ओर से या किसी सम्बन्धित पक्ष के आवेदन दिये जाने पर इस निर्णय का पुनरीक्षण कर सकती है । साधारणतः, आदेश जारी किये जाने से पूर्व अपहृत व्यक्ति के निजी निर्णय को अधिमान दिया जाना चाहिये और उसको विचार में रखते हुए आदेश दिया जाना चाहिये । मैं नहीं कह सकता कि इस बात से माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न हल होता है या नहीं ।

श्री आर० के० चौधरी : यह कानून के अनुसार स्थिति यही है, तो इस पर कोई गम्भीर आपत्ति नहीं । परन्तु कल श्री त्रिवेदी ने सदन के सामने एक लड़की का उदाहरण रखा था कि वह अपहृत की गई और उसका एक पति मुसलमान था । वह मर गया । फिर उसने पुनः हिन्दू धर्म अपनाया और एक हिन्दू से विवाह किया । परन्तु उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी उसको मजबूर किया गया और गिरफ्तार करके पाकिस्तान भेजा गया । इस उदाहरण से तो पता चलता है कि इस कानून को केवल कागज़ी कानून माना जाता है ।

कल श्री जोशी ने एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर नैतिकता आदि बड़ी बडी बातों की चर्चा की मैं जानना चाहता हूं कि यदि एक स्त्री यहां विवाह करती है, पांच वर्ष उस पति के साथ रहती है और उसके बच्चे भी होते हैं, तो उन बच्चों का क्या होगा यदि उसे इस पति को छोड़ कर पाकिस्तान वापस जाने पर मजबूर किया जाये ? उसका एक पति भारत में मर गया, उसने भारत में दूसरे पति से विवाह किया और अब उस को छोड़ कर पाकिस्तान में वह तीसरे पति से विवाह करेगी । इसमें कौन सी नैतिकता है ? यह कौन सी नैतिकता है कि आप एक स्त्री जो भारत में उस पति के छोड़ने पर मजबूर करें जिसको उसने अपना पति माना है और उसको पाकिस्तान भेजें जहां उसको सामान्यतः एक और पति मिल जायेगा ।

और फिर, उन बच्चों का क्या बना ? यदि वह स्त्री उन्हें साथ न लेना चाहे तो उनका क्या होगा ? और यदि वह उनको साथ ले भी ले तो उनकी वहां क्या स्थिति होगी ? उनका 'अवैध पिता' तो उन्हें रख नहीं सकता और पाकिस्तान भेज कर आप उन्हें पाकिस्तान के सैनिक बना रहे हैं जो कल भारत के लिये एक सम्भावित "काला पहाड़" बन सकते हैं । उनको इस बात पर सदा घृणा

होगी कि भारत सरकार ने उन्हें अपने माता पिता से बिछुड़ने पर मजबूर किया और पाकिस्तान भेज दिया और उनके मन में सदा भारत के प्रति शत्रुता की भावना रहेगी। इसलिये इस प्रश्न पर सोच समझ कर विचार करना चाहिये। जैसे माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है, हमें चाहिये कि जो भी उपाय हम अपनायें, हम कभी किसी स्त्री को भारत अथवा अपना पति अथवा बच्चे छोड़ने पर मजबूर न करें जब तक कि वह स्वेच्छा से ऐसा नहीं करती। यदि ऐसा होगा। तो हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

साथ ही यह भी एक सम्बद्ध प्रश्न है कि इन यथाकथित अपहृत स्त्रियों को भारतीय नागरिकता के अधिकार से वंचित किया जाना चाहिये या नहीं। इस प्रश्न पर हमें विचार करना चाहिये। जब एक स्त्री की आयु १८ वर्ष है और वह बिना शिकायत किये शान्ति से जीवन बिता रही है और एक भारतीय के नाते रह रही है तो हमें चाहिय कि हम उसे शीघ्र नागरिकता का अधिकार दें ताकि उसके बच्चों को यह विश्वास रहे कि वह भारत के नागरिक है और पाकिस्तान के नहीं चाहे उनकी माता पहले कहीं की भी क्यों न थी। उनमें भारतीयों का खून है और यदि हम उनको यह अधिकार दें तो वह भारत के अच्छे नागरिक बनेंगे और भारत के लिये मरेंग और पाकिस्तान के प्रति उनको कोई भक्ति न होगी।

श्रीमती मायदेव (पूना दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं कल तथा आज इस विधेयक पर दिय गये भाषणों को सुनती रही हूं और मुझे दुःख होता है कि इस सदन में इस प्रश्न पर कस चर्चा होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि स्त्रियों के बार में जैसी भी चर्चा चाहो की जा सकती है। हमें यह देखना चाहिय कि समाज अभागी स्त्रियों के प्रति क्या व्यवहार करता है। मुझे एक उदाहरण का पता है एक अपहृत स्त्री नहीं, अपितु एक साधारण स्त्री को दो या तीन महीने के लिय पागलखाने में रखा गया था और ठीक होने पर उसको न तो उसके ससुराल वालों ने और न ही माता आदि ने घर में वापस लिया। यह तो है स्त्रियों के प्रति व्यवहार, और हम अपहृत स्त्रियों की बातें कर रहे हैं। उन्हें तो एक व्यापार की वस्तु समझा जाता है। हम चर्चा करते हैं कि उसका यहां एक पति है और वहां दूसरा। इससे पहले मैं अपने माननीय सदस्यों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। माननीय मंत्री ने हमें बताया कि लगभग ५०० बच्चे यहां पड़ हैं। हम इस सदन में लगभग ५०० सदस्य हैं। क्या प्रत्येक सदस्य एक बच्चे के पालन पोषण की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है?

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : उन में से बहुतों के पहले ही बहुत अधिक बच्चे हैं।

श्रीमती मायदेव : क्या वह कुछ रचनात्मक कार्य करने को तैयार हैं। क्या वह प्रत्येक विधुर को एक पुनः प्राप्त अपहृत स्त्री से विवाह करने को कहते हैं? केवल उसी दशा में मैं समझ सकती हूं कि उन के मन में सचमुच कोई भावना है और वह इस मामले को वास्तविक रूप म हल करगे। नहीं तो ऐसे चर्चा करने का क्या अभिप्राय है। हमारे सामने तो प्रश्न केवल यह है कि अवधि बढ़ाई जाये। मैं नहीं समझती कि दो दिन की चर्चा से इस प्रश्न में कोई अन्तर होगा। मैं समझती हूं कि इस मामले पर चर्चा को बन्द करके सभापति महोदय मतबन्ध प्रयोग करें और मत लें।

एक माननीय सदस्य : यह सम्भव नहीं।

श्रीमती इला पालचौधरी (नवद्वीप) : यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस अधि-

[श्रीमती इला पालचौधरी]

नियम की अवधि के विस्तार के सम्बन्ध में मतभेद है । यदि इस अधिनियम की अवधि को बढ़ा कर कुछ व्यक्तियों को ही लाभ पहुंचा सकते हैं तो भी हमें इसके लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये । मैं तो यह भी कहूंगी कि इस अधिनियम से सम्बन्धित न्यायाधिकरणों तथा समितियों को कुछ और समय तक कार्य करते रहने देना चाहिये जिससे कि विभिन्न परिवारों को लौटाई गई स्त्रियां तथा बच्चे यह समझें कि उनकी पीठ पर भी कोई है और यदि उनको उनके परिवारों में समुचित स्थान न मिले तो वह इनकी सहायता ले सकें ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इन सभी समस्याओं का समाधान माननीय दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये । यह बहुत ही नाजुक समस्या है और इसको इसी दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिये ।

लौटाई गई स्त्रियां तथा बालक कहां जाना चाहते हैं इसका निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया जाना चाहिये । जहां तक बच्चों का सम्बन्ध है उनको शान्त मैत्रीपूर्ण वातावरण में रखा जाना चाहिय । प्रत्येक बच्चे को यह विश्वास होना चाहिये कि उसे सुरक्षा तथा प्रेम प्राप्त होगा । यह सारा काम मानवीय दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये । स्त्रियों को अपना निर्णय करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये और उनको समाज तथा विधान की पूर्ण सहानुभूति प्राप्त होनी चाहिये । समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है और उनको आज के सभ्य संसार से अपेक्षित सुरक्षा तथा स्नेह की प्राप्ति हो सकती है अतः उनकी इस एकमात्र सहायता को हमें समाप्त नहीं कर देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब म श्री राजभोज से बोलने को कहूंगा ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में हम अछूत सभासदों की संख्या बहुत है और कभी कभी जब मैं अपने सवाल के लिये पूछता हूं तो मेरे ऊपर ज़रूर अन्याय होता है । उस अन्याय के प्रति, चाहे मुझे आपकी कृपा से बोलने को मिले या न मिले, लेकिन उसके लिये कथन करना तो मेरा धर्म है, फ़ज़ है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है श्रीमान् । माननीय सदस्य एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते थे जो मेरे विचारानुसार अनियमित था और वह क्रोध में आ कर सदन से उठ गये थे । अब वह यह शिकायत कर रहे हैं कि उन को कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति न दे कर अन्याय किया गया है । उन को अध्यक्ष-पद के सम्बन्ध में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष-पद से जो विनिर्देश दिया गया है उस का समर्थन करना मेरा कर्तव्य है । श्री राजभोज ने बोलने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की, हम को परिस्थितियों का ज्ञान नहीं था, हम ने यही समझा कि वह भाषण देना चाहते हैं । अध्यक्ष-पद के विनिर्देश के विरोध में सदन से चले जाना फिर किसी अवसर पर भाषण देने के लिये अधिकृत नहीं करता है । माननीय सदस्य को किसी विनिर्देश की आलोचना नहीं करनी चाहिये । माननीय सदस्य को अध्यक्ष-पद के विरुद्ध ऐसा नहीं कहना चाहिये था ।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं तो जनरल बात कह रहा हूं । चेयर के लिये तो मेरा रैस्पैक्ट (आदरभाव) है । मैं तो शिड्यूल्ड कास्ट की बेहतरी के लिये कह रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन को यह भी कहना चाहिये कि "मुझे खेद है, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं।"

श्री पी० एन० राजभोज : मैं ने चेयर के लिये कुछ नहीं कहा है, अगर उन्हों ने ऐसा समझा है कि उनके लिए कहा है तो मैं फिर उस को वापस लेता हूं। जो ऐसा समझा है तो मेरा वैसा कहने का मतलब नहीं था। मैं ने तो हरिजनों के लिये कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। वह वापस लेते हैं।

श्री पी० एन० राजभोज : उपाध्यक्ष महोदय जी, दलितों का सवाल बहुत बड़ा है। और पाकिस्तान में जो हमारी भंगी लोगों की औरतें हैं, मेहतर जो हैं, जिन को कोई बाल्मीकि भी बोलते हैं, उन को वहां पाकिस्तान में काम करने के लिये रखा है। वह औरतें वहां मेहतर का काम करती हैं। वह इधर आना चाहती हैं, लेकिन जो उनका काम है वह फिर वहां उधर नहीं होगा, इसलिये उधर हमारे मेहतर लोगों की महिलायें वहां हैं। जो आज यह सवाल इस बिल का यहां आया है, जिस को चन्दा साहब ने हाउस में रखा है, उस के बारे में जो मशीनरी है, वह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। उस मशीनरी का काम करने का ढ़ंग ठीक नहीं है, क्योंकि यह जो सवाल है, इस के लिये कोई इंडिपेन्डेंट संस्था होनी चाहिये। अछूतों और सवर्ण हिन्दुओं की जो हमारी महिलायें दूसरे देश में रह गई हैं उन के लिये अभी बहुत कम कोशिश हो रही है। खाली यहां पर बोलते हैं। लेकिन काम नहीं हो रहा है। कल जो फिगर्स और आंकड़े बताये गये, वह मेरे ख्याल से बहुत कम थे। मैं समझता हूं कि वहां पाकिस्तान में हमारी हिन्दू महिलायें बहुत हैं और उन को लाने के लिये हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी की तरफ से जो कोशिश होती है वह ठीक तरह से नहीं होती है। हमें तो शक है कि जो आज कल मशीनरी बनी है वह जो कुछ काम कर रही है उस से मालूम होता है कि वह तो पाकिस्तान से मिलती है और कभी कभी पाकिस्तान वालों से मोहब्बत भी रखती है। हम तो चाहते हैं कि इस के लिये कोई सोशियल वैलफेयर एसोसियेशन जैसा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो। हिन्दुस्तान में ऐसे कई प्रकार के इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे पूना में भी हैं, जिन्हों ने महिलाओं में काम करने के लिये अपना सारा जीवन दे दिया है। इसलिये किसी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को यह काम देना चाहिये।

यह काम इस तरह का है जो वही लोग कर सकते हैं जो गवर्नमेंट को मानने वाले हैं और गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले हैं, यह काम हमारे अन्दर जो फिफ्थ कालिमनस्ट्स हैं, ऐसे लोगों के हाथ में यह काम नहीं सौंपना चाहिये। यह बात भी सच है कि कोई भी स्त्री हो हिन्दू हो मुसलमान हो जिस का अपहरण हुआ है और सतीत्व लूट लिया गया है, उस के लिये हमारे हृदय में बड़ा दुःख और क्षोभ है और जिस ने यह बुरा कार्य किया चाहे वह पुरुष हिन्दू रहा हो या मुसलमान, उस को हम अच्छा नहीं समझते। मैं अभी पिछले हफ्ते काश्मीर गया था और वहां मुझे कई भारत की हिन्दू महिलायें मिलीं और उन से मुझे मालूम हुआ कि वहां पर ठीक तरह से जैसा होना चाहिये यह कार्य नहीं हो रहा है। यह ठीक है कि हमारी मृदुला सारा भाई वह कार्य कर रही हैं लेकिन कार्य जिस रीति से होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है, और मैं समझता हूं कि इस का कारण यही है कि उन के साथ जो उन की काम करने की मशीनरी है वह ठीक नहीं है और हमारी कोशिश मशीनरी में सुधार लाने की होनी चाहिये। अभी परसों

[श्री पी० एन० राजभोज]

मैं ने अखबार में पढ़ा था कि पाकिस्तान में अभी भी दो सौ के करीब हरिजन मर्द और औरते रह गई हैं, पाकिस्तान उन को वापिस नहीं करना चाहता क्योंकि उन में से बहुत ज्यादा तादाद में स्वीपर्स हैं और मुसलमान यह काम कर नहीं सकते हैं, इस वास्ते वह उन को अपने यहां रोके हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और पाकिस्तान सरकार से उन को भारत लाने के लिये कोशिश करनी चाहिये और कोशिश खूब अच्छी तरह से होनी चाहिये और इस सम्बन्ध में हम सरकार को हर तरह का सहयोग देने को तैयार हैं। सरकार के अलावा इस काम को दूसरे जो इंडिपेंडेंट महिलाओं के इंस्टीट्यूशन हैं उन को भी अपने हाथ में लेना चाहिये।

दूसरी चीज मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे देश में यह जाति पांत का झगड़ा बहुत है, कोई ब्राह्मण है तो कोई क्षत्रिय है और क्षत्रियों में भी अलग अलग क्षत्री हैं, या कोई बनिया है। यह बंधन मेरी समझ में ठीक नहीं हैं और हमें इंटर कास्ट मेरिज का बढ़ावा देना चाहिये। हमारे जो शेड्यूल्ड कास्ट के भाई हैं आज उन की आर्थिक अवस्था बड़ीय दयनीय है, हमें उन की आर्थिक दशा में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिये। यह जाति पांत का चक्कर हमारे देश में बहुत है और यह जाति पांत का भेद भाव यहां हाउस में भी देखने में आता है, मैं चाहता हूं कि यह जल्दी से जल्दी खत्म हो.....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि अब भी संसद् में अस्पृश्यता है। जातिपांत क्या होता है ? माननीय सदस्य को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहियें थे।

श्री पी० एन० राज भोज: जातिपांत के भेद भाव के कारण पाकिस्तान से जो हमारी बहिनें आती हैं, उन की शादी होनी मुश्किल हो जाती है और इस ओर हमारे कांग्रेस में जो बड़े बड़े रिफार्मिस्ट्स नेता लोग हैं उन को ध्यान देना चाहिये और उन का जीवन सुधारने और सुखमय बनाने के लिये सच्चे दिल से कोशिश करनी चाहिये और यह तभी सम्भव हो सकेगा जब हम लोग इस देश से इस जाति पांत को सदा के लिये मिटा दें। वहां से आई हुई बहिनों के प्रति हमें सहृदयता का बर्ताव करना चाहिये, उन के लिये एजीटेशन करना चाहिये और उनको हर प्रकार की सहायता और सहूलियत पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिये। इस काम के लिये जो हमारी मशीनरी है वह दोषपूर्ण है और उसे हमें सुधारना चाहिये। हमारे चन्दा साहब ने हमें पूरे फैक्ट्स और फिगर्स नहीं बतलाये और वह जल्दी में यह बिल पास करा लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल से यह बिल इतनी जल्दी पास नहीं होना चाहिये क्योंकि हमारे सामने पूरे पूरे फैक्ट्स और फिगर्स नहीं रखे गये। आप की मेजारिटी है और गवर्नमेंट के पास वाइड पावर्स है, वह प्रेजीडेंट से आर्डर निकलवा कर कानून बना सकती है, ऐसी हालत में यह चार लाइन का बिल लानें की जरूरत ही क्या थी ? लेकिन अगर आप एक बिल यहां पर लाते हैं तो हाउस के सामने सारे फैक्ट्स और फिगर्स रखने चाहियें, वैसे तो आप की मैजारिटी है आप दस लाख मंजूर करा सकते हो, जो चाहें करवा सकते हैं, लेकिन मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि काम करने का यह ढ़ंग उचित नहीं है और जब कि हाउस के सामने फैक्ट्स और फिगर्स मौजूद नहीं हैं, मैं दस लाख रुपये की रकम मंजूर करना ठीक नहीं समझता हूं। इस के अलावा यह जो मशीनरी बनी है, वह ठीक नहीं है, उस में भी सुधार करने की कोशिश करनी चाहिये।

श्रीमती उमा नेहरू (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी–पश्चिम) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कल से इस समय तक न मालूम कितनी बातें इस बिल में पेश आई हैं कि मैं बराबर यह सोच रही हूं कि इस बिल में अगर किसी को कुछ भी कहना है तो हम यहां की हाउस की बहिनों को कहना चाहिये। आज यह पुरुष और यह मर्द यह भाई लोग जो हमारे खैर-ख्वाह बने हैं, उन की एक एक बात छिपी हुई नहीं है और ज़ाहिर है कि अगर दुनियां में अन्याय स्त्री के संग होता है तो दूसरी तरफ उस में पुरुष भी होते हैं, तो मैं यह कैसे कहूं कि इस वक्त यह बिल जो हमारे सामने आया है, उस की ज़रूरत नहीं है। मैं आप को बताऊं कि जिस वक्त पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का सवाल था और जब यह मुसीबत देश में आई थी और उस समय एक तरह का युद्ध था और युद्ध में हमेशा स्त्रियों पर वार होता है और जिस वक्त इन स्त्रियों के ऊपर वार हुआ, उस वक्त यह बिल जो आया है इस बिल के चलाने वालों ने निहायत बहादुरी और सचाई से और निहायत ईमानदारी से काम किया और उस समय वे इधर की जो औरतें उधर थीं जहां तक हो सका उन को बड़ी बहादुरी से इधर वापिस लाये लेकिन इस सम्बन्ध में लोगों को एक आम शिकायत है कि हम उन औरतों को जो इधर की हैं मजबूर कर के उधर भेजते ह या वहां से स्त्रियों को उसी तरह इधर लाते हैं, मैं नहीं जानती कि अभी तक ऐसा हुआ है मुमकिन है कि एक आध ऐसे केस हुए हों, लेकिन जो भी हो यह शिकायत वाक़ई वाजिब है और मैं इसे इंसानियत के खिलाफ समझती हूं कि अगर कोई हमारी लड़की या बहिन जो अपने अजीज़ों या घर वालों में आना चाहे उस को हम न लायें जो चाहे अपने घर जाना या अपने रिश्तेदारों में जाना वह अपने घर वापिस न भेजी जाये। मुझे अपनी सरकार से सिर्फ इतना ही कहना है कि इस मामले में ज़बरदस्ती न की जाये। मैं चाहती हूं गो कि इस बिल के लाने में और इस को चालू करने में हम ने मजिस्ट्रेट और पुलिस की मदद ली और वह मदद लेना जरूरी भी हो गया था, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूंगी कि आज पांच वर्ष हो गये, हम वहां से लाने और यहां से भेजने का काम जारी रक्खें, लेकिन इस काम को कामयाब बनाने के लिये हमारी पुलिस और गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, उस में ह्यूमैनटिव का होना बहुत ज़रूरी है और यह समझना चाहिये कि अगर पांच साल से कोई औरत किसी की वहां रह गई हो या रिहैबिलिटेट हो गई है चाहे इधर हो या उधर अगर उस की इच्छा नहीं है, उस के इस बीच में दो, चार औलाद भी हो गई हों और उस की इच्छा नहीं है कि वह इधर आय या उधर जाय, तो उस को पूरा हक होना चाहिये कि वह जहां उस का जी चाहे रहे। मैं उन में से हूं जिन को बहुत ही तकलीफ देह यह बात मालूम होती है कि बालिग होने पर भी स्त्रियां यह फैसला नहीं कर सकतीं कि वह क्या करें। उस का फर्ज़ है कि वह खुद इस बात का निश्चय करे। बालिग होने के बाद वह नन्हीं मुन्नी सी बच्ची नहीं है कि उस के वास्ते गवर्नमेंट मशीनरी या और कोई इस बात का निश्चय करे। वह खुद अपने हालात की मालिक है और वह खुद ही निश्चय करेगी, यह मैं अपनी गवर्नमेंट से कहूंगी। लेकिन मैं यह भी कहूंगी कि हमें इस काम को बन्द नहीं करना चाहिये। यह बिल ऐसा नहीं है जिस को देख कर यहां पर लोग परेशान हों।

अभी मेरे एक आनरेबुल भाई ने कुछ वहां की मेहतरानियों का ज़िक्र किया कि पाकिस्तान में बहुत सी हैं, लेकिन यह मामला दूसरा है। यहां पर इस का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये इस को वह इस में न मिलायें।

[श्रीमती उमा नेहरू]

मैं नहीं चाहती हूं कि मैं हाउस का बहुत ज्यादा वक्त लूं क्योंकि इस में कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं यह ज़रूर कहना चाहती हूं कि हम औरतें अपनी किस्मत की मालिक हैं और अपनी किस्मत का फैसला करना चाहती हैं। यहां पर पुरुष लोग, जिन की कि मैजारिटी है, हम पर मेहरबानी रक्खें, इनायत रक्खें, हमारे ऊपर दया रक्खें। हम नहीं चाहतीं कि वह इस मामले में दखल दें हम जानती हैं कि हमारा कदम किधर जाना चाहिये। अगर मर्द लोग यह समझते हैं कि वह हमारे मालिक हैं, हमारे सरदार हैं, तो हमें रंज और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब इन्सान दूसरों को संभालने चलता है तो उस को अपनी तरफ खुद भी देखना चाहिये कि वह कैसा है, क्या वह इस काबिल है कि दूसरों को शिक्षा दे। इसलिये मैं ज्यादा न कह कर यह उम्मीद करूंगी कि जो कुछ मैं ने कहा है उस पर गवर्नमेंट गौर करेगी और सारा हाउस इस बिल को पास करेगा।

श्री गाडगील : हमें इस मामले को नैतिक तथा मानवीय दृष्टिकोण से लेना चाहिये। सन् १९४८ में प्रथम अधिनियम के पारित होने के पश्चात् दो बार विस्तार की मांग की गई और एक अध्यादेश जारी किया गया। सितम्बर सन् १९४७ के पहले के भी स्त्रियों के अपहरण के कुछ मामले हैं। प्रति वर्ष इस प्रकार का प्रस्ताव रखना हम में से बहुतों को परेशान करना मात्र है। जब कि दोनों ओर से अपहृत स्त्रियों की संख्या अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है, संविधि पुस्तक पर स्थायी रूप से इस विधि को रखना ठीक नहीं है। नैतिक दृष्टिकोण से यह ठीक है कि यदि एक भी स्त्री को उस की इच्छा के विरुद्ध यहां रखा जाता है, तो उस के प्रति सरकार का कर्तव्य है कि वह उस का उपबन्ध करे। परन्तु भावनावश यह कब तक चलता रहेगा इस प्रकार तो हम भी ज़ोर दे सकते हैं कि जो २००० अपहृत हिन्दू स्त्रियां अभी तक पाकिस्तानी अधिकारियों के पंजे में हैं, उन्हें प्राप्त किया जाये। श्री आय्यंगर ने पहली बार विस्तार की मांग के समय इस पर वक्तव्य दिया था।

समस्या को हल करने का यह ठीक ढंग नहीं है सरकार यदि चाहे तो १५ महीनों का समय तथा और दस लाख रुपये ले सकती है, परन्तु उस समय के अन्दर इस काम को समाप्त कर देने का प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जाना चाहिये तथा उस के पश्चात इस संगठन विशेष को तोड़ दिया जाये। यदि आवश्यकता हो तो उस के पश्चात् कुछ अधिक धन-राशि दे कर तथा आवश्यक निदेशों के साथ यह काम साधारण प्रशासन के सुपुर्द कर देना चाहिये।

एक बात यह है कि यदि स्त्री पाकिस्तान जाना चाहे या न चाहे तो उसे अनिवार्य रूप से शिविर में ले जाना और फिर पाकिस्तान भेज देना मानवीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। जहां यह नैतिक दृष्टिकोण से ठीक है वहां मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। क्योंकि वे यहां छः सात साल से रह रही हैं और बहुत सी स्त्रियों के सन्तानें भी उत्पन्न हो गई हैं जिन के कारण उन की सन्तान में तथा उन व्यक्तियों में रुचि हो चुकी है। ऐसी अवस्था में उन्हें उन की मर्ज़ी के विरुद्ध पाकिस्तान भेज देना मानवता नहीं है। इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि यहां बस जाने के बाद उन को दोबारा यहां से उजाड़ देना ठीक नहीं है। शरणार्थियों को यहां आने के बाद, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते समय उन्हें दूसरी बार उजाड़ने जैसा ही था। वही बात इन स्त्रियों के सम्बन्ध में भी लागू होती है। मैं प्रधान मंत्री तथा महिला सदस्य की बात का समर्थन नहीं कर सकता

हूं क्योंकि जो स्त्री यहां इतनी देर रह कर यहां खुश है और पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध भेजना बुद्धिमानी नहीं है । फिर कौन कह सकता है कि पाकिस्तान में जाकर उन का स्वागत ही होगा। कुछ एक स्त्रियों को वहां अपनाया भी जा सकता है, किन्तु हो सकता है बाकी स्त्रियों को वहां जा कर दर दर की ठोकरें खानी पड़ें, जैसा कि हमारा अनुभव कहता है। इस के विषय में यह भी कहना उचित है कि भारतीय नागरिकता विधि के बनाने का कार्य भी शीघ्र समाप्त होना चाहिये । यदि माननीय मंत्री यह आश्वासन देते हैं कि किसी भी स्त्री को उस की इच्छा के विरुद्ध हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा तो अच्छा है। मैं आशा करता हूं कि इस के लिये यह अन्तिम अवसर होगा, और सरकार इस काम को इस कुशलता से करेगी कि नैतिक दृष्टिकोण और मानवीय सहृदयता में कहीं विरोध उत्पन्न नहीं होगा ।

सरदार हुक्म सिंह : (कपूरथला–भटिंडा) : महिला सदस्यों ने कहा है कि इस मामले को उन तक ही छोड़ दिया जाना चाहिये किन्तु यह केवल उनसे सम्बन्धित मामला ही नहीं है । यदि हमारी लड़कियां और बहनें और छोटे छोटे बच्चे वहां रह गये हैं तो हमारा भी बराबर का हित है इसलिये हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

माननीय मंत्री और प्रधान मंत्री ने जो आश्वासन दिया है कि किसी भी स्त्री को उस की इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान नहीं भेजा जायेगा यह अच्छा है। सात वर्ष बीत जाने के बाद किसी स्त्री को उस के परिवार से छीनना, जिसमें वह बस चुकी है, और अब प्रसन्नतापूर्वक वहां रह रही है, अच्छा काम नहीं है । परन्तु प्रश्न यह है कि क्या उस स्त्री की इच्छा का सदा ख्याल रखा जायेगा या नहीं ।

पिछली बार मैं ने कुछ आपत्तियां रखी थीं और एक विशिष्ट मामले का वर्णन किया था । प्रधान मंत्री ने उस वांद विवाद के अन्तर्गत कहा था कि उस मामले सम्बन्धी जानकारी सब सदस्यों को परिचालित कर दी जायेगी । प्रधान मंत्री को भी बतलाया गया था कि उस मामले की जांच की जा रही थी । हमें ऐसा बताया गया था कि एक न्यायाधिकरण, जिसमें संसद् के सदस्य भी थे, उस की जांच कर रहा था और जब तक दोनों सहमत न हों , लड़की भेजी नहीं जा सकती थी परन्तु अभी जांच पूरी भी नहीं हुई थी कि सब विरोधों के होते हुये भी वह लड़की पाकिस्तान भेज दी गई और वह वहां पर रहती है। पिछली बार भी मुझ आश्वासन दिया गया था तथा प्रधान मंत्री ने कहा था कि यह मामला सब सदस्यों में परिचालित कर दिया जायेगा, किन्तु मामले का पूरा ब्योरा तक भी परिचालित नहीं किया गया है । अभी न्यायाधिकरण यह फसला भी नहीं कर सका था कि लड़की अपहृत की गई थी या नहीं, कि लड़की पाकिस्तान भेज दी गई तथा हमारे पुनः प्राप्ति संगठन ने उस के अपहृत किये जाने में सहायता दी। राज्य परिषद् के एक प्रसिद्ध कांग्रसी सदस्य ने कहा था कि यह विभाग अपहृत व्यक्तियों की पुनः प्राप्ति के स्थान पर व्यक्तियों का अपहरण करता है ।

कुछ सदस्य नैतिकता की बात उठाते हैं, परन्तु हम मानते हैं कि जो स्त्री अपहृत की गई हैं और जाना चाहती ह, उसे जाने की सब सुविधाय दी जानी चाहियें । हम इसका विरोध नहीं करते हैं । हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि हम अपहृत स्त्रियों को अधिक संख्या मे क्यों पुनः प्राप्त नहीं कर स के हैं, तथा इस के क्या कारण ह ?

[सरदार हुक्म सिंह]

माननीय मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान को सब प्रकार का सहयोग दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब कि पंजाब उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को अधिकार से बाहर बताया था, तो भी पाकिस्तान अपना काम करता रहा था। उस समय में कितनी स्त्रियां पुनः प्राप्त की गई थीं, इस की सूचना नहीं दी गई है। यह ठीक है कि जितनी स्त्रियां उन्होंने दी हैं, हमने उन से तीन गुनी लौटा दी हैं। परन्तु जब संख्या की मांग की गई थी तो हम ने ऐसा क्यों कहा था कि हम पाकिस्तान में ३३,००० स्त्रियां छोड़ आये हैं? इस के पश्चात् काश्मीर में भी २०,००० से अधिक व्यक्ति अपहृत किये गये थे। पाकिस्तान ने प्रारम्भ म ही ५०,००० व्यक्तियों का दावा रखा था। यदि पकिस्तान हमें सहयोग देता और हमारे पुनः प्राप्ति विभाग के कर्मचारी अच्छी तरह काम करते तो क्या कारण था कि हम इतनी कम स्त्रियों को पुनः प्राप्त कर सकते। इसका कारण या तो पाकिस्तान से सहयोग न मिलना हो सकता है या हमारे कर्मचारियों की अकुशलता और अकर्मण्यता है। श्री गोलपालस्वामी आयंगार ने कहा था कि कम से कम २,००० अपहृत स्त्रियां कराची सचिवालय के लोक कर्मचारियों के पंजे में हैं। कई बार यह प्रश्न उठाया गया है किन्तु कोई जानकारी नहीं दी जाती है कि कितनी स्त्रियां वापिस ले ली गई हैं। श्री एन० गोपालस्वामी आयंगार ने हमारी २,००० स्त्रियों का पूरा ब्यौरा दिया था किन्तु उन में से कोई भी वापिस नहीं दी गई है। क्या यही सहयोग पाकिस्तान ने हमें दिया है अथवा क्या हमारे पुनः प्राप्ति विभाग के कर्मचारियों की यही कुशलता है? मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि स्त्रियों को प्राप्त करने के पश्चात् भी पुनः प्राप्ति विभाग के कर्मचारियों ने उन को लौटा दिया है और कहा है कि जिन पाकिस्तानी कर्मचारियों के पास वे थीं, वे इन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे।

पिछली ग्रीष्म ऋतु में मैं काश्मीर में एक व्यक्ति से मिला था, जो पाकिस्तान में दो लड़कियों की पुनः प्राप्ति के लिये जा रहा था। पाकिस्तान में भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो लड़कियों को लौटा देना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने एक लड़की का पता लगाया और पाकिस्तानी पुलिस आधिकारी ने कहा कि इसे तुरन्त ले जाइये, अन्यथा यदि आपके पुनः प्राप्ति विभाग के किसी अधिकारी को पता चल गया, तो वह इस लड़की को भारत में जाने की अनुमति नहीं देगा। हमारे कर्मचारियों की यह दशा है कि वे अपनी लड़कियों को ही भारत में नहीं आने देना चाहते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या वह कर्मचारी कोई महिला हैं?

सरादार हुक्म सिंह : जी हां। श्रीमती मृदुला साराबाई ईमानदारी से काम नहीं कर रही हैं। मेरे पास दो लड़कियों के उदाहरण हैं जिन के साथ ऐसा व्यवहार किया गया था। चौबीस और लड़कियों के उदाहरण भी मेरे पास हैं, जिन का विभाजन से कई वर्ष पहले यहां विवाह हो चुका था, और वे शांतिपूर्वक यहां रह रही थीं परन्तु उन्हें उन के घर से छीन कर ले जाया गया।

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद—दक्षिण) : उन की आज कल क्या स्थिति है?

सरदार हुक्म सिंह : अब वह उस स्थान पर नहीं हैं, परन्तु फिर भी भय तो है कि कहीं उन को दोबारा उस पद पर नियुक्त न कर दिया जाये। बड़ी लज्जा की बात है कि पुनः प्राप्ति विभाग के कर्मचारी इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। खान चन्द वल्द गंगा राम, छावनी मुहल्ला, लुधियाना का

निवेदन पत्र मेरे पास है कि उन के परिवार के पुरुषों को मार दिया गया और पांच स्त्रियां पाकिस्तान में रख ली गई थीं और रखने वाले का नाम उन्होंने बताया है गुलाम रसूल, पाकपत्तन, जिला मिंटगुमरी । उस व्यक्ति की स्त्री पुनः प्राप्ति कर्मचारियों के साथ गई, और जब लड़कियों के पास पहुंचने वाली थी, तो उसे वहां से हटा दिया गया, और वह अपनी लड़कियों को वापिस न ला सकी । पता नहीं सदन इस बात को स्वीकार करेगा या नहीं, किन्तु वस्तुस्थिति ऐसी है । यदि मैं दो दर्जन मामलों की कहानी पढ़ कर सुनाऊं, तो जो हमारे कर्मचारी कर रहे हैं वह वस्तुतः एक बहुत ही करुण कहानी होगी । इस के विपरीत मुसलमान लड़कियों को यहां से जाने के लिए बाध्य किया जाता है ।

श्री आर० के० चौधरी : यह सच है ।

सरदार हुक्म सिंह : हमारे पुनः प्राप्ति कर्मचारी उन भारतीय लड़कियों से यह कहते हैं कि उन्हें भारत में उन के माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे । परन्तु ऐसी बात नहीं है । जो भी लड़की आयेगी उसे स्वीकार किया जायेगा, और जो आ चुकी हैं, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया गया है । यदि किसी को स्वीकार नहीं किया गया है, तो मुझे उस का पता बताइये । परन्तु वह महिला कर्मचारी वहां इस के विपरीत प्रचार कर रही हैं । इन सब बातों के होते हुए क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी लड़कियां भारत में हमारे पास नहीं आना चाहती हैं ? मैं पुनः प्राप्ति कर्मचारियों पर यह आरोप लगाता हूं कि वे उन लड़कियों पर भारत में न आने के लिये ज़ोर डाल रहे हैं । जो कारण हैं, मुझे उन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा करना उचित नहीं होगा ।

श्री बोगावत : हमें भी उन का पता लगना चाहिये ।

सरदार हुक्म सिंह : क्योंकि यह महिला ईमानदारी से काम नहीं करती थीं, इसलिये कई व्यक्तियों को त्यागपत्र देना पड़ा । उन के त्यागपत्र स्वीकार कर लिये गये, परन्तु किसी ने उस महिला कर्मचारी को अच्छी तरह व्यवहार करने के लिये नहीं कहा । यह बात सब को मालूम है, और यह सच है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या पोज़ीशन है, सरदार जी, ज़रा बताइये ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं उन स्त्रियों को पाकिस्तान भेजे जाने के विरुद्ध नहीं हूं जो वास्तव में ही वहां जाना चाहती हैं । किन्तु जो यहां शान्तिपूर्वक रहती हैं और जाना नहीं चाहती हैं, उन्हें जाने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिये । उस महिला कर्मचारी के इस विभाग से बदल जाने के पश्चात् इस संगठन की कार्यवाही के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अभी बहुत कम समय बीत पाया है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई थीं, जिन से बाध्य हो कर ऐसी एक अपहृत लड़की को यहां से जाने के लिये अपनी सहमति देनी पड़ी थी । इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने जो तर्क दिये हैं, वे बहुत विचित्र हैं और मुझे उन में कोई सार नहीं प्रतीत होता है । जब आप ने उन को यहां से चले जाने के लिये बाध्य किया है, तो वे वापस कैसे आ सकती हैं ? यह कदापि संभव नहीं था ।

दूसरी समस्या बच्चों की है । हमें इस सम्बन्ध में तथ्य जान लेने चाहियें कि इन लड़कियों के साथ कितने बच्चे शिवरों में ले जाये गये थे और कितने घरों में छूट गये थे । जो पीछे छूट गये थे या जो यहां लाये गये हैं उन के सम्बन्ध में सरकार क्या करने का विचार करती है ? क्या यह प्रक्रिया अनन्त रूप से चलती रहेगी ?

[सरदार हुक्म सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय : यहां पर पैदा हुए बच्चों के सम्बन्ध में विधेयक में क्या उपबन्ध है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : परिभाषा के अनुसार उन्हें अपहृत व्यक्ति माना जाता है ।

सरदार हुक्म सिंह : यहां पर पैदा हुए सभी बच्चे अपहृत व्यक्ति माने जाते हैं । यह एक बहुत पेचीदा प्रश्न है । हमें वर्तमान प्रक्रिया को रोक देना चाहिये और उन्हें बस जाने देना चाहिये । इच्छा होते हुए भी इन लड़कियों को बसने नहीं दिया जाता है । सच तो यह है कि यदि दो सौ लड़कियां पुनः प्राप्त की गई हैं तो कम से कम चार या पांच सौ लड़कियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया है । इस अवस्था को अनिश्चित रूप से जारी नहीं रखा जा सकता है । मेरा नम्र निवेदन यह है कि इस चीज़ को रोका जाना चाहिये । इस से मुख्य प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है । इस पुनः प्राप्ति संगठन का जो काम हम ने देखा है, उसके आधार पर हम इस से ऊब गये हैं । जितनी जल्दी इस को समाप्त कर दिया जाये, उतना ही देश के अपहृत व्यक्तियों के और बच्चों के हित में अच्छा होगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब ....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह पश्चिम पाकिस्तान के सम्बन्ध में ही है या पूर्व पाकिस्तान के सम्बन्ध में भी ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : केवल पश्चिम पाकिस्तान । जनाब जब यह बिल रेनुअल के वास्ते हाउस में आया तो दोनों मौक़ों पर मुझे इस के मुताल्लिक़ बोलने का इत्तिफ़ाक़ हुआ था और इस वक्त भी गोकि देर हो चुकी है, मैं हाउस का थोड़ा सा वक्त चन्द ज़रूरी बातों की तरफ़ ध्यान दिलाने के लिये लेना चाहता हूं ।

सब से पहली बात जिस के बारे में ये ज़िक्र करना चाहता हूं वह यह है कि जो सर्टिफ़िकेट हमारे आनरेबुल मिनिस्टर ने दूसरी तरफ़ (पाकिस्तान) के काम करने वालों को दिया है, मैं उस के साथ होने हार्टडली शामिल नहीं हो सकता । मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में भी ऐसे असहाब मौजूद हैं जो हमारी तरह सोचते हैं और हमारी तरह से ख्वाहिशमन्द हैं कि यहां की जो हिन्दू, सिक्ख लड़कियां व औरतें और बच्चे वहां रह गये हैं, उन को यहां वापिस लाया जाय, लेकिन मैं यह भी अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसे लोगों की तादाद वहां बहुत ज्यादा नहीं है और जो फ़िगर्स हमें सप्लाई किये गये हैं और जो तरीक़ा और रवैया आज तक पाकिस्तान गवर्नमेंट का रहा है, उस से यही नतीजा निकलता है कि यह कहना क़तई ग़लत है कि जिस तरह हमारे यहां के लोग इस के अन्दर काम करते हैं उसी तरह से वहां वाले भी काम कर रहे हैं । यह फ़ैक्ट है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और उस के अधिकारी उस हद तक कोआपरेट नहीं करते हैं । पिछली दफ़ा जब यह बिल आया था तो हमारे श्री गोपालस्वामी आयंगर ने यहां पर बयान दिया कि मुसलमान आफ़िश्यल्स के पास दो हज़ार के क़रीब हिन्दू व सिक्ख औरतें मौजूद हैं, तो वह औरतें यहां क्यों नहीं वापिस की जातीं । मुझ को मालूम है कि दूसरे मौक़े पर इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान की तरफ़ से वाटर डाउन करने की कोशिश की गई और कहा गया कि हिन्दुस्तान में वह बात ग़लत तौर पर समझी गई, उन के कहने का यह मतलब नहीं था । मैं ने थर्ड रीडिंग पर पिछली दफ़ा अर्ज़ किया था कि अगर हिन्दुस्तान में एक भी ऐसा गवर्नमेंट आफ़िश्यल है जिस के घर में कोई मुसलमान औरत एबडक्टेड मौजूद है तो गवर्नमेंट को उस अफ़सर को फ़ौरन बरख्वास्त कर देना चाहिये । मैं ने उस मौक़े पर यह बात कही

थी और कहा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी यही करना चाहिये। मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के पास क्या कोई ऐसी इत्तिला मौजूद है कि पाकिस्तान में कितने मुसलमान अफ़सर इस बिना पर वहां की सरकार द्वारा बरख्वास्त किये गये ? वहां की गवर्नमेंट ने कितने अपने अफ़सरों को बरख्वास्त किया इस बिना पर कि वह हिन्दू औरतों को अपने घरों में रखे हुए हैं ? मैं समझता हूं कि एक भी मिसाल शायद ऐसी नहीं है और शायद हमारी गवर्नमेंट ने इस बारे में पाकिस्तान सरकार से दरियाफ़्त भी नहीं किया है। मैं जनाबवाला इस बिल का मुख़ालिफ़ नहीं हूं जैसा कि मैं ने हर मौक़े पर ज़ाहिर किया, मेरी समझ में इस हाउस में एक भी मेम्बर ऐसा नहीं होगा जो इस बिल के उसूल के ख़िलाफ़ हो। जिस मुल्क की रवायतें ये हों कि एक औरत के पीछे, एक जानकी जी के पीछे सारा हिन्दुस्तान लंका पर चढ़ने को तैयार था, जहां पर हम ने यह देखा कि विलायत से आई हुई एक औरत मिसेज़ एलिस जो अफ़गानिस्तान में ले जाई गई, उस एक औरत के पीछे सारी अंग्रेज़ हुकूमत हरकत में आ गई, उस देश के रहने वाले हम हिन्दुस्तानी एक मिनट के वास्ते भी यह नहीं चाहते कि हमारे देश के अन्दर एक भी मुसलमान बहिन पर अत्याचार हो अथवा उस के साथ ज़बर्दस्ती की जाय, हम उस को उस की मर्ज़ी के बग़ैर यहां पर नहीं रोकना चाहते, हम इस बात के ख्वाहिश-मन्द हैं कि ढूंढ ढूंढ कर एक एक मुसलमान औरत को वहां भेज दिया जाय जिस के साथ यहां पर जुल्म हुआ हो या जो वहां जाना चाहती हो, लेकिन जैसी कि तरमीम भी आई है और हमारी बहिन श्रीमती उमा नेहरू ने भी कहा और जिसे मैं भी हर साल कहता रहा हूं कि एक ऐसी औरत जो यहां पर इतने वर्ष रह चुकी है और उस के बच्चे यहां हो चुके हैं और वह यहां से वापिस नहीं जाना चाहती, हम यह नहीं चाहते कि ऐसी औरत को वापिस भेजा जाय। सरदार हुक्म सिंह ने इस क़िस्म के कई एक दर्जन केसेज़ आप के सामने रक्खे और जब पिछली दफ़ा यह बिल रेनुअल के लिये आया तो मैंने सन् १९५१ में हाउस के सामने एक मिसाल रखी थी और मैं ने एक चिट्ठी हाउस के सामने पढ़ कर सुनाई थी जो जालन्धर कैम्प से एक औरत ने अपने खाविन्द के पास भेजी थी।

उस के बाद क्या हुआ ? उस के खाविन्द ने एक दरख्वास्त दी थी, उस के पकड़े जाने के बाद, हैबियस कार्पस की पंजाब हाई कोर्ट में और जब पंजाब हाई कोर्ट में दरख्वास्त मौजूद थी तभी उस औरत को रिहा कर दिया गया। रिहा करने के कुछ अरसे के बाद उस औरत को एक नया बच्चा पैदा हुआ। जब इस को पता चला कि उस औरत के बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चा थोड़े ही दिन का था कि उस औरत को पकड़ लिया गया। वह औरत जाना नहीं चाहती थी, उस का खाविन्द भी नहीं चाहता था कि वह जाय, लेकिन उस औरत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उस को जबर्दस्ती भेज दिया गया। यह जो मशीनरी बनी हुई है, यह नाक़िस है। इस मशीनरी के अन्दर कोई औरत इतनी मजबूत नहीं रह सकती कि वह जवाब दे कि मैं पकिस्तान नहीं जाना चाहती। इस एक्ट के अन्दर अगर आप ने एक औरत को पकड़ा और उस को जालन्धर ले गये। जालन्धर में एनवारनमेंट बहुत अच्छे नहीं हैं। यह दुरुस्त है कि औरत को पकड़ने के बाद आप उस से पूछेंगे कि वह पाकिस्तान जाना चाहती है या नहीं। लेकिन अगर वह जाना भी चाहती होगी तो भी नहीं कह सकेगी कि मैं जाना चाहती हूं। मैं चाहता हूं कि इस से बेहतर मशीनरी हो। जिस वक्त औरत पकड़ी जाय उसी वक्त उस से

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

न पूछा जाय । वह वक्त ऐसा नहीं होता है कि हिन्दू मर्द के साथ रहने के कारण वह सही सच्ची दिल की बात बता सके और आप उस की रज़ामन्दी को सच्ची रज़ामन्दी समझ सकें । दूसरी तरफ़ मैं देखता हूं कि जब औरत को पकड़ा जाता है और उस को महीनों जालन्धर में रखा जाता है ? तो वह समझती है कि वह इस दुनिया से कट गई और अब उस के पास कोई चारा नहीं है सिवा इस के कि वह पाकिस्तान चली जाय । उस वक्त उस की जो मर्ज़ी होती है वह असली मर्ज़ी नहीं होती । मैं देखता हूं कि उस की ख्वाहिश जानने के लिये जो मशीनरी आप ने रखी है उस से असली ख्वाहिश नहीं मालूम होती है । असली ख्वाहिश जभी मालूम हो सकेगी जब किसी तरह का प्रेशर उस के ऊपर न हो ।

कल मेरी बहन सुभद्रा जोशी ने कहा था कि जो औरतें बरसों तक एक हालात व कुर्एहवाई में रहीं वह नहीं चाहतीं कि वह दूसरे हालात व कुर्एहवाई में जा कर रहें । मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि ऐसा हो सकता है कि तीन चार बरस तक औरत किसी के घर में ज़बर्दस्ती रहे और उस के बाद वह अपने रिश्तेदारों से अपना रिश्ता कट करना न चाहे । लेकिन साथ ही मैं यह भी मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर छः सात साल के बाद कोई औरत ऐसी है जो उस इन्वायरनमेंट में जिस में कि वह पहले ज़बर्दस्ती रखी गई है, अब खुश हो और किसी अनसीन वर्ल्ड में भेजना उस के खुद के लिये अच्छा नहीं है, तो उस को वहां ज़बर्दस्ती भेजने की बात को हम सपोर्ट करें । इस वास्ते हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फार्मूला रखा है, मैं समझता हूं कि यह ऐक्ट उस को क़बूल करेगा । गोकि हम इस कानून को आज तरमीम नहीं कर सकते, लेकिन इस बारे में सभी मुत्तफ़िक़ होंगे । इसलिये अगर ट्रिब्यूनल की निगाह में यह बात साफ़ हो कि कोई औरत अपनी रज़ामन्दी से जाना नहीं चाहती तो उस को ज़बर्दस्ती न भेजा जाय और ट्रिब्यूनल उस के खिलाफ़ फैसला न करे । अगर हमारी मिनिस्ट्री इस तरह का कोई कानून पेश करे तो मैं समझता हूं कि हाउस के तमाम मेम्बरों की सपोर्ट उसे होगी और उस पर हमें अमल करना चाहिये जिस पर कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और बहन उमा नेहरू जी ने अपनी रज़ामन्दी की मुहर लगा दी है ।

बच्चों का सवाल में जानता हूं कि निहायत मुश्किल सवाल है । कई बरस हुए मैं ने इस सवाल को उठाते हुए इस पर तबसरा किया था । मैं जानना चाहता था कि किस कानून के मातहत जो बच्चा हिन्दुस्तान में पैदा हुआ उसे ज़बर्दस्ती किसी दूसरी जगह भेजा जा सकता है । चाहे उसे एब्डेक्टेड ही करार दिया जाय लेकिन वह नेशनल आफ इंडिया है, वह यहां का रहने वाला है । इस के इस ऐस्पेक्ट को छोड़ कर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर एक स्त्री के बच्चा पैदा हुआ जिस के लिये उस की जायज़ शादी की कोई क़ानूनी शहादत मौजूद नहीं है, और उस औरत को ज़बर्दस्ती रक्खा हुआ था अगर अब वह जाना चाहती है तो उस की जो औलाद है उस को साथ ले जाना चाहती है सिवा इस के कि उस के रिश्तेदार उस को हराम का बच्चा कहें दूसरी बात नहीं हो सकती । यहां पर भी इसी तरह से जो औरतें वापस आती हैं, उन के खाविन्द उन को वापिस लेने को तैयार हैं । लेकिन मैं इस बारे में अपने आनरेबुल मिनिस्टर चन्दा साहब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि शायद बंगाल और पंजाब की कन्डीशन्स एकसां नहीं है । पंजाब के अन्दर मुझे एक भी केस

एसा मालूम नहीं जिस के अन्दर ऐबडक्टेड औरत आई हो और उस को लेने से किसी ने इन्कार किया हो, यहां पर इन्कार नहीं हुआ और न होगा। यहां पर कई ऐसी सोसाइटियां मौजूद हैं जो ऐसी औरतों की मदद करेंगी, लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यहां पर भी अगर कोई औरत मुसलमान का बच्चा ले कर आये तो उसे हम कैसे रख सकेंगे। उस औरत को हम खुशी से अपने यहां रखेंगे लेकिन उस बच्चे को कैसे हम अपना बच्चा क़बूल कर सकेंगे ? मेरी समझ में नहीं आता कि उन बच्चों को जिन को क़ानून ने हराम का क़रार दे दिया है अगर वह यहां आयें तो कैसे हम उन को लेजिटिमेट मान सकते हैं। मान लें कि कोई औरत यहां से पाकिस्तान जाती है, उस की रज़ामन्दी भी ले ली गई है, उस का बच्चा है जोकि खुद उस के खाविन्द का है, उस का लेजिटिमेट बच्चा है, लेकिन आप इस क़ानून की रू से उसे इल्लेजिटिमेट क़रार देते हैं, उस बच्चे का क्या होगा ?

मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस बारे में ज्यादा तवज्जह से काम लिया जाय और जो इस तरह के बच्चे हैं उन के वास्ते गवर्नमेंट कोई इन्स्टिट्यूशन कायम करे, कोई ऐसी चीज़ बनाये जिस से कि ऐसे बच्चों को ऐसी दिक्कत न रहे जिस तरह की कि ऐसे बच्चों के साथ रहती है जिन के साथ इल्लेजिटिमेसी का स्टिग्मा रहता है। जनाब वाला, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि कल एक सवाल मेरे दोस्त त्रिवेदी साहब ने आनरेबल मिनिस्टर से पूछा था कि आया वापिस हुई औरतों में कितनी काश्मीरन हैं। मैं नहीं जानता कि उस के सिलसिले में क्या असली वाक़यात हैं। क्या वह काश्मीरी औरतें शामिल हैं जिन के मर्द रिश्तेदार पहले भेजे जा चुके हैं। अगर ऐसा है तो सरीहन यह धोकेबाज़ी की खराब मिसाल है—मिनिस्टर साहब ने फ़रमाया था कि यहां से करीब दो हज़ार औरतें पाकिस्तान भेजी गई थीं और पाकिस्तान से यहां पर सिर्फ़ ३२४ औरतें लाई गईं। जनाब वाला, मिनिस्टर साहब ने नहीं फ़रमाया कि कितनी औरतें वहां पर हैं, और शायद दुरुस्त तौर पर नहीं बतलाया है, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं कि इस को बतला सकें कि कितनी औरतें हिन्दुस्तान की पाकिस्तान में रह गईं या पाकिस्तान की हिन्दुस्तान में रह गईं। लेकिन मुझे इस के मानने में कोई ताम्मुल नहीं कि जब हम काश्मीर की तरफ़ नज़र छोड़ते हैं, जब हम वहां की कहानियां सुनते हैं तो हम को पता लगता है कि काश्मीर से ही हज़ारों औरतें रेडर्स पकड़ कर ले गये थे। और मुझे कोई शुबहा नहीं है कि हिन्दुस्तान की बेशुमार काश्मीरी औरतें पाकिस्तान के अन्दर हैं और जो पाकिस्तान की औरतें यहां थीं उन से कहीं ज्यादा थीं, लेकिन हम फ़िगर्स में क्या देखते हैं। फ़िगर्स से देखते हैं कि यहां से इस साल में २०४० औरतें जाती हैं और वहां से यहां को सिर्फ़ ३२४ औरतें आती हैं। इस से साफ़ नतीजा निकलता है कि पाकिस्तान में अब तक पूरा कोओपरेशन नहीं मिल रहा है। उस तरह से काम नहीं हो रहा है जिस तरह से कि हम चाहते थे और हमें इत्मीनान नहीं है कि जिस तरह से हम काम करते हैं उस तरह से वहां पर काम हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि हमारा काम और भी ज़ोरों से हो। हम नहीं चाहते, हमारा यह कलचर नहीं है, हमारा यह मंशा नहीं है कि हम एक भी औरत को जोकि यहां से जाना चाहे उस को ज़बर्दस्ती अपने यहां रखें। राइचुअसनेस हमारा उसूल है, हम हर्गिज़ नहीं चाहते कि हमारे यहां इस तरह का अत्याचार हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने पाकिस्तान गवर्नमेंट पर क्या प्रेशर डाला, क्या इन दो हजार औरतों के बारे में जो अधिकारियों के कब्जे में थीं, बात हुई ? मान लीजिये कि दो हजार नहीं भी थीं, पांच सौ थीं, चार

[पंडित ठाकरदास भार्गव]

सौ थीं, दो सौ थीं, उन के साथ पाकिस्तान गसर्नमेंट ने क्या किया ? अगर वह हमारे साथ कोआपरेट करते हैं तो उन को एक क़लम ऐसे लोगों को बर्ख़ास्त कर देना चाहिये जोकि अगर वह यह सबूत देना चाहते हैं कि वह हम से कोआपरेट करते हैं । मैं तो इस हद तक जाने को तैयार हूं कि अगर वह अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करते तो भी हम अपना फ़र्ज़ अदा करते चले जायेंगे लेकिन मैं चन्दा साहब से दर्ख्वास्त करता हूं जिन को कि ज्यादा हालात मालूम हैं कि आप यह क़रार तो न दें कि दरअस्ल पाकिस्तान वालों ने कोआपरेशन किया है । जो कुछ उन्हों ने किया है मैं उस में जाने के लिये तैयार नहीं हूं लेकिन मुझे मालूम है कि कई ऐसे पाकिस्तान के इलाके थे जहां कि हमारे आदमियों को जाने की भी इजाज़त नहीं थी । पोलिटिकल रीज़न्स के मातहत कहा जाता था कि वहां हमारे लोग जा नहीं सकते और औरतों को रिकवर नहीं कर सकते । मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि छः बरस जो यह काम किया गया उस में यह था कि जितने लोगों के क्लूज़ हम को मिल जाते थे और वह इन्फार्मेशन हम दे देते थे, लेकिन यह बात शरू के मरहले पर ही दोनों गवर्नमेंटों को मदद देती थी । क्या वजह है कि पिछले साल हमारे यहां से ११६२ औरतें गई थीं और इस बार नम्बर दो हज़ार से ज्यादा हो गया और क्या वजह है कि वहां से ४७४ औरतें पिछले साल आईं और इस साल यह नम्बर ३२४ रह गया । मुझे इन फ़िगर्स से मालूम होता है कि दरअस्ल कोई रियल कोशिश पाकिस्तान में नहीं की जाती है कि यहां की औरतें वहां से लाई जायें । जनाब वाला, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हर एक मेम्बर का इस हाउस में यह फ़र्ज़ है और वह यह चाहता है कि एक औरत भी पाकिस्तान में ऐसी न रहे जोकि हिन्दुस्तान आना चाहती हो और जिस के रास्ते में ऐबडक्टर्स ने रुकावटें डाली हों । लेकिन यह चीज़, जैसे कि हम चाहते हैं, उस तरफ़ से नहीं हो रही है, हम इस को छिपाना नहीं चाहते । हमारे दिल मजरूह हैं, हमें कभी तसल्ली नहीं होगी, हमारी जैनरेशन्स कभी भी माफ़ नहीं करेगी ऐसे लोगों को जिन्होंने हिन्दुस्तान के साथ यह सलूक किया है ।

मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर मिनिस्ट्री हमारा दिली कोआपरेशन चाहती है तो मैं चाहता हूं कि उस के अन्दर जितना ज़ोर है वह उस को पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर उन औरतों को वापस लाने के लिये डालें । जहां तक हमारी मुसलमान बहिनों का सवाल है, हम चाहते हैं, और हम में से हर एक का यह फ़र्ज़ है कि हम उन को वापस कर दें । हम नहीं चाहते कि हम इस बिल को सिर्फ़ १५ महीने के वास्ते ही और रखते । हम तो यह चाहते हैं कि जब तक एक भी औरत वापस लाने को है तब तक के लिये यह इन्तिज़ाम परमानेंट कर दिया जाय । यह डिपार्टमेंट, हम जानते हैं, बहुत अरसे तक नहीं चल सकता । ज्यों ज्यों वक्त गुज़रता जायगा इस की अहमियत कम होती जायगी । लेकिन जो औरतें वहां रह गई हैं उन को वापस लाने के लिये कोई परमानेंट इन्तिज़ाम होना चाहिये । कौन नहीं जानता कि काश्मीरी औरतों के साथ उन ब्रूट्स ने क्या क्या सलूक किया और उन को किस तरह से ले जा कर बेचा गया इस को हर एक शख्स जानता है । इन पुरानी बातों को याद कर के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं । अगर आप हमारा दिली कोआपरेशन चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर पूरा प्रैशर डाले कि जितना उन के अख्तियार में है वह कोशिश करें और उन तमाम औरतों को वापस करने में कोई दक़ीक़ा बाक़ी न रखें । इन अल्फ़ाज़ के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनरोध करूंगा कि वे अपनी बातें थोड़े ही समय में कहें, क्योंकि लगभग ६-३० अथवा ६-३५ म० प० मैं माननीय मंत्री से बोलने के लिये कहने का विचार करता हूं जिस से कि इस विधेयक को हम आज ही समाप्त कर सकें

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : यह एक बहुत पेचीदा और उलझी हुई समस्या है । इस विधेयक पर चर्चा करते समय हमें इस के मानवीय पहलू का ही नहीं बल्कि इस के राजनैतिक पहलू का भी ध्यान रखना है । इस विधेयक की राजनैतिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा नहीं की जा सकती है । साथ ही साथ इस से एक बहुत गंभीर मानव-समस्या भी पैदा होती है ।

बहुत से सदस्यों ने इस सम्बन्ध में सरकारी व्यवस्था के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये हैं और उस की निन्दा की है । बहुत से मामलों में बल का प्रयोग किया गया है । ऐसे मामलों में जांच होनी चाहिये । निस्सन्देह पुनः प्राप्ति के कार्य को जारी रखना जरूरी है, परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगी कि सरकारी व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी अवश्य है । मुख्य प्रश्न महिलाओं की अपनी इच्छा का है । परन्तु वह अपनी इच्छा निर्बाधित रूप से कैसे प्रकट कर सकती हैं ? मैं समझती हूं कि इस काम के लिये उसे किसी शिविर में कुछ समय के लिये रखा जाये और वहां पर उसे स्वजनों से मिलने का अवसर दिया जाये और तब अन्त में उस से उस की वास्तविक इच्छा पूछी जाये अर्थात् उस से यह पूछा जाये कि वह वापस जाना चाहती है या यहीं रहना चाहती है । मेरे विचार से इसी रूप में यह काम भली प्रकार हो सकता है ।

बच्चों का प्रश्न भी काफी पेचीदा है। यह सच है कि बहुत सी अपहृत महिलाओं के ऐसे भी बच्चे थे, जो उन के अपहरण से पूर्व पैदा हुए थे । प्रश्न यह उठता है कि ये महिलायें अपने बच्चों को क्यों छोड़ जाना चाहती हैं ? मैं समझती हूं कि इस का मुख्य कारण समाज का भय है और दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बच्चों का भार नहीं ढोना चाहेगा । यदि इस अधिनियम के अधीन ऐसे बच्चे भी 'अपहृत व्यक्ति' माने जाते हैं, तो फिर उन की बुरी दशा हो जायेगी । उन की मातायें उन को ले नहीं जाना चाहती हैं और अधिनियम के अधीन 'अपहृत' होन के नाते उन्हें उन के पिता से अलग कर दिया जाता है । इस प्रकार वे पिता के जीवित होते हुए भी अनाथों के समान शिविरों में रहते हैं । यह दशा शोचनीय है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं सरकारी व्यवस्था का वर्तमान रूप ठीक नहीं है । उस में संशोधन की भारी आवश्यकता है । आज कल न्यायाधिकरण में पुलिस के दो अधीक्षक हैं—एक पाकिस्तान का और दूसरा भारत का । मैं समझती हूं कि ऐसे मामलों में पुलिस के ये अधिकारी न्यायपूर्वक काम नहीं कर सकते हैं । अतः मेरे विचार से इस न्यायाधिकरण में कुछ महिलायें और कुछ अन्य ऐसे अनुभवी व्यक्ति रखे जायें जिन्हें सामाजिक विषयों का अनुभव हो ।

जहां तक शिविरों का सम्बन्ध है, हमें उन का वातावरण स्वस्थ और अच्छा रखना चाहिये । उन में अपहृत महिलाओं पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाना चाहिये ।

इन सब बातों पर विचार करने के बाद ही इस विधान की अवधि बढ़ाई जाये तो अच्छा होगा ।

श्री टेकचन्द : सात वर्ष पहले जो दुःखद घटनायें हुई थीं, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है । उस समय बहुत से लोगों के घर बरबाद हो गये थे । परन्तु अब जबकि उन्हीं लोगों ने अपने नये घर बसा लिये हैं और जबकि

[श्री टेकचन्द]

उन के घाव भरते जा रहे हैं, तब उन को फिर से अस्त व्यस्त करना अत्यन्त अन्याय-पूर्ण और नैतिकता के विरुद्ध है। मैं ऐसे बहुत से मामले जानता हूं और बता सकता हूं, जिन में पति, पत्नी और बच्चों की इच्छा के विरुद्ध उन्हें अलग कर दिया गया है। धांधली के मामलों के भी मैं उदाहरण दे सकता हूं। क्या यही नैतिकता है ? कौन 'अपहृत' व्यक्ति है और कौन नहीं इस का निर्णय करने का अधिकार उच्च न्यायालय को नहीं दिया गया है। यह चीज़ उस के क्षेत्राधिकार से बाहर रखी गई है। इस बात का निर्णय अधिकारीगण ही करते हैं। मैं तो समझता हूं कि इस दिशा में जिस प्रकार कार्य हो रहा है, वह नैतिकता के विरुद्ध है और नैतिकता के नाम पर अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं।

मैं इस सम्बन्ध में दो सुझाव रखना चाहता हूं। एक तो यह कि जो वयस्क हैं, उन की प्रकट इच्छा के अनुसार कार्य होना चाहिये। अवयस्कों के सम्बन्ध में उन के कल्याण का ध्यान रखा जाना चाहिये। अपहृत महिला की इच्छा जानने के लिये उसे अपने सम्बन्धियों से मिलने और अपनी स्थिति पर ठंडे दिमाग से विचार करने का अवसर दिया जाना चाहिये। उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाना चाहिये। जिन महिलाओं के बच्चे हैं, उन की वास्तविक इच्छा को सावधानी से मालूम करना चाहिये। सामान्यतः यह मान लेना चाहिये कि जहां पर उन के बच्चे पैदा हुए हैं, वह वहीं रहना चाहती हैं।

इस के बाद बच्चों का प्रश्न आता है। अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार जो व्यक्ति जहां पैदा होता है, वह उस देश का नागरिक होता है। हमारे संविधान के अनुसार भी ऐसे बच्चे हमारे देश के नागरिक हैं। फिर उन्हें दूसरे देश में फेंकने का हमें क्या अधिकार है ? यदि उन्हों ने कोई अपराध किया है, तो आप उन्हें अपने यहां के जेलों में बन्द कर सकते हैं। उन के सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि दूध पीते बच्चों को तो उन की माताओं के साथ जाने दिया जा सकता है। परन्तु जो दूधपीते नहीं हैं या यूं कहिये कि जो लगभग ५ वर्ष या उस से अधिक आयु के हैं, उन की देख भाल उन का पिता कर सकता है। उक्त प्रकार के बच्चों को, जो अपहरण के बाद पैदा हुए हैं, अपहृत मानना बिलकुल ग़लत चीज़ है।

मेरा निवेदन यह है कि मेरे सुझावों को ध्यान में रख कर विधि को लागू किया जाये, तो आप देखेंगे कि अधिकांश ऐसे व्यक्ति, जिन्हें आप अपहृत मानते हैं और जिन्हें आप इस देश से बाहर भेज देना चाहते हैं, वास्तव में इसी देश में रहना चाहते हैं, जहां उन्हों ने रक्त के, स्नेह के, तथा अन्य नये निकट सम्बन्ध बना लिये हैं।

अतः मेरा यह अनुरोध है कि यदि आवश्यक हो तो आप इस विधान की अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ा दें, परन्तु इस को उन व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जाना चाहिये जिन्हों ने यहां पर बच्चों को जन्म दिया है और जो वयस्क हैं। इस का उपयोग ऐसे ही मामलों में किया जाना चाहिये जहां पर किसी महिला को उस की इच्छा के विरुद्ध और अनुचित प्रभाव के द्वारा रोके रखा गया हो। अन्य किसी भी प्रकार के मामले में यह विधान लागू नहीं किया जाना चाहिये।

श्री गिडवानी (थाना) : ठीक जिस प्रकार कि सरकार ने हाल ही में अपाहिज-गृहों तथा विधवा-गृहों की जांच करने के लिये एक समिति की स्थापना की है, उसी प्रकार एक समिति इस विभाग से भी सम्बद्ध की जानी चाहिये क्योंकि यह व्यवस्था

मानवीय ढंग से कार्य नहीं कर रही है। यह बड़े खतरनाक तरीके से कार्य कर रही है और अच्छाई की अपेक्षा उस ने बुराइयां अधिक की हैं।

दूसरे, हम प्रति वर्ष इस के लिये दस लाख रुपये की राशि स्वीकृत करते रहे हैं। गत सत्र के दौरान में मुझे एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया कि इस संगठन के पास बीस गाड़ियां—कारें, स्टेशन वेगन और जीपें—हैं। मुझे मालूम है कि कई विभागों में स्टाफ कारों को पिकनिकों आदि के लिये प्रयुक्त किया जा रहा है। यहां भी ये गाड़ियां पिकनिकों के लिये प्रयुक्त की जा रही हैं या ठीक रूप से प्रयुक्त हो रही हैं इस बात पर निगाह रखनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस के हिसाब का लेखा-परीक्षण नहीं होता ?

श्री गिडवानी : जी नहीं। इसलिये माननीय मंत्री कृपया इस का उत्तर दें। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का आश्वासन चाहता हूं कि इस कानून को उसी प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा, अर्थात् किसी भी स्त्री को अपनी इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान नहीं भेजा जायेगा और अपने निकट सम्बन्धियों से मिलने का उसे पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं जालंधर के शिविरों में गया और वहां मैं ने पालनों में शिशुओं को देखा जिन की मातायें पाकिस्तान चली गई थीं। मां के लिए अपने बच्चे को छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह हमें निश्चित आश्वासन देंगे कि उसी बात को फिर नहीं दोहराया जाएगा और या तो इस संगठन को सुधारा जाएगा अथवा उसे समाप्त कर दिया जाएगा।

सरदार स्वर्ण सिंह : प्रारम्भ में ही मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह एक अत्यन्त जटिल समस्या है और बहुत निश्चित तरीके से यह कहना कठिन है कि क्या सही है और क्या गलत है। यह एक विशिष्ट प्रकार की समस्या है और विशिष्ट समस्याओं को सामान्य पृष्ठभूमि से देखने से गलतफहमी हो सकती है। यदि यह एक सामान्य प्रकृति का मामला होता, तो कुछ निश्चितता के साथ यह कहा जा सकता था कि किस माप-दण्ड से इसे आंका जाए। किन्तु सारी चीज़ इस प्रकार हुई जिस का इतिहास में कोई पूर्वदृष्टान्त नहीं मिलता। इसलिये विधि-सम्बन्धी सामान्य धारणाओं के मापदण्ड से इस का उपयुक्त उत्तर नहीं मिल सकता। इस संगठन की अधिकतर आलोचना कुछ चुने हुए तथा कठिन मामले ले कर की गई है। इस प्रकार के कार्य में किसी के लिये भी यह कहना बहुत कठिन होगा कि इन सब मामलों को उचित रूप से व्यवहृत किया गया है। गलतियां हो सकती हैं, मैं यह नहीं कहता कि कोई गलतियां नहीं हुई हैं। किन्तु मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस पहलू पर विचार करके उन गलतियों के विषय में अपना निर्णय करे कि यह कितनी वृहत् समस्या थी और किस कदर काम था।

मैं सदन को यह याद दिलाना चाहूंगा कि गत वर्ष जबकि इस सदन ने उक्त संगठन की अवधि में एक वर्ष का विस्तार स्वीकार किया था, तब से अब तक के केवल एक मामले का उद्धरण दिया गया है। यह मामला भी अभी निर्णीत नहीं हुआ है और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस का निर्णय आज दोपहर को प्रधान मंत्री द्वारा बतलाये गये सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा। उस से पहले के मामलों का भी ज़िक्र किया गया है। किन्तु मेरा निवेदन है कि जब हम

[सरदार स्वर्ण सिंह]

अवधि-विस्तार के प्रश्न पर चर्चा कर रहें हैं तो हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस सन्दर्भ में परिस्थितियों पर विचार करना है कि आजकल क्या हो रहा है अथवा निकट भूत में क्या हुआ है।

सरदार हुकम सिंह : मैं ने सब मामलों का एक-एक कर के उद्धरण नहीं दिया था। वे सब १९५३ के हैं। मैं माननीय मंत्री को वे सब बतला सकता हूं।

सरदार स्वर्ण सिंह : ऐसे मामले सदा ही होते हैं जिन में कि एक पहलू हो सकता है, और जब उन की जांच की जाती है तो परिणाम बिलकुल दूसरा ही निकलता है। मैं इस बात के आंकड़े देता हूं कि यह आरोप यही नहीं है कि किसी व्यक्ति की पुनः प्राप्ति के बाद उस का पाकिस्तान भेजा जाना निश्चित है। सन् १९५३ में २,००० व्यक्ति पाकिस्तान भेजे गये जबकि ९२६ को उन्हें भारत में अपने सम्बन्धियों के यहां भेजा गया, पाकिस्तान नहीं। यह आरोप गलत है कि किसी व्यक्ति को पुनः प्राप्ति पर उस पर कुछ प्रभाव डाले जाते हैं और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाती हैं कि वहां जाने के सिवा उस के पास कोई चारा नहीं रह जाता। और आज स्वयं प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये स्पष्ट वक्तव्य की दृष्टि में, मुझे आशा है कि किसी भी माननीय सदस्य के हृदय में कोई सन्देह नहीं रह जायेगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या शिविर में रहने की कोई समयावधि निश्चित है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : शिविर में ठहरने सम्बन्धी अवधि का प्रश्न तय करना वास्तव में बहुत कठिन है क्योंकि इस में सदा दो बातें रहती हैं। एक ओर तो यह कहा जाता है कि किसी स्त्री को एक निश्चित अवधि से कम के लिये शिविर में न रखा जाए जिस से कि वह वहां इतने अरसे तक रह ले कि अपने सम्बन्धियों के सम्पर्क से तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के स्पष्टीकरण से अपनी स्वतंत्र इच्छा व्यक्त कर सके। अर्थात् एक न्यूनतम समयावधि सदा रहती है। एक अधिकतम अवधि भी होनी चाहिये जिस से कि दोनों अवधियों के बीच के समय में वह स्त्री अपना निर्णय कर ले। इन दोनों सीमाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में अब पग उठाए जायेंगे। यह प्रबन्ध इस समय किया जा रहा है कि उसे बहुत अधिक समय तक शिविर में न रक्खा जाए। यह भी शायद एक अच्छा तरीका होगा कि उस की इच्छा उस की पुनः प्राप्ति के तत्काल पश्चात मालूम न कर के कुछ समय बाद मालम की जाए जबकि एक तटस्थ मैत्रीपूर्ण वातावरण में वह रहले। समय सम्बन्धी प्रश्न ऐसा नहीं है जिस पर कि कोई तत्काल निर्णय दिया जा सके। इस समय हमारी व्यवस्था यह है कि न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद भी, स्त्री को १५ दिन तक नहीं भेजा जाता है जिस से कि यदि किसी और को कुछ कहना हो अथवा आवेदन करना हो तो इस के लिये अवसर दिया जाए। इस समय-मर्यादा में हम काम कर रहे हैं। परन्तु उस से प्रत्यक्ष रूप में उस अधिकतम समय का बोध नहीं होता है जिस में इन अपहृत व्यक्तियों को इन शिविरों में, उन की इच्छा जानने से पहिले, रखा जाये। यदि उन को रखने के समय के प्रश्न पर कोई सुझाव दिये जा सकें, विशेष कर इस सदन की महिला सदस्यों की ओर से, तो उन का स्वागत किया जायेगा।

यह सुझाव दिया गया है कि पुनः प्राप्ति के समय से ले कर मामले के निर्णय तक का वातावरण शासकीय नहीं होना चाहिये तथा पुलिस वातावरण तनिक भी नहीं होना चाहिये। मैं इस प्रस्ताव से पूर्णतया सहमत हूं। उन की पुनः प्राप्ति तथा सुरक्षा के लिय

पुलिस से काम लेना स्वाभाविक है । परन्तु शिविरों में पुलिस-सत्ता का वातावरण नहीं है और न ही ऐसा होना चाहिये । मैं इस पक्ष म हूं कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, विशेषकर महिला कार्यकर्त्रियां इस काम में रुचि लें । मैं तो यह भी चाहता हूं कि मामलों का निर्णय करने में, अधिकरण को सामाजिक कार्यकर्ताओं से परामर्श लेना चाहिये । इस प्रकार अधिकरण द्वारा किया गया निर्णय न्यायोचित होगा ।

बच्चों की समस्या कठिन है । कुछ लोगों ने नागरिकता, जन्म आदि के बारे में जो वैधानिक दृष्टिकोण सामने रखा है मैं समझता हूं कि वह संगत नहीं है । क्योंकि ये बातें उच्च न्यायालय में रखी जा चुकी हैं तथा उस का यह मत है कि ये अवैध हैं । परन्तु मैं इसे वैधानिक दृष्टि से नहीं अपितु मानवीय दृष्टि से सुलझाना चाहता हूं ।

श्री एस० एस० मोरे : परन्तु आपने उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्यों हटा दिया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यद्यपि मैं इस के वैधानिक पहलू पर बहस करना चाहता हूं परन्तु इस अवसर पर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न की जांच की थी, तथा यह निश्चय किया था कि अधिनियम अधिकार सीमा में है । परन्तु इस वैधानिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त, मानवीय तथा सामाजिक दृष्टिकोण से, बच्चों के कल्याण के सिद्धान्त के रूप में, यदि कोई बात विचार करने योग्य है तो .....

श्री एस० एस० मोरे : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । (**अन्तर्धायें**) ।

सरदार स्वण सिंह : हां, तो जहां तक बच्चों का सम्बन्ध है, मैं ने जो आंकड़े दिये हैं उन से बोध होता है कि बहुत से बच्चे पीछे छोड़े जाते हैं ।

७ म० प०

कदाचित इस से मेरे सुयोग्य मित्र श्री टकचन्द के प्रश्न का उत्तर मिल जाता है । उन्हें स्वयं यह सन्देह था कि बच्चों के बारे में क्या किया जाये तथा वह दूध पीते बच्चे तथा बड़े बच्चे के बारे में एक प्रकार का सिद्धान्त ढूंढ निकालने का प्रयत्न कर रहे थे । साधारण रूप में, बच्चे का कल्याण ही पथ-प्रदर्शक सिद्धान्त होना चाहिये तथा हमारा विचार इसे कार्यान्वित करने का है । अतः बच्चे के पालन तथा उसे दूसरी ओर भेजने का प्रश्न विचाराधीन है । आप ऐसे बच्चे को चाहे अपहृत बच्चा कहें या कुछ और, परन्तु मैं ऐसे बच्चे के बारे में ही कह रहा हूं । मैं पूर्ण रूप से उन आरोपों का खंडन करता हूं जो कुमारी मृदुला साराबाई तथा कुछ अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं पर लगाये गये हैं । जो व्यक्ति यहां नहीं है, उस पर आरोप लगाना वास्तव में अनुचित है । मैं यह बात रिकार्ड कराना चाहता हूं कि सरकार कुमारी मृदुला बाई तथा अन्य निस्स्वार्थी सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्य की प्रशंसा करती है । मुझे इस में लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि इन छिछली टिप्पणियों के बाद जब हमारी विचार-शक्ति फिर से सन्तुलित हो जायेगी, तब आने वाली पीढ़ियां इन निस्स्वार्थी कार्यकर्ताओं को कृतज्ञतापूर्ण याद करेंगी ।

मैं ने प्रायः उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है । मैं ने कर्मचारीवर्ग तथा व्यय-राशि जैसी बातों को जान बूझ कर छोड़ दिया है । इस बात पर निरन्तर विचार हो रहा है । कोई भी इस बात में मुझ से अधिक रुचि न रखता होगा कि इस की जांच करने के पश्चात् यह पता लगाया जाये कि आया कि परिवहन अधिक है या कोई कर्मचारी आवश्यकता से अधिक है । हम इस के लिये

[सरदार स्वर्ण सिंह]

भरसक प्रयत्न करेंगे कि आवश्यकता से अधिक एक पाई भी व्यय न की जाये । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक की स्वीकृति के लिये सदन से सिफ़ारिश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :—

"अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) विधेयक, १९४९, पर, राज्य परिषद द्वारा स्वीकृत रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ तथा २ विधेयक में जोड़े गये ।

विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के चन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री चावदा (बनस्कंठा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस समय बोलने का मौका दिया । इस बिल के बारे में बहुत साफ साफ बातें हो गई हैं । उस की चर्चा में मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता । मैं ने आंकड़े देखे हैं । हमारे यहां से जो बहिनें भेजी गई हैं और पाकिस्तान से जो बहिनें यहां लाई गई हैं उन आंकड़ों को देखने के बाद दिल में यह बात आये बगैर नहीं रहती कि पाकिस्तान न हमारे साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए नहीं किया । मैं ने यह भी सुना कि यह भी ज़ाहिर हुआ था कि वहां की मिनिस्ट्री के कुछ अफ़सरों के पास भी दो हजार के करीब बहिनें हैं । मैं यह समझता हूं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस का पता ज़रूर होना चाहिये और अगर पता है तो शायद वह जानबूझ करके इन बहिनों को नहीं भेज रहा है और हमारे साथ कोआपरेशन नहीं कर रहा है । इसलिये मैं सोच रहा हूं कि हम जो इस बिल की मुद्दत एक साल और बढ़ा रहे हैं इस दरमियान में शायद पाकिस्तान समझे और हम ने जितना भलाई का व्यवहार उन के साथ किया है वैसा ही व्यवहार वह भी हमारे साथ करे और हमारी जितनी बहिनें वहां हैं उन को वापस आने का मौका दें । मैं आज के मौके पर साफ कह देना चाहता हूं कि मेरे दिल में यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि पाकिस्तान जान बूझ कर के जो बहिनें पाकिस्तान में हैं उन को वापस देना नहीं चाह रहा है । सरकार का तो यह काम है कि वह कहे कि वह हमारे साथ कोआपरेशन कर रहे हैं । सरकारों का यह तरीका होता है । इस में कोई शक नहीं कि हमारी बहुत सी बहिनें वहां हैं और अगर वह वापस नहीं आईं तो हमें हर रोज़ के व्यवहार में पाकिस्तान के साथ डर रहेगा और अगर यह बहिनें वापस नहीं आतीं तो पाकिस्तान की सरकार पर कलंक रहेगा ।

यहां कुछ मृदुला बहिन के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा गया । जहां तक मृदुला बहिन का सवाल है, मैं उन को जानता हूं । उन्हों ने अपना सारा जीवन बहिनों की भलाई के लिए ही लगा दिया है । और उन के विरुद्ध जो कुछ कहा गया है उस को मिनिस्टर साहब ने रिफ्यूट भी किया है । जो काम इस आरगेनाइज़ेशन ने किया है शायद वह हमारे एब्डक्शन के इतिहास में एक अमर चीज़ हो कर रह जायगी । यह काम ऐसा हुआ है कि इस की वजह से हम हमेशा अपना सर ऊंचा रख सकेंगे ।

कुछ भूलें ज़रूर हुई होंगी, लेकिन उन भूलों को देखते हुए भी काम अच्छा हुआ है । पाकिस्तान ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, यह मैं क़बूल करता हूं,

लेकिन इसलिये कि कोई हमारे साथ बुराई करता है, हम उस के साथ बुराई नहीं कर सकत, क्योंकि हम तो भलाई करना चाहते हैं।

तो मैं इस मौके पर मृदुला साराबाई बहन को और उन के साथ जो आर्गेनाइजेशन ने काम किया है, उस को मुबारकबादी देता हूं कि उन्हों ने बहुत अच्छा काम किया है और आयन्दा के लिये उम्मीद है कि जो वक्त मिला है उस में वह इतना अच्छा काम करेगा कि हमें दोबारा इस तरह के बिल को लाने का मौक़ा न मिले। मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौक़ा दिया।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मुझे इस विषय में एक बात कहनी है। यह विभाग वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन काम कर रहा था। किन्तु प्रारम्भ में यह पुनर्वास मंत्रालय के अधीन था।

सरदार स्वर्ण सिंह : यह पहले ही वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : विभाजन के समय जिन महिलाओं का अपहरण किया गया था उन के प्रत्यर्पण से इस का सम्बन्ध है। जो लोग पाकिस्तान में अपना घरबार छोड़ कर आये हैं उन के पुनर्वास का काम

संशोधन विधेयक

पुनर्वास मंत्रालय का है। मेरा निवेदन है कि इस विभाग को वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन न रख कर पुनर्वास मंत्रालय को सौंपा जाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति पहले इन सारे कामों का संचालन कर रहा था उसे इस विभाग से क्यों हटाया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : विधेयक के तृतीय वाचन के स्तर पर इस प्रश्न का उठाया जाना संगत नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं दिखा देना चाहता हूं कि यह व्यवस्था ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है और उस में उपयुक्त कर्मचारी नियुक्त नहीं किये गये हैं

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विधेयक के पक्ष या विपक्ष में कोई नई बात नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इस के पश्चात् सभा शुक्रवार, २१ फरवरी, १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।